C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol.XVII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No.5, Friday, August 5, 2011/ Sravana 14, 1933(Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.81 to 84	3-53
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.85 to 100	54-136
Unstarred Question Nos.921 to 1150	137-604

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	**605-627**
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION	**628**
12th and 13th Reports	
STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT	**628**
14th and 15th Reports	
BUSINESS OF THE HOUSE	**629-632**
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	**634-675**
Situation arising out of delay in creation of Telangana State and steps taken by the Government	
Shrimati Sushma Swaraj	634-650
Shri Gurudas Dasgupta	650-654
Shri Sarvey Sathyanarayana	654-662
Dr. K.S. Rao	662-666
Shri P. Chidambaram	667-675
INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, DESIGN AND MANUFACTURING, KANCHEEPURAM BILL, 2011	**676**
STATEMENT RE: INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, DESIGN AND MANUFACTURING, KANCHEEPURAM ORDINANCE,2011(No 2 of 2011)	**677**
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2011-12	**679-685**
Shri Pranab Mukherjee	679-685
Demands-Voted	685

APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2011	**686-687**
Bill Introduced	686
Motion to Consider	686
Clauses 2, 3 and 1	687
Motion to Pass	687
STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS LAWS) AMENDMENT BILL, 2009	**688-695**
Motion to Consider	688-695
Shri Namo Narain Meena	688
Shri Nishikant Dubey	689-695
MOTION RE: SIXTEENTH AND SEVENTEETH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS	**696-698**
PRIVATE MEMBER'S BILLS -INTRODUCED	
(i) Land Acquisition Bill, 2011 By Shri Jayant Chaudhary	**699**
(ii) Abolition of Capital Punishment Bill, 2011 By Shri Pradeep Tamta	**699**
(iii) Government Servants (Declaration of Assets and investigation) Bill, 2011 By Shri Pradeep Tamta	**700**
(iv) Intelligence Services (Powers and Regulation) Bill, 2011 By Shri Manish Tewari	**700**
(v) Constitution (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of articles 15 and 16) By Shri S. Semmalai	**701**
(vi) Indian Penal Code (Amendment)Bill, 2011 (Insertion of new Sections 302A and 364B) By Shrimati Sushma Swaraj	**701**

(vii) Constitution (Amendment) Bill, 2011 (Insertion of new Article 16A and 29A) By Shri Nishikant Dubey	**702**
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011 (Insertion of new Articles 275A and 371J)	**703-747**
Motion to Consider	703-747
Prof. Ranjan Prasad Yadav	703-706
Shri Adhir Chowdhury	708-713
Shri Hukmadeo Narayan Yadav	714-719
Shri Shailendra Kumar	720-722
Shri Ramashankar Rajbhar	723-726
Shri Bhartruhari Mahtab	727-733
Shri S. Semmalai	734-736
Shri Vishwa Mohan Kumar	737-739
Shri Arjun Ram Meghwal	740-743
Shri Ghanshyam Anuragi	744-746
Shri Dara Singh Chauhan	746-747
SUBMISSIONS BY MEMBERS	**748-767**
(i) RE: Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution	
Shri Shailendra Kumar	748
Shri Arjun Meghwal	754
Shri Harish Rawat	754-755
(ii) RE : Need to formulate an effective scheme for Delhi Metro	
Shri Jai Prakash Agarwal	757
Shri Harish Rawat	757
Smt. Krishna Tirath	767

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 768

Member-wise Index to Unstarred Questions 769-773

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 774

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 775-776

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 5, 2011/ Sravana 14, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Q No. 81. Shri Surendra Singh Nagar -- Not present

Shri Yogi Aditya Nath -- Not present

Anyone else want to ask supplementary questions on this?

चौधरी लाल सिंह।

(Q. No.81)

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रश्न के सप्लीमेंट में पूछना चाहता हूं कि सलाल में एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट बनाया था, उसके लिए तय हुआ था कि बनाने के बाद हमें वापिस किया जाएगा। यह 690 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। जम्मू-कश्मीर का 10 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट हमें वापिस कब देंगे, जिससे कि हमारे राज्य का भला हो सके

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न इस सवाल से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं जरूर उत्तर दूंगा। कश्मीर में सलाल एनएचपीसी का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत सालों से ये बातें चलती आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री गणेश सिंह : महोदया, पूरे देश में मांग के अनुपात से विद्युत की बहुत कमी है। पीक ऑवर में भी कहीं आठ परसेंट और कहीं दस परसेंट की कमी है। ऐसी स्थिति में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने का काम, मैं समझता हूं कि दो कारणों से प्रभावित हो रहा है। पहला - थर्मल पावर को पर्याप्त कोयला नहीं मिलता और दूसरा - जो थर्मल पावर राज्यों में बन रहे है, उनकी निर्माण एजेंसियां जो भारत सरकार की हैं वे निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करती हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदया, देश में एनर्जी की शार्टेज है, यह हमेशा फ्लकचुएट होती है। हमने जुलाई में देखा था कि एनर्जी शार्टेज 3 परसेंट थी और पीकिंग शार्टेज 5.3 परसेंट भी थी। आज की स्थिति में एनर्जी शार्टेज 4.5 परसेंट और पीकिंग शार्टेज लगभग 8 परसेंट है। यह बात सही है कि कोयले की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सदन को बताने में मुझे बहुत खुशी है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद जैसे एनवायरमेंट की डिफिकल्टी है, कोयले की डिफिकल्टी है, जमीन लेने की डिफिकल्टी है, ऐसी हालत में भी देश में इस समय 40131 मेगावाट कैपेसिटी एडिशन हो गया है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 21 हजार था, अब लगभग डबल हो गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साढ़े पांच साल में 47 हजार मेगावाट बिजली का एडीशन हुआ है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं कि बजट में उन्होंने हमारे विभाग को प्रोत्साहन दिया। पिछले साल हमने लगभग 16 हजार मेगावाट सिंक्रोनाइज्ड किया और इससे हम और ज्यादा काम करने लगे हैं। हम देश को ज्यादा बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने काम शुरू किया है और 12वीं योजना का हमें अभी टार्गेट मिलना है।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 21 हजार मेगावाट एडीशन किया था।

लेकिन हमें टार्गेट 78,000 मेगॉवाट का मिला यानी चार गुना ज्यादा टार्गेट मिला और इतनी ज्यादा कठिनाइयां आईं लेकिन तब भी हमने इतना काम किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अभी हमें प्लानिंग कमीशन से टार्गेट नहीं मिला है लेकिन अभी इस देश में 80,000 मेगॉवाट का काम वर्तमान में चालू है, यह मैं सदन को बताना चाहूंगा।

DR. RATNA DE : Madam Speaker, electricity is a concurrent subject and States play an important role in supply and distribution of electricity. At the same time, the Central Government should make efforts in finding permanent solutions regarding the growing power requirement in the country. Would the hon. Minister provide the details of rural electrification since the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana came into being and steps taken to conserve energy and to ensure energy efficiency in the country?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Madam Speaker, the hon. Member has asked two to three questions but I will reply specifically because everybody is very much interested in Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana.

In the beginning, under the Yojana, 1,25,000 villages were estimated there but subsequently, the target village electrification came down because there were double counting, numbering of villages in states like UP and now, 1,11,000 villages are targetted. Out of that, as on today, approximately 98,000 villages have been electrified.

अध्यक्ष महोदया: मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है। Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Madam Speaker, before I look at the reply which has been forwarded to us, I want to draw your attention to a very important issue.

---

[*] Not recorded.

The issue is, we import power from Bhutan. If you see the figures of Jammu and Kashmir year to year, you may find that it gives a very dismal picture so far as power generation is concerned. Year to year figures of Jammu and Kashmir show that capacity is 2515 and availability is so dismal.

I want to draw the attention of the Government to this matter and I want a reply to a very important question. We, in Jammu and Kashmir, have been making repeated efforts and raising it at every forum and in every form. You know that Jammu and Kashmir has been endowed with huge water resources and we could have generated electricity. By doing so, it is not only that Jammu and Kashmir would have become self-sufficient, but it would have given power to other States of the country also. But unfortunately, way back in 1960, we had reached an agreement with Pakistan under Indus Water Treaty which deprived the State of Jammu and Kashmir to use its huge water resources. From time to time, even the hon. Prime Minister had assured us that even if this Treaty cannot be scrapped, at least we can revisit and compensate the State of Jammu and Kashmir.

Will the Government revisit that and compensate the State of Jammu and Kashmir?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Madam Speaker, this supplementary relates to the Ministry for Water Resources. However, I can say that Jammu and Kashmir is in a very critical problem. We have started the project on the border at Kishanganj and apart from Kishanganj project, Uri II project is also there on the border side. We have considered Jammu and Kashmir as a very important State and we have been giving power to them. Considering the situation there, we had given upto 250 megawatts of additional unallocated power in last winter recently. It is not only that. I have also taken up a meeting with the Chief Minister of Jammu and Kashmir and appraised the fact to have more and more projects. Depending totally on the rains and water availability, power can be generated in the hydro sector.

But I have suggested them that they can have power from the thermal project. We can consider this. So, near Pathankot in Kathna, I have suggested finding out some area and if the State Government gives water and power, the NTPC could start a project there. The decision will be taken after consultation between the two Governments.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : I was talking about compensation. …(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Your turn is over.

श्री तूफ़ानी सरोज : अध्यक्ष महोदया, आपने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश बिजली की समस्या से लगातार जूझ रहा है। हम समझते हैं कि जो हालात उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर हैं, ऐसे हालात पूरे देश में किसी प्रान्त में नहीं हैं। टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम था। यू.पी. के विभाजन के बाद वह उत्तराखंड राज्य में चला गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टिहरी डैम से विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? क्या वह लक्ष्य पूरा किया गया है? यदि हां तो उसमें से कितनी बिजली उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मिल रही है और कितनी उत्तराखंड तथा भारत सरकार को मिल रही है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक बार में एक ही सवाल पूछिए। अब समाप्त करिए।

श्री तूफ़ानी सरोज : क्या उत्तर प्रदेश में इसी तरह की कोई परियोजना बनाने की सरकार की कोई योजना है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, टिहरी का सवाल हाइड्रो से संबंधित है और अभी इस समय मेरे पास इस बारे में पूरे रिकार्ड नहीं हैं। लेकिन जब ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकट्ठे थे, तब यह प्रोजेक्ट चल रहा था। अभी इस समय डिस्ट्रीब्यूशन के मेरे पास पूरे रिकार्ड नहीं हैं।

SHRI INDER SINGH NAMDHARI: I want to ask the hon. Minister of Power that on the one hand the nation is starving for electricity and, unfortunately, on the other hand, an ambitious project of 2,000 mega watts of electricity generation is lying pending and kept in abeyance for more than a decade in North Karanpura at Piparwar, the foundation stone of which was laid down by the former hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: It is fact that Karanpura foundation stone was laid in 1999 by the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. A number of times this issue was raised. The coal deposits under the project are very huge and that is the reason that the Department of Coal is taking objection. In the beginning, it was a 2,000 mega watts plan, but we reduced it to 3x660 mega watts. However, still there are some problems. Now, a Group of Ministers have been appointed under the leadership of the hon. Minister of Finance and the matter is under consideration in that Group.

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि जो कमेटी है, उसका कृपया जल्दी फैसला दें।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, अभी नहीं। अभी सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जगदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदया, पूरे राष्ट्रीय सिनेरियो में डिमांड और सप्लाई में कमी है। जब हम विभिन्न राज्यों की तुलना करते हैं तो उसमें बहुत अन्तर आता है। राष्ट्रीय सिनेरियो में 6.6 ऑफ पीक ऑवर में और 9.2 प्रतिशत पीक ऑवर में कमी है लेकिन वहीं बिहार में जब हम देखते हैं तो ऑफ पीक ऑवर में 21 प्रतिशत और पीक ऑवर में 29 प्रतिशत है। गत वर्ष से यह अन्तर और बढ़ता जा रहा है जबकि राष्ट्रीय पैमाने पर डिमांड और सप्लाई में घटोतरी हो रही है। पूरे राष्ट्रीय सिनेरियो में केवल उत्पादन नहीं बल्कि ट्रांसमिशन की भी जिम्मेदारी नेशनल ग्रिड द्वारा भारत सरकार की है। नेशनल ग्रिड का कांसैप्ट ही यह है कि जिस रीजन में डिमांड और सप्लाई में सबसे बड़ा गैप होगा, वहां राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि उस इलाके में बिजली दी जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में लगातार मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है। ईस्टर्न रीजन में डिमांड और सप्लाई में घटोतरी हो रही है अर्थात ईस्टर्न रीजन हर रीजन से बेहतर है। बिहार इसी ईस्टर्न रीजन का हिस्सा है।

ईस्टर्न रीजन में घटोतरी डिमांड और सप्लाई होने के बाद बिहार में गैप बढ़ता जा रहा है। मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार के जितने प्रस्तावित प्रोजेक्ट हैं, जब तक उनके लिए अनुमति नहीं मिलती है तब तक राट्रीय उत्पादन और नेशनल ग्रिड द्वारा बिहार को डिमांड और सप्लाई का अंतर राट्रीय औसत पर लाने के लिए कौन सा प्रयास करना चाहते हैं?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि बिहार में पावर की बहुत शार्टेज है। सम्मानित सदस्य ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कन्क्रंट लिस्ट में है, राज्यों की जिम्मेदारी पावर निर्माण करना और देना है। भारत सरकार केवल सप्लीमेंटरी काम करती है। बहुत सालों से बिहार में पावर निर्माण का काम

नहीं हुआ, मैंने व्यू ले लिया। मैं हर छः महीने में देश के सभी पावर मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करता हूं। मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी। हमने विचार करके मुजफ्फरपुर को 500 मेगावाट का कांटी प्रोजेक्ट दिया है और एक और 390 मेगावाट का दिया है। नबीनगर 1980 मेगावाट Barh (बाड़), 1000 मेगावाट नबीनगर रेलवे का प्रोजेक्ट दिया है, एक और 1980 मेगावाट का भी काम शुरू है। इतना ही नहीं लिंकेज जिन्हें नहीं मिल रहा था, हमारा एक क्राइटेरिया है, 50 मार्क्स मिल जाएं तो कोल लिंकेज रिकमेंड करते हैं। बिहार को 20 प्रतिशत और 30 परसेंट मिले थे तो भी हमने राज्य का स्पेशल कन्सीडरेशन किया और कोल लिंकेज के लिए रिकमेंड किया है। यह स्थिति बिहार के सुधार के लिए है, भारत सरकार बिजली दे रही है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q..No. 82 – Shri K.J.S.P. Reddy – not present.

Shri Arjun Ray.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

अध्यक्ष महोदया : श्री अर्जुन राय, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : 1800 मेगावाट का कोटा है और 900 मेगावाट दे रहे हैं।…(व्यवधान) रमजान का महीना चल रहा है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस पर चर्चा कर लेंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नोटिस देकर चर्चा कर लीजिए।

…(व्यवधान)

11.18 hrs.

At this stage Shri Dinesh Chandra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : श्री अर्जुन राय, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पहले आप प्रश्न संख्या बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, सप्लीमेंटरी प्रश्न पर कुछ तो जवाब आना चाहिए।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस भेजकर चर्चा करा लीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह लंबा विषय है। आप इस पर चर्चा करा लीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

---

[*] Not recorded.

...(व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव : हमारे यहां से एक भी सदस्य को नहीं बोलने का मौका नहीं दिया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदानंद सिंह जी बोले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

Shri Arjun Ray, please put your question.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: You cannot question my judgement.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not question my judgement.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या चाहते हैं कि प्रश्न काल बंद कर दें?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अर्जुन जी, आपको सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना है तो पूछिए।

...(व्यवधान)

11.20 hrs.

At this stage Shri Dinesh Chandra Yadav and some other Members went back to their seats

श्री अर्जुन राय : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का जवाब आंकड़ों का खेल है।

अध्यक्ष महोदया : हम इससे आगे बढ़ गए हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, आपसे हमने कहा है कि जगदानंद सिंह जी बोले हैं। इस पर चर्चा के लिए कह दिया है, आप नोटिस दे दीजिए, चर्चा हो जाएगी। अब हम प्रश्न 82 पर पहुंच गए हैं, इस तरह रिवर्स मत कीजिए। अब अगला पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस पर नोटिस आ जाए तो चर्चा कर लीजिए। अब आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

(Q. No.82)

श्री अर्जुन राय : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया है, वह आंकड़ों का खेल है। देश में नॉन परफारमिंग एसेट्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और विगत तीन सालों से बहुत तेजी से बढ़ी है। माननीय मंत्री जी ने कई प्रेस कांफ्रेंसिस में इस पर चिंता की है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2009-10 में नॉन परफारमिंग एसेट्स 30 प्रतिशत बढ़े और इसकी तुलना में 2010-11 में 24 प्रतिशत हो गए, क्या 24 प्रतिशत की वृद्धि संतोषजनक है? क्या यह वृद्धि देश के लिए उपयुक्त है? एक तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि देश में उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश में कर्ज की देनदारी बढ़ रही है। पिछले वर्ष होम लोन घोटाले में डीएसबी और फाइनेंस के बहुत से पदाधिकारी पकड़े गए। इस तरह से नॉन परफारमिंग एसेट्स देश में बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें भी कोई घोटाले की आशंका महसूस होती है? अगर होती है तो इस पर जांच के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है?

श्री नमोनारायन मीणा: महोदया, नॉन परफारमिंग एसेट्स के बारे में जो रिप्लाई दिया है, उसमें पब्लिक सैक्टर बैंकों का 2009 में 2.09 था, मार्च 2011 में 2.31 है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नाम परफारमिंग एसेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं है। इसके बावजूद ग्रास एनपीए तीन परसेंट और नेट एनपीए एक परसेंट से कम है तो भी वे एक्सेप्टेबल होते हैं। भारत सरकार के जितने भी बैंक हैं, उनका नान परफारमिंग एसेट्स 2011 में 2.31 था और जून में 2.55 था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 26 बैंकों में से तीन बैंक ऐसे हैं जिनका एक और एक से कम ग्रास एनपीए है। ग्यारह बैंक ऐसे हैं जिनका एक से दो प्रतिशत एनपीए है, 10 ऐसे हैं जिनका दो से तीन परसेंट है। स्टेट बैंक आफ इंडिया और यूको बैंक दो ऐसे बैंक हैं जिनका तीन परसेंट से ऊपर है। मैं इनका कम्पेरिजन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर के पांच ऐसे बैंक हैं जिनका एनपीए बहुत ज्यादा है, उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई बैंक का मार्च 2000 में 5.65, मार्च 2010 में 6.52, मार्च 2011 में 5.80 प्रतिशत था और इस जून तक 5.82 है।

कुल मिलाकर हमारे पब्लिक सैक्टर बैंक्स का अंडर कंट्रोल है। आप यह देखें कि एनपीए काफी कम हुआ है। एक जमाना था जब एनपीए बहुत हुआ करते थे और उनमें मैं आपको बताऊंगा कि 1998-99 में पब्लिक सैक्टर बैंक्स का एनपीए 15.9 परसैन्ट था, 1999-2000 में 14 परसैन्ट था, 2000-2001 में 12 परसैन्ट था, 2001-2002 में 11 परसैन्ट था, 2002-2003 में 9 परसैन्ट था और 2003-04 में 7.8 परसैन्ट था। उसके बाद यह फिर घटने लगा और 2006-2007 में 2.7 परसैन्ट हुआ, 2.2 हुआ, इस समय 2.55 परसैन्ट है,

जिसे ज्यादा नहीं कह सकते। यह acceptable लिमिट के अंडर है। इसके दो-तीन कारण मैं और बताना चाहूंगा कि यदि थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ा है तो वह क्यों बढ़ा है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। एक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी आई तो उस समय हमारे पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने 25 परसैन्ट के ग्रोथ से एडवांसेज दिये। जबकि प्राइवेट बैंक्स ने 10 परसैन्ट और फॉरेन बैंक्स ने चार परसैन्ट दिये। हमारे जितने भी बैंक्स हैं, उनका नैट प्रोफिट बढ़ता जा रहा है। 2006-2007 में बीस हजार करोड़ था, 2007-2008 में 26 हजार करोड़ रुपये, 2008-2009 में 34 हजार करोड़ रुपये और 2009-2010 में 39 हजार करोड़ रुपये हमारे बैंकों ने प्रोफिट कमाया। इसके रीजन्स मैंने आपको बताये कि प्रथम आर्थिक मंदी में हम लोगों ने ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाया। दूसरा उस आर्थिक मंदी में जब हमने यह किया तो उसके बाद में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। हम जो स्टैप्स ले रहे हैं, उनमें कुछ रिजर्व बैंक ने डायरेक्शंस दी हैं, कुछ भारत सरकार ने डायरेक्शंस दी है, जितने भी हमारे लीगल रिकोर्स हैं, चाहे लोक अदालत है, चाहे सर्फेसी एक्ट है, चाहे डीआरटी एक्ट है, उनके तहत रिकवरीज हो रही हैं। रेस्ट मैनेजमैन्ट सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा रहा है। सारे बैंक्स अपने लैवल पर अपने रिकवरी मैकेनिज्म को और सुधार रहे हैं और भारत सरकार ने भी एक डायरेक्शन दी है कि रिकवरी ऑफ एनपीए के बारे में एक्शन प्लान् बताइयेगा। कुल मिलाकर जितने भी एनपीएज हैं, वे परमिसिबल लिमिट्स में हैं। हमारे बैंक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे प्रोफिट में हैं और जो एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है, वह लिमिट में आ जायेगा, उसमें से मैंने बताया कि कुछ ही बैंकों का है जो तीन परसैन्ट से ऊपर है, बाकी ऐसे भी बैक्स हैं, जिनका ग्रॉस एनपीए एक परसैन्ट से कम है।

श्री अर्जुन राय : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एनपीए डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं और समाचार पत्रों में जो खबर छपी है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी और इनके इकोनोमिक एडवाइजर का भी बयान है। इसमें यह है कि मार्च 2010 में सरकारी सूत्रों के अनुसार 69.927 करोड़ रुपये एनपीए और मार्च 2011 में 74.617 हजार करोड़, मतलब 74 हजार करोड रुपये से अधिक एनपीए देश में हैं, जो मार्च 2011 का है और 2010 में यह लगभग साठ हजार करोड़ रुपये था। यह आंकड़े बता रहे हैं कि इनका एनपीए बढ़ रहा है। मैंने सवाल किया था कि लास्ट ईयर हाउसिंग लोन घोटाले में आपके पदाधिकारी पकड़े गये और माननीय मंत्री जी ने सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की समीक्षा की थी और चिंता भी व्यक्त की थी। आपके जो इकोनोमिक एडवाइजर, बसु साहब हैं, उन्होंने अपना स्टेटमैन्ट दिया कि जो भी पदाधिकारी करप्शन के खिलाफ जांच के लिए जाते हैं, वे खुद करप्शन में

इलडल्ज हो जाते हैं. उसमें शामिल हो जाते हैं। मेरे पास बसु साहब और माननीय मंत्री जी का भी बयान है।

हम आपसे इतना ही जानना चाहते हैं कि जब इस तरह की कन्ट्रोवर्शियल बातें आ रही हैं, आपको शंका हो रही है कि देश में जो नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स बढ़ रहे हैं और जब हाऊसिंग लोन में घोटाले हुए तो उनकी जांच हुई। उसमें कुछ पदाधिकारी पकड़े गए। जो नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स बढ़ रहे हैं, क्या इनसे भी किसी घोटाले की आशंका आपको लगती है? अगर आशंका लगती है तो सरकार इसकी जांच करने पर विचार क्यों नहीं करती है?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I share the concern of the hon. Member and that is why my colleague has replied in detail that in the public sector banks there has been an upward trend in the Non Performance Assets in the last three years. That is why in the Conference of the Chief Executives of the nationalised banks and on earlier occasions also, I drew their attention that they will have to take care of it.

The easiest way is to stop credit, but we cannot do that. If there is headache, we cannot cut the head, we shall have to apply medicine. Therefore, I told them that you have to follow the credit norms in the required sector as per the priorities given by the Government, by the Reserve Bank of India, but at the same time make adequate provision so that those Non Performing Assets could be taken care of and at the same time apply due diligence while sanctioning the loan without causing unusual delay. Many of the hon. Members will agree with me that there are a lot of complaints against the banks that they take long time to deliver and sanction loans. So, to make it a balanced approach, we have requested them. I share the anxiety of the hon. Members that as and when certain corruptions or certain malpractices come to the notice we can look into them but I cannot make any global response to that.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, the hon. Minister, while replying to the first question, has said that there is no parameter to determine NPAs. He has also said that NPA is in a very tolerable limit today and the information which he has given to this House is that the NPAs in SBI and UCO Banks are much more than three per cent, which is not in tolerable manner.

I have a specific question relating to the State Bank of India. Is it true that the amount of gross non-performing loans of SBI has doubled in the past three years from about Rs.12,837 crore in March 2008 to Rs.25,326 crore as of March 2011? I would also like to know whether RBI, after its annual financial inspection, had criticized the bank for a number of deficiencies including poor systems, lack of proper policies, lack of follow-up and lack of proper staff accountability. If so, whether RBI has pulled up the bank for not carrying out any review of its restructured portfolio and not placing any review of staff accountability, its progress, action against delinquent staff to its Board of Directors?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, I agree that the NPA of SBI has arisen. The Gross Domestic NPAof SBI was 3.26 per cent in March 2009, 3.48 per cent in March 2010 and 3.8 per cent in March 2011. This is a fact that I have told. I have initially also told that the NPAs of two banks are more than three per cent.

The gross Domestic NPA of SBI was more than 15,000 in 2009, 17,000 in 2010, and 23,000 in 2011. As far as the accountability of State Bank is concerned, in the recent years, per employee business has increased in the State Bank of India. It was Rs. 6.36 crore; now it is Rs. 7 crore. This is the biggest Bank. Its 13,000 branches are there across the country. The beauty of this Bank is that almost 65 per cent of the branches are in the rural and semi-urban areas as compared to other banks, whether they are nationalised banks or other banks. This Bank is earning profit; this is in profit.

All precautions are being taken to recover the NPAs. Thank you.… (*Interruptions*)

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदया, नॉन-परफार्मिंग ऐसेट्स में जो वृद्धि हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस समय बैंक्स लोन सैंक्शन करते हैं, उस समय वह सारी चीजें देखी नहीं जाती हैं। इसमें लापरवाही बरती जाती है। कंपनीज़ की रेटिंग और पॉस्ट परफॉरमेंस भी ठीक से नहीं देखी जाती है और इसीलिए एनपीए में वृद्धि हो रही है। दूसरा मेरा यह कहना है कि जैसे लोन इंट्रेस्ट रेट में जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण भी एनपीए बढ़ जाता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बैंक्स के पास जो क्वालिटी एनपीए मानीटरिंग सिस्टम है, इसके संबंध में जो एलर्टनेस होनी चाहिए, क्या सरकार उसे करेगी?

श्री नमोनारायन मीणा : महोदया, माननीय सदस्य ने लोन देने के लिए जो सिस्टम अपनाना चाहिए, उसके बारे में बताया है। अभी बैंकों ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंग्थेन किया है। जब कंपनीज को लोन देते हैं तो उनकी रेटिंग इंडिपेंडेंट एजेंसी से करायी जाती है। यह मानकर कि जिसे हम लोन दे रहे हैं, वे सारे के सारे परफॉर्मिंग ऐसेट्स हैं और हमारा लोन वापस आ जायेगा। All precautions are being taken while giving loans to the particular parties.

मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एनपीए, एक-दो साल से थोड़ा राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ष 1998, 1999, 2001 में 14-14, 15-15 परसेंट रह चुका है। आपको कंपैरिजन में यह भी बताया कि आईसीआईसीआई बैंक जो एक बहुत बड़ा बैंक है, उसका भी एनपीए अभी पांच परसेंट के आसपास चल रहा है। मैं कोई ऐसा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं मानता हूं कि अगर किसी एक-दो बैंक का एनपीए तीन परसेंट है, we are taking all the precautions to reduce the NPAs within the prescribed limit. डिजायरेबल लिमिट में हम इसे ला रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को काफी स्ट्रेंग्थेन किया जा रहा है ताकि वह नॉन परफार्मिंग ऐसेट्स न हों। एक और खास बात है, जो मैं बताना चाहता हूं। हमारे नेशनलाइज बैंक्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40 परसेंट लोन देते हैं। हमारे सारे बैंक्स 40 परसेंट लोन दे रहे हैं और जहां तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, उसने तो 40 से भी बढ़कर 42 परसेंट लोन हमारे प्रायोरिटी सेक्टर को दिया है, किसानों को दिया है, वीकर सैक्शन ऑफ द सोसायटी को दिया है, एजुकेशन लोन दिया है, छोटे कारखानों को दिया है और बीपीएल परिवारों को दिया है। हमारे इस बैंक का और हमारे जितने भी बैंक्स हैं, उनकी एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी है कि हम इन्हें इस प्रकार से दें जबकि प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स उस नॉर्म्स को अच्छी तरीके से पूरा नहीं करते हैं।

DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, the Finance Minister has indicated that the NPAs are largely within the two to three per cent acceptable band but I am looking for a broader perspective. I have read, for instance, that in China, the NPAs of the State-owned banks are in the neighbourhood of 32 per cent.

The hon. Finance Minister has extensive international experience. Would he enlighten the House, as to the global context, how India's NPA is compared with the NPA of similar economies such as those of the BRICKS?

MADAM SPEAKER: Hon'ble Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The taste of the pudding is in the eating. In the internal crisis, the hon. Member, who is fully aware of the international situation has seen how the big banks have collapsed. They collapsed like a pack of cards. Despite that India's banking system has survived. I do not justify that NPA should be allowed to increase. Firstly the system in China and the system in India are totally different. Therefore, they cannot be compared. Sometimes, you do not even get the comparable datas. They have their own system of accounting and their own system of collecting datas. Our system is different. We cannot compare two non-comparable systems.

I can assure the hon. Member that we are always vigilant. At the same time we should not say anything or do anything in this House which will discourage the banks to give advances, to give credit to the needy and desirable sector. No NPA can be generated if the banks sit tight and does not make any advance, does not take any risk and people suffer from starvation. So, there should be a balance.

(Q. No. 83)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, today I am extremely happy as the hon. Minister and the Left Parties were instrumental in bringing a landmark legislation in the UPA-I Government and today he is in-charge of implementing that legislation.

He has correctly stated after taking over the charge of the Minister of Tribal Affairs, Tribal Rights Act, is an attempt to undo historical wrongs. What was done in 2006, after notification of rules, after one year, after a great deal of efforts, and fight inside the House and outside in 2007, is being undone today. Now, tribal lands are being grabbed. The Central Government and the State Governments are brazenly violating the laws and people's right in order to keep control over the forest and forest land. The Government's entered agenda is dictated by the interest of private industries and corporate houses.

In case of mining, in case of industry, in case of power-plants, tribal lands are grabbed. The claims are rejected on a flimsy ground.

Madam, you would be surprised to know the answer and the statement given by the hon. Minister. There are 30,64,424 claims. The number of rejection was 14,46,380. It is almost 50 per cent of rejection. The rejection was not being done at the Gram Sabha level. I know about some of the districts at least about my own district and I am closely connected with the implementation of this Act. But at the higher level where there is representation of Forest Department. There are loopholes in the Act and in the Rules itself.

MADAM SPEAKER: Mr. Basu Deb Achariaji, please ask your question.

SHRI BASU DEB ACHARIA: May I know from the hon. Minister, in order to undo the historical wrongs, whether the Government would seriously think to implement the Act properly?

Forest land has been handed over to the corporate houses and the tribals are being evicted in order to implement the Act. I would like to know from the hon. Minister whether the Government will seriously think to plug the loopholes, so that on flimsy grounds the claims are not rejected and tribals are not deprived of their right which they got in 2006.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: I would like, first of all, to mention that the Forest Rights Act is implemented by the respective State Governments. Once the Act has come into being, we have issued certain guidelines, we have sent Circulars and we have been monitoring the implementation of this Act. We have been getting responses from various State Governments. I said that the implementation vests with the State Governments, we have been monitoring sending guidelines from here and getting feedback from various State Governments.

I would like to respond to the suggestion made by the hon. Member regarding the divestment of the forest land for the purposes. The Act clearly mentions that forest land cannot be divested for non-forest use until the rights of the forest dwellers and the tribals are settled. So, this is absolutely clear. If there are any cases where such violation has taken place, hon. Member may bring it to our notice and certainly, we will take up the matter with respective State Governments to ensure that this does not recur in the future.

As far as the loopholes that you have mentioned, it is two years now and from the experience that we had in the last two years, if there are any loopholes which you think need to be plugged, please bring them to my notice. I will myself go into them and see that these loopholes are plugged, if they really do exist.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am asking question. Not irrelevant … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Basu Deb Acharia ji, today you are in a happy mood. So, ask the question.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I would like to know from the hon. Minister whether the Central Government has recently issued any circular by which, on this trend, powers to declare any forest as critical wildlife habitat, without observing the spirit of this Act. I would like to know, if that Circular has been issued, whether the Government will review it or not?

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: This aspect is also clearly mentioned in the Act. As far as critical wildlife habitat is concerned, there is a procedure which is specified. Unless that procedure is gone through and unless wildlife experts, people who are living in that area and who are familiar with these movements of the wildlife in those regions, certify, such land will not be declared as critical. This is something which has already gone to the State Governments even immediately after the Act was enacted.

Another question you have asked is about the total number of rejections. I would like to mention that 50 per cent of the rejections actually pertain to the other traditional forest dwellers. Many of them have not been able to prove that they have been in possession of these lands for 75 years. In some cases, there have been multiple claims on the same land and in certain cases, there have been non-tribals also who have been claiming. There are the reasons that many of these lands have been rejected. But, if there have been any cases of injustice, if there have been any cases where these provisions of this Act have been violated and if those are brought to my notice, certainly we will enquire about it and take necessary action.

MADAM SPEAKER: Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure - Not present.

Shri Sanjay Nirupam.

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, मैं मुम्बई शहर के एक विषय की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां सब कुछ चमकता हुआ दिखता है। मुम्बई में एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, जिसमें 111 गांव ऐसे हैं, जहां सिर्फ आदिवासी रहते हैं। इन छोटे-छोटे गांवों में लगभग 30 से 40 हजार के करीब आदिवासी हैं। इनके जमीन के मालिकाना हक़ की बात तो दूर

है, इन्हें पानी का कनेक्शन तक नहीं मिला और राशन कार्ड भी नहीं है। ज़मीन का पट्टा देने का सवाल तो बाद में आएगा। मेरे चुनाव क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। जब मैं वन अधिकारियों या राज्य सरकार से बात करता हूं, तो वे कहते हैं कि यह एक संरक्षित वन भूमि है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त कायदे हैं, इसलिए हम यहां कुछ नहीं कर सकते हैं।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन आदिवासियों के अस्तित्व को मान्यता देने की दिशा में केंद्र सरकार कोई दख़ल देगी? आप कह रहे हैं कि इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट, फोरेस्ट लैंड,फोरेस्ट एक्ट और यह एक बहुत बड़ा पार्क है, जहां वाइल्ड लाइफ है और पेड़-पौधे बचा कर रखने हैं, जब ऐसी भावना ले कर, पता नहीं कितनी जनरेशन्स से वे आदिवासी वहां रह रहे हैं, उन आदिवासियों के अस्तित्व को राज्य सरकार नहीं मान रही है। क्या ऐसे मामले में केंद्र सरकार दखल देगी? उन जंगलों में जो नाले हैं, उन नालों में पानी के जो छोटे-छोटे स्रोत हैं, जहां जानवर भी पानी पीते हैं और उन्हीं स्रोतों से आदिवासी समाज के लोग पानी लेते हैं। उन्हीं स्रोतों पर कभी चीता आ जाता है, कभी बंदर आ जाता है, कभी गीदड़ आ जाता है और वहीं इन्हें जा कर पानी पीना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा मानवीय प्रश्न है। इस दिशा में मंत्री जी सरकार से बात करें। चाहे तो आप आकर संजय गांधी उद्यान का दौरा करें। वहां के आदिवासियों से मिलें और स्वयं एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हुए उन आदिवासियों के साथ न्याय कीजिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Madam Speaker, actually the forest areas in our country were not surveyed and no settlement was done. The purpose of this very Act, the Forest Rights Act itself, was to ensure that survey and settlement are made in the forest areas and that the people are given their pre-existing rights.

The hon. Member is right when he said that they have been staying there maybe for hundreds of years in certain cases.

The entire purpose of the Forest Rights Act was to ensure that these pre-existing rights are first recognized. Now, as far as recognition of rights is concerned, the process is on. If there has been any difficulty in a particular park that the hon. Member has mentioned, I will certainly write to the State Government and get their response. We will also ask them to pursue this matter, if it is not still settled.

But I would also like to inform the House and the hon. Member that as per Section 6 (1), the Gram Sabha has to initiate the process. Once the Gram Sabha initiates the process, then if the areas mentioned are not there, they will be … (*Interruptions*)

SHRI SANJAY NIRUPAM : There is no Gram Sabha in Mumbai. There is only the Mumbai Municipal Corporation. It is not included … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him reply.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: But you have mentioned about certain people living in the National Park. Apparently they have to be in some habitations over there. So, the people are living in those habitations. I am sure that they are a group of villages. So, the people who are living there constitute the Gram Sabha. They will have to pass a Resolution. They have to do it as has been defined in Section 2 (P) of the Act. Once that process is on, definitely, I think, the rest will follow.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं मंत्री जी को नया पद मिलने पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उनका ध्यान इस प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं कि लगभग 30 लाख से ज्यादा क्लेम फाइल किए गए और 11 लाख लोगों को उनका हक़ मिला। 50 प्रतिशत क्लेम रिजैक्ट कर दिए गए और 25 प्रतिशत लोगों को उनका हक़ मिल पाया। क्या आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी इस देश में यह हाल रहेगा कि जहां इस एक्ट के अंतर्गत उनको जो लाभ मिलना चाहिए, आज भी उनको नहीं मिल पाया है। कारण जानने की आवश्यकता है। क्या कारण रहे होंगे कि जो ज़मीन सरकार द्वारा दी गई या जो अधिकार उनको दिए गए, वह भी आज तक उनको नहीं मिल पाए?

क्या सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, वह इसका एक कारण है या जैसा मंत्री जी ने बताया केवल यह कारण है कि वे अपनी ओर से पूरे सबूत नहीं दे पाएं कि वे कितने वर्षों से वहां रह रहे थे। यह भी जानने की आवश्यकता है कि क्या अपने ही सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको उनके अधिकार नहीं देना चाहते हैं। एक कारण तो यह भी है कि वे लोग वनों से बाहर नहीं आना चाहते हैं। आपकी चकाचौंध और इन बड़े-बड़े शहरों में वे नहीं आना चाहते। उनको वे मूलभूत सुविधाएं, चाहे वह सड़क की व्यवस्था हो, अस्पताल की हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, क्या हम आज तक उन्हें वे भी दे पाएं हैं? शायद हममें ही कमी रह गयी

जिससे आज नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा सिस्टम फेल हुआ है। मैं मंत्री जी से आज यह जानना चाहता हूं कि इस पद को संभालने के बाद वे ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि हमें यह रिपोर्ट न मिल पाए कि 50 प्रतिशत लोगों के क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए? क्या आप कोई सोसायटी बनाएंगे? क्या आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंतर्गत उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिले और जो हक उन्हें मिलने चाहिए थे, वे भी मिलें जिससे लोग नक्सलवाद की ओर आकर्षित न हो।

अध्यक्ष महोदया : समय कम है, मंत्री जी को जवाब के लिए भी समय दीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : वहां पर जो संसाधन हैं, हम उनका तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन बदले में क्या हम उनको मूलभूत सुविधाएं भी दे पा रहे हैं या नहीं? मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी वे इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे?

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Madam Speaker, I agree with the hon. Member when he says that it is a cause of neglect; there is a lot of depression and oppression as far as these people are concerned in these areas, which has led to some kind of unrest and undesirable activities, which have been taking place in these regions.

Well I would like to only impress upon the House that this Forest Rights Act was only the first step to ensure that these people who have got the initial rights are recognized. Once their rights are recognized, once they are given the *pattas,* then automatically, sanitation, water supply and other things would follow. There are provisions in the Act also to see that certain space is set aside for providing schools, health facilities, community centres and the like.

As far as the rejections of rights are concerned, I have already mentioned; and I would again like to repeat that most of the rejections pertain to other traditional forest dwellers. For them, they have to prove that they have remained in the areas and ate out of the livelihood from this forest for a period of 75 years. Due to lack of proper evidence in many of the cases, their cases have been rejected. But if there is any kind of corruption; if there are any genuine cases, which deserve to be mentioned; and where we need to take a fresh look, the hon.

Member may please give me such particulars. I will certainly forward it to the State Government and ensure that these things are properly looked into.

MADAM SPEAKER: Q. No. 84 – Shri Jaywantrao Awale.

We have very little time. So, we should wind up within the time available.

(Q. No. 84)

श्री जयवंत गंगाराम आवले : धन्यवाद महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने डेंगू बुखार का कोई स्थायी इलाज़ खोजा है? अगर हां तो रोगियों को यहां इलाज़ कब तक उपलब्ध हो जाएगा और अगर नहीं तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कब तक इसका इलाज़ खोजा जा सकता है?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, the Government of India is implementing an Integrated National Vector-Borne Disease Control Programme under the overarching umbrella of National Rural Health Mission for prevention and control of vector-borne diseases.

The main strategy for prevention and control of these vector-borne diseases focuses on early detection and complete treatment of cases, integrated vector control and behavioral change communication. The programme is implemented through the States and the Union Territories.

Under the National Vector-Borne Disease Control Programme for prevention of malaria, distribution of long lasting insecticidal nets has been scaled up in high malaria endemic States. For ensuring early diagnosis and prompt treatment of Plasmodium falciparum malaria, rapid diagnostic tests; and medicine and drug based combination therapies are used through ASHAS and other community workers.

12.0 ½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI DINSHA PATEL): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Copper Limited and the Ministry of Mines for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4594/15/11)

(2) Memorandum of Understanding between the Mineral Exploration Corporation Limited and the Ministry of Mines for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4595/15/11)

(3) Memorandum of Understanding between the National Aluminum Company Limited and the Ministry of Mines for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4596/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (Report No. 6 of 2011-12) (Performance Audit)-Audit Report on XIXth Commonwealth Games, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4597/15/11)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 33 of 2010-11)-Railways Finances for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4598/15/11)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 34 of 2010-11) for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4599/15/11)

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) Autonomous Bodies (No. 38 of 2011-12) for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4600/15/11)

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 7 of 2011-12) Coast Guard Performance Audit-Role and Functioning of Indian Coast Guard for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4601/15/11)

(vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 8 of 2011-12)-Performance Audit of Fertilizer Subsidy-Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4602/15/11)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Appropriation Accounts (Part-I-Review) of the Indian Railways for the year 2009-2010.

(ii) Appropriation Accounts (Part-II-Detailed Appropriation Accounts) of the Indian Railways for the year 2009-2010.

(iii) Appropriation Accounts [Part-II-Detailed Appropriation Accounts (Annexure-G)] of the Indian Railways for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 4603/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): On behalf of my colleague, Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 16th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto – June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4604/15/11)

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Security Printing and Minting Corporation of India Limited and the Ministry of Finance for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4605/15/11)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 21 of the Coinage Act, 1906:-

(i) The Coinage of the Fifty Paise, One Rupee and Two Rupees Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 374(E) in Gazette of India dated the 10th May, 2011.

(ii) The Coinage of the Five Rupees coins containing Nickel Brass Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 375(E) in Gazette of India dated the 10th May, 2011.

(iii) The Coinage of Bi-Metallic coin or Rupees Ten Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 376(E) in Gazette of India dated the 10th May, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4606/15/11)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Stock, Brokers and Sub-brokers) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/01/11486 in Gazette of India dated the 6th April, 2011.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/03/12650 in Gazette of India dated the 19th April, 2011.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/05/13907 in Gazette of India dated the 29th April, 2011.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/06/13995 in Gazette of India dated the 2nd May, 2011.

(v) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No.

LAD-NRO/GN/2011-12/13/21222 in Gazette of India dated the 5th July, 2011.

(vi) The Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/15/21214 in Gazette of India dated the 5th July, 2011.

(vii) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/09/21233 in Gazette of India dated the 5th July, 2011.

(viii) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an issue and share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/11/21228 in Gazette of India dated the 5th July, 2011.

(ix) The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/10/21232 in Gazette of India dated the 5th July, 2011.

(x) The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/12/21225 in Gazette of India dated the 5th July, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4607/15/11)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R. 180(E) published in Gazette of India dated 3rd March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 4/2006-CE dated 1st March, 2006.

(ii) G.S.R. 232(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum exempting mobile handsets including cellular phones from so much of the duty of excise leviable thereon.

(iii) G.S.R. 233(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 1/2011-CE dated 1st March, 2011.

(iv) G.S.R. 234(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 2/2011-CE dated 1st March, 2011.

(v) G.S.R. 235(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 3/2006-CE dated 1st March, 2006.

(vi) G.S.R. 236(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 4/2006-CE dated 1st March, 2006.

(vii) G.S.R. 237(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 5/2006-CE dated 1st March, 2006.

(viii) G.S.R. 238(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 6/2006-CE dated 1st March, 2006.

(ix) G.S.R. 239(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum exempting waste, parings and scrap arising in the course of manufacture of goods, subject to certain conditions.

(x) G.S.R. 240(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 8/2003-CE dated 1st March, 2003.

(xi) G.S.R. 241(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 63/95-CE dated 16th March, 1995.

(xii) G.S.R. 242(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2004-CE dated 9th July, 2004.

(xiii) G.S.R. 243(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum exempting all goods bearing a brand name or sold under a brand name under from the whole of Excise Duty leviable thereon, subject to certain conditions.

(xiv) The Central Excise (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 244(E) in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum.

(xv) The CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 245(E) in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum.

(xvi) G.S.R. 246(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum exempting from the operation of the Central Excise Rules, 2002 to every mine engaged in the production or manufacture of goods where the producer or manufacturer of such goods has a centralized billing or accounting system.

(xvii) G.S.R. 247(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 49/2008-CE(N.T.) dated 24th December, 2008.

(xviii) G.S.R. 248(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 20/2001-CE (N.T.)dated 30th April, 2001.

(xix) G.S.R. 249(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-CE dated 1st March, 2002.

(xx) The CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 286(E) in Gazette of India dated 31st March, 2011 together with an explanatory memorandum.

(xxi) G.S.R. 332(E) published in Gazette of India dated 20th April, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 62/1995-CE dated 16th March, 1995.

(xxii) G.S.R. 486(E) published in Gazette of India dated 25th June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 4/2006-CE dated 1st March, 2006.

(Placed in Library, See No. LT 4608/15/11)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R. 107(E) published in Gazette of India dated 24th February, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/1996-Cus., dated 23rd July, 1996.

(ii) G.S.R. 249(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated 1st March, 2002.

(iii) G.S.R. 250(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 20/2006-Cus., dated 1st March, 2006.

(iv) G.S.R. 321(E) published in Gazette of India dated 15th April, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated 1st March, 2002.

(v) G.S.R. 322(E) published in Gazette of India dated 15th April, 2011 together with an explanatory memorandum exempting all goods, other than those which are clearly not to be used as fertilizers, when imported into India from so much of additional duty of customs leviable thereon.

(vi) G.S.R. 377(E) published in Gazette of India dated 10th May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated 1st March, 2002.

(vii) G.S.R. 405(E) published in Gazette of India dated 25th May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 51/2008-Cus., dated 21st April, 2008.

(viii) G.S.R. 422(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 96/2008-Cus., dated 13th August, 2008.

(ix) G.S.R. 423(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2011 together with an explanatory memorandum providing duty concession to Philippines and other ASEAN countries in view of India ASEAN FTA.

(x) G.S.R. 471(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 107/2008-Cus., dated 6th October, 2008.

(xi) G.S.R.380(E) published in Gazette of India dated 15th February, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.) dated 3rd August, 2001.

(xii) G.S.R.430(E) published in Gazette of India dated 24th February, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 6/2011-Cus.(N.T.), dated 27th January, 2011.

(xiii) G.S.R. 450(E) published in Gazette of India dated 28th February, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xiv) G.S.R. 566(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xv) G.S.R. 646(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 14/2011-Cus.(N.T.), dated 24th February, 2011.

(xvi) G.S.R. 668(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xvii) G.S.R. 748(E) published in Gazette of India dated 15th April, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xviii) G.S.R. 841(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 24/2011-Cus.(N.T.), dated 29th March, 2011.

(xix) G.S.R. 912(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xx) G.S.R. 1047(E) published in Gazette of India dated 13th May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xxi) G.S.R. 1223(E) published in Gazette of India dated 27th May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 32/2011-Cus.(N.T.), dated 27th April, 2011.

(xxii) G.S.R. 1234(E) published in Gazette of India dated 31st May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xxiii) G.S.R. 1400(E) published in Gazette of India dated 15th June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

(xxiv) G.S.R. 487(E) published in Gazette of India dated 25th June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus.(N.T.), dated 1st March, 2002.

(xxv) G.S.R. 501(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus.(N.T.), dated 1st March, 2002.

(xxvi) G.S.R. 499(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2011 seeking to prescribe preferential tariff for specified goods imported from Malaysia under the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement subject to fulfillment of Rules of Origin.

(xxvii) The Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2011 published in Notification No. G.S.R. 290(E) in Gazette of India dated 1st April, 2011 together with an explanatory memorandum.

(xxviii) G.S.R. 1541(E) published in Gazette of India dated 6th July, 2011, together with an explanatory memorandum assigning the functions of the proper officer to the officers of Directorate of Revenue Intelligence, Directorate General of Central Excise Intelligence, Preventive Commissionerates and Central Excise Commissionerates for the purposes of Section 17 and 18 of the Customs Act, 1962.

(Placed in Library, See No. LT 4609/15/11)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R. 95(E) published in Gazette of India dated 16th February, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on all import of circular weaving machines having six or more shuttles for weaving PP/HDPE Fabrics of a width exceeding 30 cms originating in, or exported from China PR and Austria.

(ii) G.S.R. 98(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to extend levy of anti-dumping duty imposed on imports of Sodium Nitrate, originating in, or exported from, People's Republic of China, upto and inclusive of 30th June, 2011, pending finalization of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and allied duties.

(iii) G.S.R. 186(E) published in Gazette of India dated 4th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 87/2005-Cus., dated 27th September, 2005.

(iv) G.S.R. 187(E) published in Gazette of India dated 4th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 42/2010-Cus., dated 5th April, 2010.

(v) G.S.R. 188(E) published in Gazette of India dated 4th March, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on "Glass Fibre", originating in, or exported from China PR, when imported into India.

(vi) G.S.R. 265(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 33/2006-Cus., dated 7th April, 2006.

(vii) G.S.R. 328(E) published in Gazette of India dated 18th April, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-duping duty on imports of Acetone, originating in, or exported from Thailand and Japan at the specified rates.

(viii) G.S.R. 336(E) published in Gazette of India dated 21st April, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 121/2006-Cus., dated 26th December, 2006.

(ix) G.S.R. 371(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 45/2006-Cus., dated 24th May, 2006.

(x) G.S.R. 395(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to pro*vide* for provisional assessment of imports of vitrified porcelain tiles when exported to India by M/s Jiangxi Zhengda Ceramics Company Limited, China PR (producer) through M/s Foshan Z&D Ceramics Company Limited, China PR (exporter) without collecting anti-dumping duty already imposed *vide* Notification No. 82/2008-Cus., dated 27.06.2008 subject to such security as the proper officer deems fit.

(xi) G.S.R. 415(E) published in Gazette of India dated 27th May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 121/2006-Cus., dated 26th December, 2006.

(xii) G.S.R. 416(E) published in Gazette of India dated 27th May, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to pro*vide* provisional assessment to imports of Acetone, originating in, or exported from Chinese Taipei by M/s Chang Chun Plastics Company Limited (exporter), pending the outcome of New Shipper Review.

(xiii) G.S.R. 450(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to levy final anti-dumping duty on imports of Pentaerythritol, originating in, or exported from the China PR at the rate of USD 515/MT.

(xiv) G.S.R. 457(E) published in Gazette of India dated 15th June, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to extend levy of anti-dumping duty imposed on imports of 'Metronidazole', originating in, or exported from the China PR, upto and inclusive of 15th June, 2012, pending finalization of Sunset review investigations

being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(xv) G.S.R. 473(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on the import of the Sewing Machine Needles, originating in, or exported from the China PR.

(xvi) G.S.R. 519(E) published in Gazette of India dated 7th July, 2011 together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 54/2008-Cus., dated 28th April, 2008.

(xvii) G.S.R. 525(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011 together with an explanatory memorandum seeking to impose definite anti-dumping duty on imports of "Sodium Tripoly Phosphate", originating in, or exported from China PR at the specified rates, in pursuance of the final findings dated 3rd May, 2011 of the Designated Authority.

(Placed in Library, See No. LT 4610/15/11)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) G.S.R. 266(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 7/2010-Service Tax dated 27th February, 2010.

(ii) G.S.R. 267(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 8/2010-Service Tax dated 27th February, 2010.

(iii) G.S.R. 268(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2011 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 9/2010-Service Tax dated 27th February, 2010.

(iv) The Export of Services (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 280(E) in Gazette of India dated 31st March, 2011, together with an explanatory memorandum.

(v) The Taxation of Services (Pro*vide*d from Outside India and Received in India) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 281(E) in Gazette of India dated 31st March, 2011, together with an explanatory memorandum.

(vi) The Service Tax (Determination of Value) Second Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 282(E) in Gazette of India dated 31st March, 2011, together with an explanatory memorandum.

(vii) The Point of Taxation (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 283(E) in Gazette of India dated 31st March, 2011, together with an explanatory memorandum.

(viii) The Service Tax (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 284(E) in Gazette of India dated 31st March, 2011, together with an explanatory memorandum.

(ix) G.S.R. 285(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 19/2009-Service Tax, dated 7th July, 2009.

(x) G.S.R. 293(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to notify certain taxable services as continuous supply of service.

(xi) G.S.R. 338(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum exempting the taxable service referred to in Section 65 (105)(zzzzo) finance Act, 1994

from the whole of service tax leviable under Section 66 of the said Act.

(xii) G.S.R. 339(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to exempt the taxable service referred to in Section 65(105)(zzzzw) of the Finance Act, 1994, when the declared tariff is less than Rs. 1000 from the whole of service tax leviable under Section 66 of the said Act .

(xiii) G.S.R. 340(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 25/2006-Service Tax dated 13th July, 2006.

(xiv) G.S.R. 341(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to exempt any preschool coaching and training any coaching or training leading to grant of certificate/diploma/degree recognized by law when pro*vide*d by any commercial coaching or training centre from whole of Service Tax leviable under Section 66 of the Finance Act, 1994.

(xv) G.S.R. 342(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 1/2006-Service Tax dated 1st March, 2006.

(xvi) The Service Tax (Third Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R 343(E) in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum.

(xvii) The Taxation of Services (Pro*vide*d from Outside India and Received in India)(Third Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R 345(E) in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum.

(xviii) The Export of Services (Third Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R 344(E) in Gazette of India dated 25th April, 2011, together with an explanatory memorandum.

(xix) G.S.R. 447(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 07/2010-Service Tax, dated 27th February, 2010.

(xx) G.S.R. 448(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 08/2010-Service Tax, dated 27th February, 2010.

(xxi) G.S.R. 449(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 09/2010-Service Tax, dated 27th February, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4611/15/11)

(9) A copy of the Notification No. G.S.R 432(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd June, 2011 exempting the individual premises from registration where the producer or manufacturer of recorded smart cards has a centralized billing or accounting system in respect of such goods produced or manufactured by these individual premises and opts for registering only the premises or office from where such centralized billing or accounting is done under sub-rule (2) of Rule 9 of the Central Excise Rules, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 4612/15/11)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (First Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 495(E) in Gazette of India dated 9th March, 2011 together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 647(E) in Gazette of India dated 29th March, 2011 together with an explanatory memorandum.

(iii) The Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 693(E) in Gazette of India dated 5th April, 2011 together with an explanatory memorandum.

(iv) The Income-tax (4th Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 694(E) in Gazette of India dated 5th April, 2011 together with an explanatory memorandum.

(v) The Income-tax (5th Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 1214(E) in Gazette of India dated 26th May, 2011 together with an explanatory memorandum.

(vi) The Income-tax (6th Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 1497(E) in Gazette of India dated 1st July, 2011 together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 4613/15/11)

(11) A copy of the Notification No. G.S.R. 435(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th February, 2011 together with an explanatory memorandum notifying the United Stock Exchange of India Limited as a recognized Stock Exchange for the purpose of the Section 43(5) of Income tax Act, 1961 issued under section 43 of the Income Tax Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 4614/15/11)

(12) A copy of the Notification No. G.S.R. 1046(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 13th May, 2011 together with an explanatory memorandum notifying the rate of interest as 9.5% to be credited in the employee's account of a recognized pro*vide*nt fund w.e.f. 1st of September, 2010 for the year 2010-11 issued under Rule 6 of the Income Tax Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 4615/15/11)

(13) A copy of the Notification No. G.S.R. 1438(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 23rd June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O. 709(E) dated 20th August, 1998 issued under section 48 of the Income Tax Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 4616/15/11)

(14) A copy of the Notification No. G.S.R. 1439(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 23rd June, 2011 together with an explanatory memorandum exempting an individual whose total income for the assessment year, 2011-12 does not exceed Rupees Five lakh and consists of only income chargeable to income-tax under some specified conditions specified therein, from the requirement of furnishing a return of income issued under section 139 of the Income Tax Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 4617/15/11)

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under the Prevention of Money Laundering Act, 2002:-

(i) G.S.R. 1029(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2010 together with an explanatory memorandum containing

corrigendum to the Notification No. G.S.R. 18(E) dated the 7th January, 2010.

(ii) G.S.R. 1030(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2010 together with an explanatory memorandum containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 19(E) dated the 7th January, 2010.

(iii) G.S.R. 1031(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2010 together with an explanatory memorandum containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 20(E) dated the 7th January, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4618/15/11)

(16) A copy of the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authority) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 189(E) in Gazette of India dated 7th March, 2011 under section 74 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 4619/15/11)

(17) A copy of the Notification No. G.S.R. 337(E) (Hindi and English versions) in Gazette of India dated 25th April, 2011 together with an explanatory memorandum appointing the 1st day of May, 2011, as the date on which the provisions of the Finance Act, 2011 shall come into force issued under Section 74 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 4620/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): On behalf of my colleague, Shri S. Gandhiselvan, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4621/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 4622/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2009-2010.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 4623/15/11)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970:-

(i) The Indian Medicine Central Council (Postgraduate Ayurveda Education) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. 4-90/2009/Ay.PG Regulations in weekly Gazette of India dated the 8th April, 2011.

(ii) The Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. 4-90/2009/Ay.PG Regulations in weekly Gazette of India dated the 8th April, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4624/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Power Training Institute, Faridabad, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Power Training Institute, Faridabad, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4625/15/11)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the NTPC Limited and the Ministry of Power for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4626/15/11)

(ii) Memorandum of Understanding between the Power Grid Corporation of India Limited and the Ministry of Power for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4627/15/11)

(iii) Memorandum of Understanding between the Power Finance Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4628/15/11)

(iv) Memorandum of Understanding between the SJVN Limited and the Ministry of Power for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4629/15/11)

(v) Memorandum of Understanding between the North Eastern Electric Power Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4630/15/11)

(vi) Memorandum of Understanding between the THDC India Limited and the Ministry of Power for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4631/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2009-2010.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 4632/15/11)

(6) A copy of the Annual Budget (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4633/15/11)

(7) A copy of the Notification No. F. No. 23/2/2005-R&R (Vol.V) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 8th July, 2011, making certain amendments in the para 5.1 and 7.1 of the Tariff Policy 2006 notified under Section 3 of the Electricity Act, 2003, under Section 179 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 4634/15/11)

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

12th and 13th Reports

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2010-11):--

(1) Twelfth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution); and

(2) Thirteenth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

12.03 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

14th and 15th Reports

SHRI SHARAD YADAV (MADHEPURA): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Urban Development (2010-11):-

(1) Fourteenth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Urban Development.

(2) Fifteenth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

12.04 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 8th of August, 2011, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the following Bills:-
   (a) The National Institute of Technology (Amendment) Bill, 2010;
   (b) The Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010;
   (c) The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011—to replace an Ordinance;
   (d) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011—to replace an Ordinance; and
   (e) The Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009.
3. Consideration and passing of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Amendment) Bill, 2011, as passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
   (a) The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010; and
   (b) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2010.

अध्यक्ष महोदया: कृपया शान्त हो जाइये। डॉ. राजन सुशान्त।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विाय डालने की कृपा करें:

1. जम्मू-कश्मीर राज्य की प्रगति व न्याय हेतु तुरन्त आबादी (जनसंख्या) के आधार पर डीलिमिटेशन (पुनर्सीमांकन) करना, पंचायतों को देश के अन्य राज्यों की तरह शक्तियां प्रदान करना व लगभग 13 लाख शरणार्थियों की समस्याओं को तुरन्त हल करना।

2. हिमाचल प्रदेश को वन, वायु, वारी, विद्युत आदि तथा रेलवे में उचित हिस्सा व न्याय देना।

3. हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों के गुरिल्लाओं की समस्याओं को शीघ्र हल कर न्याय प्रदान करना।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, kindly include the following matters in the business of next week:

1) In view of the competitive economic scenario, Government should formulate a 'National Wage Policy".

2) In the context of poor health infrastructure, Government should initiate legislation for "Right to Health".

………

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विाय जोड़े जाएं।

1. बिहार राज्य के नालन्दा जिले के राजगीर स्थित आयुध फैक्ट्री के तीन यूनिट में एक यूनिट जिस पर 1100 करोड़ रूपए खर्च आया है, को यथाशीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता।
2. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा में अर्हक प्रतिशतता साठ प्रतिशत को कम किए जाने की आवश्यकता, क्योंकि इससे शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के लिए आवश्यक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाएगी।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित वियों को शामिल करने का कट करें।

1. मुंबई-दिल्ली राट्रीय राजमार्ग पर भरूच के पास झाड़ेश्वर चौकड़ी पर लंबे मार्ग के यातायात एवं भारी वाहनों के लिए एक घंटे से दो घंटे के जाम के कारण हो रही स्थानीय लोगों एवं बाहर के लोगों की दिक्कत को देखते हुए झाड़ेश्वर चौकड़ी पर एक ओवर ब्रिज बनाए जाने का कार्य करें।

2. देश में चल रहे जनजातियों के कल्याणकारी एवं योजनाओं के संबंधित कार्यों पर किए जा रहे खर्चे एवं उनके द्वारा किए जा रहे दुरूपयोग के कार्य के बारे में।

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): Madam, kindly permit to include the following subjects in the agenda of next week of Parliament business.

1) Paddy, sugarcane, jam fruit, cashew, banana and groundnut are the major agricultural products in my parliamentary constituency Cuddalore. The farmers of this area are illiterate and innocent and they are working in old pattern. The work of setting up of a research centre for the above mentioned agricultural products or any one product in my parliamentary constituency Cuddalore to enable use of the latest technology may be taken up.
2) The work of extending the train service between Bangalore and Viruthachalam up to Cuddalore be taken up for facilitating railway passengers of Cuddalore district and nearby places.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam, I wish to submit that the following items be included in the next week's agenda:

1. Bye-pass at Panagarh at National Highway No.2, in West Bengal has not been constructed. Widening of NH-2 at that place is not possible because a number of structures are to be dismantled. This causes serious traffic congestion. Hence I demand that work on a bye-pass at NH-2 be immediately undertaken.
2. There is a Railway over-bridge at Burdwan-Katwa road at Burdwan in West Bengal. The over-bridge is in a dilapidated condition. It causes much traffic congestion. So, the Railway Board should come forward to build a four lane over-bridge there immediately.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित वियों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. अहमदाबाद से उदयपुर वाया हिम्मतनगर में अमान परिवर्तन किए जाने के कार्य में तेजी एवं आवश्यक फंड उपलब्ध कराने का कार्य।
2. गुजरात में स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में मांग के अनुरूप उर्वरक की आपूर्ति किए जाने का कार्य।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए जो कार्यक्रम सदन में परस्तुत किया है उसमें मैं निम्नलिखित प्रस्ताव जोड़ने के लिए उपस्थापित करता हूं :-

1. बिहार को विशिट राज्य का दर्जा केन्द्र प्रदान करें ।
2. बिहार के नवादा जिला में 8 एकड़ जमीन केन्द्रीय विद्यालय के लिए निबंधन होने के बावजूद अभी तक मानव संसाधन विकास विभाग ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कदम नहीं उठाया है, के संबंध में।

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया जाए :-

1. मध्यप्रदेश देश का प्रमुख कृगि उत्पादन का प्रदेश है परन्तु रबी फसल बोने के लिए रासायनिक खाद नहीं दी जा रही है। कृपया केन्द्र सरकार तत्काल इसकी व्यवस्था करे।
2. मध्यप्रदेश की बरगी सिंचाई परियोजना की दायीं तट नहर को राट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए।

MADAM SPEAKER: Now, the Calling Attention – Shrimati Sushma Swaraj to call the attention of the Minister.

… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO (ELURU): Madam, this Calling Attention has been given by the Leader of the Opposition without knowing the facts and figures about the State, exclusively on political grounds. There is a precedent … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let her speak.

… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO: The point is that in the Calling Attention, only BJP people are given opportunity and other persons from Telangana … (*Interruptions*)

But most of us are representing the current form of the State of Andhra Pradesh. So, we must be given an opportunity to speak. … (*Interruptions*)

श्री सर्वे सत्यनारायण (मल्काजगिरि): तेलंगाना देना ही पड़ेगा। ।...(व्यवधान) तेलंगाना की चर्चा होनी ही चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Okay, I have heard you.

… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO : We would not have bothered if it were to be anybody else … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, सत्ता पक्ष बोल रहा है। … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You are going to speak. I have told you. Then, why are you raising it? Please sit down.

अध्यक्ष महोदया : इतना आवेश में नहीं आते हैं। इतना ज्यादा उत्तेजित नही होइए। बैठिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ध्यानार्कांण चलने दीजिए। There is a Calling Attention going on. Let it go on. Please take your seat.

12.13 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of delay in creation of Telangana State and steps taken by the Government

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विाय की तरफ आकृट कराना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

> "तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति
> तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, hon. Members are aware of the circumstances under which the Government of India set up a five member Committee under the Chairmanship of Mr. Justice (Retd.) B.N. Srikrishna in February 2010. The Committee was requested to hold consultations with all sections of the people and all political parties and groups in Andhra Pradesh to examine the situation in the State of Andhra Pradesh with reference to the demand for a separate State of as well as the demand for maintaining the present status of a united Andhra Pradesh.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I would request that a copy of the statement may be given to me also.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have given copies.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: No, I have not got the copy. That is why, I am saying.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have given the copies.

This Committee submitted its report on December 30, 2010. In its report, the Committee has listed the following six solutions/possible options as the way forward:

(i) Maintaining *status quo*,

(ii) Bifurcation of the State into Seemandhra and , with Hyderabad as a Union Territory and the two States developing their own capitals in due course,

(iii) Bifurcation of the State into Rayala- and coastal Andhra regions with Hyderabad being an integral part of Rayala-,

(iv) Bifurcation of Andhra Pradesh into Seemandhra and with enlarged Hyderabad Metropolis as a separate Union Territory. This Union Territory will have geographical linkage and contiguity *via* Nalgonda district in the southeast Guntur in coastal Andhra and *via* Mahboobnagar district in the south to Kurnool district in Rayalaseema,

(v) Bifurcation of the State into and Seemandhra as per existing boundaries with Hyderabad as the capital of and Seemandhra to have a new capital,

(vi) Keeping the State united by simultaneously providing certain definite Constitutional/Statutory measures for socio-economic development and political empowerment of region - creation of a statutorily empowered Regional Council.

Following the submission of the report, I convened a meeting of all the major political parties represented in the Andhra Pradesh State Legislature on January 6, 2011 and requested them to consider the report of the Justice Srikrishna Committee and form an opinion in this regard.

The consultation process with various political parties of Andhra Pradesh is continuing. A suitable decision will be taken in the light of these discussions. The Government of India is keeping a close watch on the political developments as well as on the law and order situation in the State.

Meanwhile, the Chief Minister of Andhra Pradesh requested the Government of India to consider the demand to delete paragraph 14(f) of the Andhra Pradesh Public Employment (Organization of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order 1975. Under paragraph 14(f) of the Order,

any post of Police Officer, as defined in section 3 (b) of the Hyderabad City Police Act, 1348 F, is exempted from the purview of aforesaid Order. This implied that Hyderabad City would be a 'free zone' for the purpose of recruitment to the police. The deletion of paragraph 14(f) would include Hyderabad city in Zone VI for the purpose of recruitment to the police of the city. The Chief Minister commended the resolution of the Andhra Pradesh Legislative Assembly dated March 18, 2010 that supported deletion of paragraph 14(f).

After careful consideration, Government has decided to recommend to the President that clause (f) of paragraph 14 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organization of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975 may be deleted subject to the Resolution on the subject earlier passed being re-iterated by the Legislative Assembly of Andhra Pradesh. The decision of the Government was communicated to the State Government on July 13, 2011 for suitable action.

The Chief Minister, *vide* letter dated August 1, 2011, has informed the Government of India that the earlier resolution of the Legislative Assembly dated March 18, 2010 still holds good and there is no change in the composition of the Legislative Assembly. He has, therefore, requested that a recommendation may be made to the President on the basis of the resolution of March 18, 2010. The matter is under active consideration.

The Government would like to make an earnest appeal to all sections of the people in Andhra Pradesh that they should allow the consultation process to reach its logical conclusion. Meanwhile, the Government would like to reiterate the appeal issued at the end of the all party meeting on January 6, 2011 that 'peace, harmony, and law and order should be maintained in the State of Andhra Pradesh.'

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से 17 एमपीज़ इस सदन में जीतकर आते हैं, लेकिन 13 एमपीज़ ने अपनी पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। …(व्यवधान) इसी तरह आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 119…(व्यवधान)

SHRI SARVEY SATYANARAYANA (MALKAJGIRI): Madam, it is not 13 Members. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Yes, it is 13 Members.… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO : Is the Leader of the Opposition saying this? … (*Interruptions*) Twelve Members of Lok Sabha did not resign. … (*Interruptions*) It is wrong information being mentioned here. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, इस्तीफे आपके पास पड़े हैं। आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 119 लोग तेलंगाना रीजन से जीतकर आते हैं और 101 लोगों ने आंध्र प्रदेश की विधान सभा से इस्तीफा दे दिया। अभी आपके सामने एक साथी उधर से बोल रहे थे कि तेलंगाना के विाय में चर्चा होनी चाहिए।…(व्यवधान)

DR. K.S. RAO : Hon. Shrimati Sushma Swaraj, 13 Members of Lok Sabha did not resign. Shri S. Jaipal Reddy, Shri Anjankumar M. Yadav, and Shri Sarvey Satyanarayana have not resigned. … (*Interruptions*) How can you say that all the Members from Telangana have resigned? They are before you. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इन्होंने जिन तीनों के नाम लिए हैं, उन तीनों और एक अन्य यानी चार सदस्यों ने रिज़ाइन नहीं किया और 13 ने रिज़ाइन किया है। जिन तीनों के नाम हैं, यह सच है कि इन तीनों ने रिज़ाइन नहीं किया। जिन चार लोगों ने रिज़ाइन नहीं किया, इन्होंने उनके नाम लिए हैं कि श्री जयपाल रेड्डी ने रिज़ाइन नहीं किया और बाकी दो ने रिज़ाइन नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रही थी कि देश की लोक सभा और आंध्र प्रदेश की विधान सभा में धीरे-धीरे बेज़ुबान हो रहे तेलंगाना को ज़ुबान देने के लिए मैंने यह ध्यानार्काण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संर्घा की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता नहीं इस सदन में कितने लोगों को यह मालूम है कि भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आजाद नहीं हुआ। तेलंगाना 17 सितम्बर, 1948 को आजाद हुआ, यानी भारत की आजादी के भी एक र्वा से ज्यादा संर्घा करके, हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। अभी वे आजादी की पूरी खुशी मना भी नहीं पा रहे थे कि उनके सिर पर आंध्र प्रदेश के साथ विलय की तलवार लटक गयी। वे लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं

चाहते थे, इसलिए विरोध शुरू हुआ। र्वा 1953 में एक फजल अली कमीशन बैठा। उन्होंने कहा कि यह विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है, तो र्वा 1961 का एक चुनाव हो जाने दो। वहां तेलंगाना के रीजन से आये हुए अगर दो-तिहाई विधायक यह कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो, तब करना वर्ना मत करना।

अध्यक्ष महोदया, मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूं कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री, बहुत पापुलर प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी उस समय प्रधान मंत्री थे। उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए यह कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट लड़की, एक भोली-भाली लड़की की शादी एक मिसचीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाये। उन्होंने यह कहा था कि यह शादी नहीं चलेगी। जब यह शादी न चले, तो यह पति-पत्नी की तरह अलग-अलग हो जायें। ...(व्यवधान)

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): No, he never said that. … (*Interruptions*) He never said that. … (*Interruptions*) He never said that. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप क्यों खड़े हो गये? आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मैं पंडित जी को कोट कर रही हूं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You will get your chance to speak.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You will get your chance to speak. Let her speak.

… (*Interruptions*)

SHRI L. RAJAGOPAL : Panditji never uttered those words. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मैं अपने किसी नेता का बयान नहीं बता रही। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You will get your chance. Your name is there.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You will get your chance. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : पंडित जी का यह बहुचर्चित कोट है। ...(व्यवधान)

SHRI SARVEY SATYANARAYANA (MALKAJGIRI): As rightly mentioned by Sushmaji, Panditji said that Telangana is like an innocent baby being married to a mischievous boy, an Andhrite. They should live together for long. If this baby demands divorce, it should be granted. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You will get your chance. Please sit down, Sarvey Satyanarayanaji.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये। सर्वे सत्यानारायण जी, आप बैठ जाइये।

*(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Sushmaji is saying.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You will get your chance. उस समय आप बोलिये। अभी आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

SHRI L. RAJAGOPAL : We want the name of Pandit Nehru to be deleted from the record. … (*Interruptions*)

SHRI SARVEY SATYANARAYANA : Pandit Nehru said that. He has compared Telangana with a baby. … (*Interruptions*)

*(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : सुामा जी, आप बोलिये।

… (व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मैं किसी भाजपाई नेता का कोट नहीं कह रही। यह पंडित जी का बहुचर्चित कोट है, जो उस समय के अखबारों में छपा था। मैं इन्हें कहना चाहती हूं कि 6 मार्च, 1956 का इंडियन एक्सप्रेस निकाल कर देख लें, इनवर्टेड कोमाज़ में यह कोट छपा हुआ है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : तेलंगानाना के लोगों के विरोध के बावजूद यह विलय हो गया।... (*Interruptions*)

SHRI L. RAJAGOPAL : You can read the speeches of Pandit Nehru available in our Parliament Library. … (*Interruptions*) You do not know even one per cent about Telangana and you are talking about Telangana. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You are getting your chance. You can speak whenever your turn comes.

… (*Interruptions*)

SHRI SARVEY SATYANARAYANA : They are opposing formation of Telangana State because they have vested interests. They are playing with the lives of innocent people. They should not behave like this. They are not politicians, but they are businessmen. They are playing with the lives of our people and innocent people are dying there. … (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO: You can speak in your own way. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

SHRI SARVEY SATYANARAYANA : There is a virtual division between Telangana and Andhra. Separate Telangana State should be created. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये। तरह-तरह के फार्मूले अपनाए जैसे मुल्की रूल्स, प्रैजिडेंशियल आर्डर्स, फार्मूला नम्बर सिक्स, जीओ नम्बर 610, गिगलानी कमीशन बना।

इतने उपाय किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि सारे उपाय कागजों में रह गए, धरती पर नहीं उतर पाए। इस सबका नतीजा वही हुआ - मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। यह पुराना इतिहास इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले कहा था कि तेलंगाना के निर्माण में देरी हो रही है, शायद गृहमंत्री जी इरीटेट हो रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती थी। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं ले रही हूं। यह इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को यह समझ में आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है।

अब मैं वर्तमान पर आ रही हूं और वर्तमान शुरू करूंगी वर्ा 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से। वर्ा 2004 में कांग्रेस का टीआरएस के साथ समझौता हुआ, इकट्ठे चुनाव मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीम नगर की एक सभा में लोगों को आश्वासन दिया कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया और झोली भर-भरकर इनको वोट दिए। उसके बाद ये सरकार में आ गए, सरकार में टीआनरएस इनका एक पार्टनर था। पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक सीएमपी बना।...(व्यवधान) उस सीएमपी में...(व्यवधान) उस सीएमपी में इन्होंने तीन राइडर्स के साथ तेलंगाना की डिमाण्ड के बारे में लिखा :

> "The UPA Government will consider the demand for the formation of the Telangana State at an appropriate time after due consultations and consensus."

तीन राइडर्स इन्होंने लगाए। यह मई, 2004 का सीएमपी है जब सरकार बनी। उसके बाद जून में पहला राट्रपति अभिभााण हुआ। उसी सीएमपी से भााा उठाई गयी, मगर एक राइडर हटा दिया गया। मैं रा-ट्रपति अभिभााण से पढ़ रही हूं :

> "The Government will consider the demand for the formation of a Telangana State at an appropriate time and after due consultations."

इसमें कंसेन्सस शब्द हट गया। हमें लगा इवोल्यूशन हुआ है, तीन राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन शायद सरकार वाकई गंभीर है और वे कंसल्टेशन्स की बात करके रूक गए क्योंकि शायद कंसेन्सस होना संभव नहीं था, तो कंसेन्सस शब्द हटा दिया गया। यह राट्रपति का अभिभााण है जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धान्त होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको तो आप मानेंगे? सीएमपी के

आधार पर राट्रपति अभिभााण हुआ और उन्होंने एक राइडर हटाकर दो राइडर कर दिए। वा 2004 से 2009 तक, पूरा कार्यकाल निकल गया, लेकिन वह उचित समय नहीं आया। कंसल्टेशन्स हुई होंगी, बहुत राजनैतिक उठापटक हुई, टीआरएस से समझौता टूटा, उन्होंने रिजाइन किया, दुबारा चुनकर आए, फिर रिजाइन किया। उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में मैं नहीं जाना चाहती हूं। वा 2004 के बाद वा 2009 का चुनाव हुआ, तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमें टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला, इस बार कांग्रेस को झोली भर-भर जिताओ, तो शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और तेलंगाना से 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीतकर आए जिनमें से एक सदस्य अभी यहां बैठे हैं।

श्री सर्वे सत्यनारायण : दो सदस्य बैठे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, दो बैठे हैं, तभी मैंने कहा कि चार इधर बैठे हैं, 13 इस्तीफा देकर चले गए, इस्तीफा आपका भी है, मगर आप हाउस अटेंड कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप हाउस अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी ज़बान में ज़बान मिलाने वाला कोई एक स्वर तो है। ...(व्यवधान)

श्री सर्वे सत्यनारायण : हम न्याय के वास्ते लड़ रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, वा 2009 के चुनाव में 12 सांसद वहां से कांग्रेस के जीतकर आए, लेकिन छः महीने तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ा, तो 29 नवंबर, 2009 को टीआरएस के नेता के.एस. राव ने अनशन किया। यह विाय 7 नवंबर, 2009 को मैंने इस सदन में उठाया था। मैं आज पहली बार तेलंगाना पर नहीं बोल रही हूं। तेलंगाना का निर्माण मेरा यह हमेशा प्रिय विाय रहा है क्योंकि हमारे यहां से वहां एक भी एमपी जीता नहीं है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते यह हमारा फर्ज बनता है। पहले नेता, प्रतिपक्ष के तौर पर आडवाणी जी हमेशा बोलते रहे और मैं बताउंगी कि आडवाणी जी ने क्या-क्या बोला? अब मैं नेता, प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूं क्योंकि कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इतने बड़े विाय से अपने आपको अलग नहीं रख सकती है।

अध्यक्ष जी, 7 दिसम्बर को मैं बोली और वह विाय मैंने यहां उठाया। एक दिन के बाद यानि 9 दिसम्बर को आपने चेयर से इंटरवीन किया। के.सी. राव जी की हालत बिगड़ रही थी। आपने चेयर से कहा कि पूरे का पूरा सदन उनके बारे में चिंतित है, कुछ होना चाहिए। उसके बाद सदन में हर पार्टी के नेता बोले। गुरुदास दासगुप्ता जी बैठे हैं, वह बोले, शरद यादव जी बोले, मुलायम सिंह जी बोले, लालू जी बोले, अनंत गीते जी बोले, अजनाला जी बोले। कोई ऐसा नेता नहीं था जो यहां न बोला हो। यह 9 दिसम्बर की बात है और 9 दिसम्बर बहुत अहम् है तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में इसलिए मैं इसकी बात कर रही

हूं। आप 9 दिसम्बर को बोलीं, आपके बाद सारे नेता बोले। फिर सरकार हरकत में आई। एक संयोग बना, 10 दिसम्बर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्म दिन होता है। 9 दिसम्बर की रात को, आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम ने, अर्धरात्रि को घोाणा की। वह घोाणा मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

The Home Minister Shri P. Chidambaram, late in the night said:

> "The process of forming the State of Telangana will be initiated and appropriate Resolution will be moved in the Assembly. We are concerned about Rao's health. We request him to withdraw his fast immediately. We also appeal to all concerned specially students to withdraw their agitation and help restore normalcy."

सारे राइडर्स इसमें से हट गए। न कंसलेटेशंस, न कंसेंसस, एक केटेगोरिक एश्योरेंस गृह मंत्री जी की तरफ से आया और अर्धरात्रि को आया। उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे। वहां के लोगों को यह लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्म दिन का तोहफा देश के गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। आतिशबाजी हुई, रात को दीवाली हुई। पहली बार तेलंगाना के लोगों को यह उम्मीद पूरी होती लगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने यह कहा - The process of forming the State of Telangana will be initiated and appropriate Resolution will be moved in the Assembly. इसमें कहीं कंसलेटशंस और कंसेंसस की बात नहीं थी। अब उन्हें लगा कि केटेगोरिक एश्योरेंस...(व्यवधान) मैं अच्छी बात कह रही हूं, बुरी बात नहीं कह रही हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्हें लगा कि जन्म दिन का तोहफा मिला है। यह अच्छी बात थी। आप अच्छी बात को बुरा क्यों मानते हो। मैंने कहा कि इस पर खुश होकर लोगों ने पटाखे फोड़े।

अध्यक्ष महोदया: सुामा जी, आप चेयर को सम्बोधित करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने पटाखे फोड़े। उनकी उम्मीद विश्वास में बदल गई है, क्योंकि तारीख अहम् हो गई। आप अच्छी बात को भी बुरा मान रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं अध्यक्ष जी अभी तो मैंने शुरू किया है।

MADAM SPEAKER: It is not a debate Shrimati Sushma ji.

श्रीमती सुषमा स्वराज : गोपीनाथ जी और रमेश बैस जी नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने एक-एक प्रश्न ही पूछना है, सारी बात नहीं कहनी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें, मैं थोड़ा सा इंडलजेंस आपसे चाहती हूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।

अध्यक्ष जी, 10 दिसम्बर को जब सदन की बैठक शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी खड़े हुए। आडवाणी जी ने कहा कि

> "मैं बहुत आभारी हूं आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन दो बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी। उन दोनों बातों का एक प्रकार के समाधान हो गया। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छा के अनुसार तेलंगाना प्रदेश बने। हम चाहते थे कि हमारी संसद के साथी जो दस दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की हालत चिंताजनक हो गई थी। उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, ये दोनों बातें हो गईं, मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।"

अध्यक्ष जी, मैं यह बात केवल इसलिए कह रही हूं कि केवल तेलंगाना में ही नहीं, बल्कि सदन की भी उम्मीद विश्वास में बदल गई। हमें लगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दस दिसम्बर को प्रणब मुखर्जी साहब भी यहां बोले थे और बधाई दी सदन में, क्योंकि हमें यह लगा कि नौ दिसम्बर का वह दिन माइल स्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा, तेलंगाना के निर्माण में।

लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे हैरानी है कि 9 दिसम्बर को इस सदन में यह सब घटता है, तेलंगाना में पटाखे चलते हैं। लेकिन 23 तारीख को गृह मंत्री जी बदल गये और 14 दिन के अंदर गृह मंत्री का बयान आ गया, there is no consensus on creation of Teleangana. मैं पूछना चाहती हूं कि जब रा-ट्रपति अभिभााण में आपने कंसेंसस शब्द हटा दिया था, आपने कहा था केवल वाइडर कंसल्टेशन्स, नो कंसेंसस, आपने कोई बात कंसेसस की नहीं की थी। 23 दिसम्बर को जबकि प्रोसेस इनीशिएट हो जाना चाहिए था आपने कंसेंसस की बात करके वापिस back to square one लाकर खड़ा कर दिया। 23 दिसम्बर को ये बदल गये और इस सारे में से निकला, जस्टिस श्रीकृणा कमीशन, जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट में, अभी अपने वक्तव्य में गृह मंत्री जी ने किया है। मैं आज कहना चाहती हूं, बिना संकोच के कहना चाहती हूं कि जस्टिस श्रीकृणा कमीशन ने जितना इंजस्टिस तेलंगाना के साथ किया है, उसे तेलंगाना का इतिहास कभी भूलेगा नहीं। ...(व्यवधान)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): Madam, this is too much. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : This is not too much. … (*Interruptions*) I will show you. … (*Interruptions*) Yes, I will tear it apart. … (*Interruptions*) अभी आप सुनिये, देखिये…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। यह कॉलिंग अटेंशन है, यह डिबेट में चला जा रहा है, आप मेन बात पूछ कर समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: ये मेरा मेज़र पाइंट है, आप मुझे रोकिये मत, मैं केवल मेन बात पर आ रही हूं। …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): हमारे दोनों दूसरे सदस्य नहीं बोलेंगे, आप इन्हें बोलने दीजिए।…(व्यवधान) ये लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, मैं इन्हें रोक रहीं हूं। आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : Madam, there is a small request. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): It is being converted into a debate. If this is being converted into a debate, there will be different points of view. But this is a Calling Attention; and the Leader of the Opposition should confine her points to the Calling Attention; there cannot be a debate. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, it is a Calling Attention. Let us retain the form of the Calling Attention. Let us not turn it into a debate.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप मुझे केवल पांच मिनट दें। माननीय गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य श्रीकृणा कमेटी रिपोर्ट पर है और आपने कहा है कि उन्होंने 6 फार्मूले आपको दिये। लेकिन यह पहली बार हुआ है अध्यक्ष जी कि इतने कमीशन और कमेटियां इस देश में बनीं, हमेशा उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। लेकिन पहला कमीशन है जिसने सार्वजनिक रिपोर्ट अलग से दी है और एक गुप्त रिपोर्ट अलग दी है, एक सीक्रेट रिपोर्ट उन्होंने इन्हें अलग से दी है और वह सीक्रेट रिपोर्ट जिसका जिक्र गृह मंत्री जी ने

अपने वक्तव्य में नहीं किया। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वाकई एक सीक्रेट रिपोर्ट श्रीकृणा कमीशन ने आपको दी है और अगर ये मना करें तो उसका जवाब भी मैं देती हूं लेकिन ये मना कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आज के युग में कोई चीज गुप्त रह नहीं सकती, खोजी पत्रकार सब कुछ निकाल लाते हैं। अब तो रिपोर्टें पहले लीक हो जाती हैं। कांग्रेस के ही एक पूर्व सासद श्री एम.नारायण रेड्डी ने एक याचिका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की। उन्होंने यह कहा कि हमें यह पता चला है कि कृणा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी दी है और उस सीक्रेट रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, यह प्रार्थना उन्होंने की। जिस बैंच के सामने यह पीटिशन लगी, उस बैंच के न्यायधीश ने सरकार से कहा कि अगर ऐसा कोई डॉक्युमेंट है तो आपको उसे हमारे पास लाना होगा। वह रिपोर्ट उन्होंने वहां दी। अध्यक्ष जी, मैं कहीं और से नहीं, मैं उस जजमेंट से पढ़ रही हूं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: The judgment has been stayed. Can you read that out? … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह जजमेंट पब्लिक डोमेन में है। जजमेंट का ऑपरेशन स्टे हुआ है। मैं केवल यह कह रही हूं...(व्यवधान) आप नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई।

अध्यक्ष महोदया : आपने पांच मिनट के लिए कहा था, आपके पांच मिनट समाप्त हो गये हैं। You cannot have a long debate on this. It is a Calling Attention.

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, आज मैं अपनी बात पूरी कहे बिना नहीं बैठूंगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं, क्योंकि आपने जितना समय मांगा था, वह पूरा हो गया है।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं इसलिए नहीं बैठूंगी, क्योंकि इसी से पोल [illegible]गी, आप मेरी पूरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुामा जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। ध्यानार्काण प्रस्ताव की एक विधा है। आपको उसी विधा में बोलना चाहिए। आपने जितना समय कहा था, वह पूरा हो गया है। अब आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगी। जज ने कहा -

> "The Committee travelled beyond the Terms of Reference in its endeavour to persuade the Union of India not to accede to the

> demand for Telangana . It is demonstrated in a three-page supplementary note appending to the note representing Chapter 8."

उन्होंने माना कि एक गुप्त चैप्टर -8 नोट है। आप हैरान हो जाएंगी, वह नोट है पालिटिकल मैनेजमेंट करिए, मीडिया मैनेजमेंट करिए। मैं सदन को चौंकाने वाली चीजें कह रही हूं। उस नोट में लिखा है -

> "There is a need for ensuring unity among the leaders of the Ruling Party in the State. There is also a need for providing strong and firm political leadership and placement of representatives of Telangana in key positions. This aspect was discussed with FM and HM in September 2010. Action also needs to be initiated for softening the TRS to the extent possible. "

> "The Congress high command must sensitize its own MPs and MLAs and educate them about the wisdom for arriving at an acceptable and workable solution. With the Ruling Party and main Opposition Party being brought on the same page, these support mechanisms have a higher probability of becoming successful. "

वह नोट कहता है कि मीडिया मैनेज करिए। मीडिया मैनेजमेंट के लिए कहा है कि वहां इतने इलेक्ट्रोनिक चैनल्स हैं, इतने प्रिंट के चैनल्स हैं। महोदया, जस्टिस रेड्डी कहते हैं -

> "More disturbing is the suggestion given by the Committee to the Government."

More disturbing is the suggestion given by the Committee to the Government and it reads:

> "The print media is hugely dependent on the Government for advertisement revenue and if carefully handled can be an effective tool to achieve this goal."

महोदया, यह रिपोर्ट है। यह जस्टिस श्री कृणा कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, यह एआईसीसी की रिपोर्ट है और आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए और बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, यह जजमेंट है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने स्वयं कहा था कि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करके बैठ जाऊंगी। पांच मिनट हो गए हैं। आपने वचन दिया था, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I am on a point of order.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Under which Rule do you want to raise the point of order?

... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, यह जजमेंट है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्वायंट आफ आर्डर का रूल बताइए।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Madam, the submissions made by the hon. Leader of Opposition should be authenticated by her....(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं अभी ओथेंटीकेट करके रख देती। यह जजमेंट की कापी है।

गृह मंत्री जी, मैंने ये बातें इसलिए रखीं, क्योंकि वहां तरह-तरह के धोखे हो रहे हैं। यह जो सरकार की हरकत है, इससे हताश हो कर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले डेढ़ र्वा में 600 लोग मर गए। महोदया, आप मुझे बैठने के लिए कह रही हैं, मैं जो बात कहने जा रही हूं, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली में एक लड़का आया, जिसका नाम यादी रेड्डी था। वह इतना बड़ा तेलगु का नोट आत्महत्या करने से पहले लिख कर गया। मैं केवल चार लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। उस लड़के ने दिल्ली में आत्महत्या की। उसने लिखा कि हैदराबाद ट्रेन चढ़ने से पहले बहुत सारे खयालों में कुछ सोचता हुआ यहां आ गया। मैं चाहता था कि माँ के हाथ का खाना खाकर और आशीर्वाद लेकर आऊं, लेकिन लगा कि कहीं पैर पीछे न हट जाएं, इसलिए ऐसा नहीं किया। मैं अपना इलाका छोड़ कर जा रहा हूं। मैंने कितने सपने देखे थे। मैं तेलंगाना छोड़ कर जा रहा हूं। मन में पूरा दुख है। सच बोलना है, मुझे नहीं

मालूम कि मैं यहां कैसे आ गया। यहां आने के बाद मन में एक ही इच्छा है और कुछ नहीं सोच रहा हूं। मैंने जो सोचा, वह करूंगा। तेलंगाना होने के लिए मैं भी भागीदार बनूंगा।...(व्यवधान)

DR. K.S. RAO : Please authenticate that letter.

MADAM SPEAKER: She is ending the speech. Are you ending?

... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि यह जितना संजीदा विाय है, उतनी संजीदगी से मुझे बोलने दिया जाएगा लेकिन उतनी संजीदगी से मुझे बोलने नहीं दिया गया, टोकाटोकी की गई। इसलिए मैं गृह मंत्री जी, आपसे ज्यादा कुछ न पूछते हुए एक निवेदन करना चाहती हूं कि यह कंसेंसस बहुत हो गई, अब आपने फ्रैश रिजोल्यूशन की बात की है जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरुरत नहीं है। मेरा यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं पूछना है।...(व्यवधान) मुझे एक निवेदन करना है, आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए, यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, दो-तिहाई सांसद आपको चाहिए, हम वो सांसद जुटाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक मिनट, अध्यक्ष जी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कितने एक मिनट लेंगी सुषमा जी?

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रणव दा, आपने कल यह अपील की थी कि हम जो बिल ला रहे हैं, उन बिलों पर विपक्ष आकर साथ दे। आज मैं अपील कर रही हूं, आप बिल लाइए। हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे और सरकार से बिल लाने के लिए अपील कर रही हूं तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूं कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वे मरें नहीं, बल्कि वे तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं केवल वहां के अपने बहन-भाइयों से एक अपील करना चाहती हूं:-

"Sodhara, Sodharimanulaara, Telangana kosam balidaanam vaddhu.
Telangana Choodadaaniki Brathakaali, Brathakaali"

It means: "Brothers and sisters, do not sacrifice your lives for Telangana. You should live to see Telangana.

MADAM SPEAKER: Shri Gopinath Munde and Shri Ramesh Bais have withdrawn. Now, I call Shri Gurudas Dasgupta.

DR. K.S. RAO : Madam, before that I humbly request the hon. Leader of the Opposition to certify that secret letter written by the person who died, which she has read. It is because she is reading the letter…. (*Interruptions*)

श्री सर्वे सत्यनारायण : अध्यक्ष महोदया, मैं कुछ कहना चाहता हूं,…(व्यवधान) मुझे अनुमति दी जाए।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta Ji please start. Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, at the beginning, I plead for patience, for tolerance and for a consensus on the issue. I should not be misunderstood. The situation is quite sensitive and explosive in whole of the Andhra Pradesh. There is division in the political spectrum of Andhra Pradesh.

The Congress Party is divided and everybody knows it. There is nothing to find something unique in it. This happens when emotions rise very high. Therefore, I plead, please do not put fuel in the fire. I plead let us not fish in the troubled waters. Nobody will be friend of India if we seek to fish in the trouble waters. I am not saying it to you. You should understand the implication of it. You are quite an intelligent person.

Madam, it is a sensitive issue. It is an emotional issue. A part of the history has been spoken by her, but there is another part of history.

MADAM SPEAKER: You have to ask your question.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, you have allowed her, kindly allow me also.

---

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: She is allowed more time but you have to ask one question.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I plead you for some time.

MADAM SPEAKER: No. Please ask a question. You ask a clarificatory question. We are not going into the history.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I plead with you as it is a very important issue. I shall not take a long time.

I only remember the great struggle, the martyrdom of Sriramulu for the formation of Vishaal Andhra. Let us remember him. I also remember the great struggle of Telangana people. Telangana people fought against Nizam for the land. Therefore, Telangana is a part of India and has a great history. Andhra Pradesh also has a great history and is a part of India. Therefore, there has to be some patience and tolerance.

While saying so, I say that it is a well known truth and it is a fact beyond doubt that overwhelming majority of the people of Telangana wants a separate State. It is a clear truth. Let there be no dispute. There is a complaint that they were discriminated upon. There is a complaint that when the merger took place, there were certain conditions and those conditions were not adhered to by the Governments that had ruled Andhra Pradesh. There is a complaint that there is under-development in that particular area. There is a complaint that temporary arrangement that has been made to address the grievances of the people of Telangana did not work well. It is a part of history.

Therefore, having respect to the emotions of the people of Telangana, having understood that integrity of a State cannot be maintained by coercion, we stand to support unequivocally the demand for a separate Telangana State. But there is a crisis in Andhra Pradesh. Please do not mind that a political party in Andhra Pradesh has to be blamed for the debacle that has been created.

There are little more facts also. The Central Government has, undoubtedly, said that Telangana will be formed and a process will be initiated… (*Interruptions*). I am saying that a process will start… (*Interruptions*). Please

listen to me. I am saying that a process of setting up of a State will be initiated. But it was not done and that has created a serious crisis. Please Mr. Rao, you cannot say that there is no crisis. There is a crisis. Therefore, the indecision of the Government of India can be taken to be a factor which has aggravated the crisis in Telangana.

I remember there was a Committee set up under the Chairmanship of Mr. Pranab Mukherjee and only one Party has not given an opinion. Sushmaji has forgotten to say that… (*Interruptions*). No, it was the Congress Party… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Dasgupta, please address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am saying the Congress Party had not given their opinion in the All Party meeting. Therefore, situation is very bad today and it needs a solution.

Madam, I am coming to my question. I would like to refer to the statement of Shri Chidambaram. He is always looked upon as a man of strong will. He always says that he is a man of strong will and I do not doubt the strength of his will, though I may have differences with him. But is it the statement of a strong personality? It is full of indecision. He has only quoted some recommendations. These are all options. What is the Government of India saying? It is saying from the beginning that consultations will be made, consensus would be sought to be done and will be done at an appropriate time, may be the appropriate time will be when Shri Chidambaram will not be in power or will not be in office. What is the appropriate time?

Therefore, my accusation is that the active role that the Central Government had to play in order to sort out the issue was not done. It is a disservice to the nation, not a disservice to the Telangana alone. Please let us not stand in solidarity with Telangana only but let us also stand in solidarity with the whole of Andhra Pradesh. The whole of Andhra Pradesh is burning, not Telangana alone. Therefore, this indecision, this insipid character of the statement, this failure of the

Government to reach a consensus is because their house is in disorder. He has to make a statement.

MADAM SPEAKER: Please come to your question.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I only have a pity for a strong man. I am very categorical. I support Telangana. But I respect the emotions and sentiments of the people of Rayelseema. I respect the sentiments and emotions of the people of the coastal area. I have a respect for them also. I cannot say that I stand out only for Telangana and the rest of Andhra Pradesh should go to hell. No. I stand out for the whole and find out a solution.

MADAM SPEAKER: Put your question please.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I am coming to my question… (*Interruptions*)

Madam, the point is that I plead for peace in Andhra Pradesh, I plead for ending of turmoil in Andhra Pradesh, I plead for a consensus on this issue in Andhra Pradesh. I must remind the supporters of Telangana that you cannot get your demand realized through coercion. You cannot get the demand of Telangana through coercion, you cannot do it. Yes, I agree that there should be consensus, but the Government must take the steps. They are responding only when she is raising it.

MADAM SPEAKER: What is happening? Please put your question. You are such a senior Member.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I support Telangana, I respect Rayalaseema. I support Telangana but I respect the coastal region… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. Thank you so much. You have said what you had to say. Now, please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, what I am saying is that while supporting the people of Telangana, I do not show any disrespect to Rayalaseema

or coastal region, but there has to be a consensus. Transition can only take place through a peaceful way in a democratic system. I want a democratic and a peaceful solution.

MADAM SPEAKER: Thank you.

13.00 hrs.

… (*Interruptions*)

SHRI SARVEY SATYANARAYANA: Madam Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity to speak in this august House over the issue of Telangana where I come from. I am a pukka Telanganite. People in Telangana are sacrificing their lives. They are committing suicide. It is a sensitive issue. The whole Telangana is burning and as you said, even Andhra Pradesh is also burning. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए, आप लोग ये क्या परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। You address the Chair.

SHRI SARVEY SATYANARAYANA : Madam, I am very much thankful to Shri Dasgupta and I appreciate his stand. All these years, his Party was not supporting us. Madam, I am thankful to him that now he has come out with a statement supporting the demand for a separate understanding the sentiments of the people there. We are very much thankful to him. The whole is thankful to him but I have a personal request to make. He should ask for a separate and not for Andhra State and all that. दादा यह नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। एक ही बात होनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने बोला कि तेलंगाना दीजिए, उस तरह से तेलंगाना के बारे में बात होनी चाहिए। … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : The BJP has an axe to grind.… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : गुरूदास दास गुप्ता जी, ये आपको क्या हो गया है? You please sit down and Shri Satyanarayana, please address the Chair. आप उनको क्यों अड्रेस करते हैं। वे बार-बार खड़े हो रहे हैं तो आप बार-बार उनसे बोलेंगे?

श्री सर्वे सत्यनारायण : मैडम स्पीकर, मैं यहां से भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी नेता सोनिया जी, यूपीए चेयरपर्सन, कांग्रेस पार्टी लीडर I consider Shrimati Sonia Gandhi as my mother. She gave me rebirth in politics. अगर सोनिया जी यहां रहतीं और तेलंगाना की डिबेट सुनती तो डैफिनेटली तेलंगाना का इश्यु very soon expedite हो सकता था। Today she is not here with us. She is hospitalised. I pray God on behalf of the entire people of and this House that God should give her patience, strength and good health and she should recover very well. She must come back with very good health and do justice to the people of because she has always been saying that she has not let the people of Telangana down.

The chapter of Telangana is not yet closed. The debate on is still on and that is the reason why I have been trying to convince all the political parties including the Opposition to have a consensus on the issue of . Since there was no consensus, this issue was getting delayed but due to different statements from the Government, from the Congress Party and other political parties, people of are at a loss to understand the matter. They have developed a fear psychosis that a separate may not be formed and that is why, people are committing suicides. Let us not play with the lives of the people.

Telangana was a separate State or for that matter, we were a separate country. We were called the Hyderabad State. We got Independence only in 1948 and not in 1947. We were ruled by the then Nizam. हमारे पास मुल्की रूल था। मुल्क मतलब देश। उस देश का जो भी रेसीडेन्ट है, वह मुल्की कहलाता था। वह कन्टिन्यु होना था। We were merged with the Seema Andhra people on the basis of linguistics, language and all that. These Andhra people were with Madras State. There is no doubt that they are our brothers and sisters. मद्रास स्टेट को separate करने के वास्ते तेलुगु पीपल एक जगह

इक्कट्ठा होंगे, बोलकर they wanted to come out from the Madras State. They demanded a separate State and on the basis of language and all that, we were forcibly merged with Andhra Pradesh. At that time they had even demanded for a separate Madras State because they had contributed much for the development of Madras. But Madras was not given to them as they are now demanding Hyderabad as their right on the plea that they have contributed so much for its development. On the same lines, they had demanded in those days. It was not considered too but was merged. On the day it was merged, as Shrimati Sushma Swaraj has said, Jawahar Lal Nehru has commented on it.

Telangana is an innocent baby. Being married to a mischievous boy, they should live together for long and as much as they can. But if this innocent baby demands a divorce, it should be granted. उस दिन जवाहर लाल नेहरू जी बोले हैं और आज उनकी नवासी, आज उनकी पोती सोनिया जी, हमारी नेतागण, she is prepared to fulfil that commitment. She understood that a lot of injustice has been done to the people of Telengana. They are being treated as second class citizens of this country. They demand justice. The development is not taking place there.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण : हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हम और भी गरीब हैं, इन्नोसेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम हर-एक को मानते हैं, हमारी कास्मोपॉलिटेन सिचुएशन है, हम सबको चाहते हैं। आज भी तेलंगाना के क्रिएशन के बाद भी, we will allow everyone to stay in Telangana itself. We will not ask anybody to go away from Telangana as KCR has said: "तेलंगाना वाले जागो, आन्ध्रा वाले भागो। Congress is not for the *bhago* slogan and we are not for *bhago* slogan. Everybody should live. Why are we demanding Telangana? Telegana is for self-respect and self-governance. The State wants a development. That is the reason we have been demanding Telangana. A lot of people have laid down their lives. Even the hon. Minister of Home Affairs has made the statement on 29th in both the Houses of Parliament. Again, on 23rd there was a statement issued by the Government about

the people who have lost their lives. More than 600 people have lost their lives. We are very sorry to say this. As Shrimati Sushmaji has rightly pointed out, one person महोदय, वह याडी रेड्डी 20 साल का बच्चा जिसने यहां आकर सुसाइड कर लिया। पुलिस वाले, नौकरी करने वाले, कांस्टेबल्स बीवी, बच्चों के सामने शूट करके मर गये कि तेलंगाना नहीं आयेगा इसलिए मैं मर रहा हूं। लोग इस तरीके से सैक्रीफाइज कर रहे हैं। That was the reason in the last Session we have created pandemonium here. We said, `yes, we will commit suicide' हम अपने बच्चों को और मरते नहीं देखेंगे, तेलंगाना लेकर रहेंगे। As Bal Gangadhar Tilak has said, "Swaraj is my birth right. I will have it". Sarvey Satyanarayana and the Telangana people, चार करोड़ आवाम आज एक ही बात कहेगा कि तेलंगाना हमारा बर्थ राइट है। We will have it and we will take it. The creation of separate Telangana is imminent. It should be given and nobody can oppose that. Shrimati Sonia Gandhi is our Leader. She has made up her mind to give Telangana. That was the only reason.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण : महोदया, तेलंगाना में लोग मर रहे हैं। तेलंगाना की चार करोड़ आवाम की तरफ से हमारे एमपीज़ ने रिजाइन किया तो आप मुझे बोलने का चांस दीजिए। मैं सुषमा जी जितना सीनियर नहीं हूं, मैं गुरूदास दासगुप्त जी भी जितना सीनियर नहीं हूं जो बात कर सकूं। Madam, I must be in a position to give my presentation. आज सारी दुनिया देख रही है कि तेलंगाना में क्या होने वाला है?

MADAM SPEAKER: I am giving you the chance. So, please ask your question.

श्री सर्वे सत्यनारायण : तेलंगाना को न्याय मिलेगा, तेलंगाना को जस्टिस मिलेगा। कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डिले हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। उस इंसाफ के वास्ते हम लड़ रहे हैं। गलत स्टेटमेंट आने की वजह से हमारे लोग जान दे रहे हैं और इसीलिए यह सिचुएशन है। आज पूरे एमएलएज़ रिजाइन कर गये हैं। Ministers are not going to their offices. आज स्टेट गवर्नमेंट का पूरा स्टॉफ पेन डाउन करके वहां कुछ भी नहीं कर रहा है, बच्चे, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं और कोई नौकरी नहीं कर रहा है। वहां सब अस्त-व्यस्त हो गया है, वहां की पूरी व्यवस्था स्थगित हो गयी है। यहां पर भी रिजाइन दिया, हमें भी रिजाइन देना चाहिए, लेकिन अगर मैं भी रिजाइन देता, अगर मेरा यह भाई भी रिजाइन देता तो यहां तेलंगाना की बात करने वाला कोई भी नहीं होता, यहां कोई भी बात करने

वाला नहीं रह पाता। कोई लीडर नहीं है, मैं यहां बात करूंगा। मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं जाऊंगा। I will not defy my Leader. I will not challenge the authority of my Leader. I am a loyalist because she gave me birth in politics.

Madam, as she said, it was a birthday gift given by Shrimati Sonia Gandhi on 9th December, 2009. It was really a birthday gift to the people of Telengana. Once she has given the birthday gift, she will not take it back. It is true that once she commits or promises, she will abide by that. The only thing is that certain disturbances have been created. That is the reason it is getting delayed. Shri Ghulam Nabi Azad is our Leader. He has already started consultations. He is trying to find out a solution. As soon as the discussions are over, definitely the Bill is to be placed in the House.

And, it should be placed in the House. महोदया, हैदराबाद के बारे में ये लोग पूछते हैं। तेलंगाना देना है तो दो नहीं तो तेलंगाना को यूनियन टैरिटरी या कॉमन टैरिटरी बनाओ। हमारे भाई ऐसा बोलते हैं। कल सुबह हैदराबाद को हटाकर तेलंगाना दे दो तो they will agree. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठिये। आपने कितनी देर बोल लिया। अब सवाल पूछिये और बैठिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण : हैदराबाद किसी की जागीर नहीं है। हैदराबाद हमारे सिर के समान है। सिर के साथ खाली हाथ दे देंगे और बॉडी उधर दे देंगे और कहेंगे कि तेलंगाना ले लो, ऐसा नहीं होता है। Nothing more and nothing less. तेलंगाना होगा तो हैदराबाद के साथ दस जिलों का तेलंगाना होगा, Nothing more and nothing less.

महोदया, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमैंट में अभी-अभी बोला है श्रीकृष्ण कमेटी के बारे में। The Sri Krishna Committee was appointed with reference to the demand for a separate State of Telangana as well as the demand for maintaining the present status as the united Andhra Pradesh. या तो तेलंगाना बोलो या आंध्र प्रदेश बोलो, इसके बारे में कमेटी डाली है। Of course, the Sri Krishna Committee is not the Supreme Court for us, the Telangana people. Their findings are not binding on us. Even we ignore the Government also. वह तो हम कचरे के डिब्बे में डालेंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि अभी-अभी मालूम हुआ है कि तेलंगाना के साथ कितनी साजिश हुई है। इन लोगों के पोलिटिकल इंटरस्ट हैं, ये लोग जो पोलिटीशियन्स नहीं होते, ऐसे लोगों ने यह रिपोर्ट लिखी है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। लेकिन इस

स्टेटमेंट में केवल दो पॉइंट पूछे गए हैं कि हाँ या ना बोलो तेलंगाना के लिए। तो उन्होंने छः पॉइंट्स दिये। ऐसा भी करो, वैसा भी करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी? This itself is a wrong statement. इसलिए हम इसको रिजैक्ट करते हैं।...(व्यवधान)

Regarding deletion of Paragraph 14 (f), I think that issue is getting solved. लेकिन इसमें चिदम्बरम जी हमारे साथ बहुत ही हमदर्दी करते हैं। तेलंगाना के बारे में भी 9 दिसम्बर के बाद जो स्टेटमैंट दिया था, सब लोगों ने उनकी गलती पकड़ी थी। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम साहब कैसा रातोंरात ऐसा बोले। लेकिन वे सरकार की तरफ से बोले। Our appreciation and our thanks are there to Shri Chidambaram. लेकिन एक बात क्या हुई 14(एफ) में, He is clearly mentioning that the Central Government will reiterate the State Assembly to get it passed again. एक बार एसैम्बली में 14(एफ) के डिलीशन के बारे में पास हो गया तो एक बार फिर रिज़ॉल्यूशन पास करने की क्या ज़रूरत है? यह कनफ्यूज़िंग स्टेटमैंट रहने की वजह से बच्चे मर रहे हैं। इसीलिए हम लोग एजिटेट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Now, this matter is settled. No doubt, it is going to help us. लेकिन 14(एफ) से नहीं होगा। यानी वह कोई दूसरे रीजनल बोड्र्ज़ लगाने से, या कोई कमीशन अपॉइंट करके फंड्ज़ देने से तेलंगाना को न्याय नहीं मिलेगा। तेलंगाना को सिर्फ सैपरेट स्टेट देने से ही न्याय मिलेगा। इससे हटकर कुछ भी हमारे लोग नहीं मानेंगे। इसलिए हमें तेलंगाना राज्य इस तरीके से देना चाहिए। "The process on Telangana will be initiated and an appropriate Resolution will be moved in the House, and almost all the cases that are being booked against the students will be withdrawn..." - इस प्रकार से होम मिनिस्टर साहब ने 9 दिसम्बर को जो स्टेटमैंट दिया है, और 10 तारीख को संसद के दोनों सदनों में स्टेटमैंट दिया है, उसमें क्या है? वह मेरे हिसाब से उतना स्ट्राँग स्टेटमैंट नहीं है। By when will you initiate and when will you complete it? There is no time-bound programme in that. An Appropriate Resolution should be moved. It is not necessary that it should be approved with a majority. It is not necessary that it should be approved unanimously. It is sufficient if it is placed in the House and discussed. यह बात है। और एक बात है उस स्टेटमेंट में। "All the cases that are being booked against the students who participated in the agitation will be withdrawn…" - लेकिन आज तक विदड्रा नहीं

हुआ है, we are very sorry to say that. वह भी करना चाहिए, 14(एफ) भी हटाना चाहिए, तेलंगाना स्टेट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण : मैं समाप्त कर रहा हूँ। फतउल अली कमीशन की बात मैडम ने बोली, वह सही बात है। तेलंगाना में अगर इलैक्शन लगाओ तो तेलंगाना स्टेट के टू-थर्ड मेजारिटी ऑफ एमएलएज़ अगर मानते हैं मर्जर के लिए तो आंध्र प्रदेश स्टेट क्रियेट करो, लेकिन फज़ल अली कमीशन को उन लोगों ने, who are at the helm of affairs, they have ignored and they have formed the State. एक बात और कहते हैं कि सैकेन्ड एसआरसी बनाकर देश में जितने छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, सब लोगों की बात सुनेंगे और हो सका तो उसमें तेलंगाना को जोड़ देंगे।

उसमें तेलंगाना जोड़ देंगे। It is clearly a message of opening Pandora's Box. यह एक क्लीयर मैसेज जाएगा, जिसमें तेलंगाना बनाने के लिए सैकिंड एसआरसी बोलना जैसे पैंडोरा बॉक्स को ओपन करना। यह बात सरकार, सोनिया जी, प्रधानमंत्री या यूनियन काउंसिल आफ मिनिस्टर्स नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यह बात उस समय आई। In UPCC, there was an unanimous resolution passed for trifurcation of the State of Uttar Pradesh into three. This is the resolution of the Congress Working Committee. कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रैज़ोल्यूशन था, इसलिए सैकिंड एसआरसीसी बोली गई। लेकिन हमारे आंध्र और रॉयल सीमा के लोग कह रहे हैं कि सैकिंड एसआरसीसी हो गई है और तेलंगाना नहीं आता है। मिसइंटरपिटेशन आफ फैक्ट्स की वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं। सैकिंड एसआरसी केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि जहां भी मांग है, उनकी रिप्रज़न्टेशन लीजिए और सुनिए। यदि रीज़नैबल मांग है तो उन्हें दीजिए। जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय कितने राज्य थे और आज कितने राज्य हैं, यह आप देख सकते हैं। उन लोगों ने उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री सर्वे सत्यनारायण : तेलंगाना का मसला बीजेपी और एनडीए के काल में भी था। लेकिन इन्होंने उसे इग्नोर किया। हमारे आंध्र प्रदेश के भाइयों ने सभी को यह सर्कूलर दिया है। मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

> "I have had the matter examined. The Government of India is of the view that regional disparities in economic development can be tackled through planning and efficient use of available resources. The Government, therefore, do not propose creation of separate State of Telangana."

वर्ष 2002 में आडवाणी साहब ने बीजेपी के एमपी नरेन्द्र साहब को एक लेटर लिखा था।...(व्यवधान) यह लोग बहुत खुश हो रहे हैं। यह सर्कुलेट करके बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन हम खुश हैं, क्योंकि उस समय तो आप नहीं दे पाए, लेकिन आज आप तेलंगाना की जनता को दिखाने के लिए एक अच्छी नीयत से आए हैं। उस दिन यदि आप तेलंगाना दे देते तो आज इतनी प्राब्लम्स नहीं होती। उस समय यदि आपने तेलंगाना दे दिया होता तो आज हमारे बच्चे नहीं मर रहे होते। देर हुई, लेकिन अंधेर नहीं। तेलंगाना देने के लिए देर आए, लेकिन दुरुस्त आए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You made it into a debate. It is a `Calling Attention' of the Minister.

श्री सर्वे सत्यनारायण : उस समय चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। *(Interruptions)* ... * उन्होंने बीजेपी को कहा कि तेलंगाना नहीं देना चाहिए। इसलिए इन्होंने तेलंगाना राज्य नहीं दिया।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right. This will not go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Dr. K.S. Rao.

Nothing else will go on record except what Dr. K.S. Rao is saying.

(Interruptions) ... *

DR. K.S. RAO : Madam, I sincerely thank you for giving me an opportunity to tell the fact prevailing in Andhra Pradesh. I am particularly requested to, because only

---

* Not recorded.

people who are supporting the demand for a separate State of Telangana….. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, क्या इनके दो लोग बोलेंगे?

MADAM SPEAKER: I have my own special discretion and I have allowed him.

DR. K.S. RAO: Only because the responsible Leader of the Opposition representing the whole country, and a major opposition party has raised this issue, I had to speak today. If it were to be a Member of Parliament from Telangana, I would not have bothered so much about it because by virtue of his being from Telangana, naturally, they would like to say so. I have no objection on that. Here, I will quote some of the points mentioned by our Opposition Leader.

Hon. Sushmaji was telling that some Congress leader, in a public campaign during the election in 2004, said that they will give a separate Telangana State. She also says that it is mentioned in the Common Minimum Programme and also she said that it is mentioned in the President's Address. I want to make a statement here that nowhere a separate Telangana State was promised. But on many of the occasions, it is said … (*Interruptions*) I am talking about what hon. Leader of the Opposition has said. Nowhere is it mentioned categorically that a separate Telangana State will be created. But it did mention that the difficulties and the conditions prevailing in Telangana will be considered. If there are any regional differences in the development and if there are any grievances regarding employment, education, health care, they will definitely go into the details and address all those things. If necessary, the Government of India may ultimately decide to give a separate Telangana State for which we will not have any objection.

But the point here is that the hon. Leader of the Opposition is finding fault with the Congress Party. Let me quote what her party said. In their Plenary Session in Kakinada in 1998, your whole party said, 'one vote, two States'. They said that if one vote is given to the BJP and its supporting party, they will give two States. That means, they will divide Andhra Pradesh into two States immediately. She is the leader here, though she might not have been present there on that day.

But who was responsible for it? Immediately after 1998, when they came to power they forgot that and the excuse they gave was that the TDP was not willing and so we will not give a separate Telangana State. … (*Interruptions*) This is the letter which Shri Sarvey Satyanarayana has quoted. … (*Interruptions*) Now a responsible party with no representation from Andhra Pradesh in Lok Sabha today, they are pleading about the conditions prevailing in Andhra Pradesh. How pathetic is this? … (*Interruptions*) They do not even have one MP from Andhra Pradesh. … (*Interruptions*) Let them go and fight the election there independently. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Satyanarayanaji, why are you standing? Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. K.S. Rao is saying.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER: Satyanarayanaji, please take your seat.

… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO : Madam Speaker, Sushma Swarajji raised this issue pertaining to Andhra Pradesh where not only they do not have any representation in Parliament, but they will not get even 2 per cent of the vote in Andhra Pradesh if they were to go alone in the election. They must either associate themselves with the Congress or TDP or some other party. Otherwise, there is no existence of BJP in Andhra Pradesh and they are now pleading for a separate Telangana State. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Ganesh Singhji, why are you standing? Please take your seat.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

DR. K.S. RAO : Madam, Srikrishna Commission was appointed by the Government of India… (*Interruptions*)

Srikrishna Commission was appointed by the Government of India with the consent of all the parties of Andhra Pradesh. Every one of us had agreed that we will abide… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। बैठिये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have given him a chance to speak; let him speak.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

DR. K.S. RAO : I will limit my expression on the BJP; no more on BJP.

My point here is this. A major opposition party… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what K.S. Rao *ji* is saying.

*(Interruptions) …**

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है, स्पीकर ने दिया है। आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। आप भी बैठिये।

…(व्यवधान)

DR. K.S. RAO : Nobody else is asking the question; he has to ask the question. … (*Interruptions*). Okay, I will leave it. I will not touch over BJP. Now let me say about the position in Andhra Pradesh.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप फिर खड़े हो गये, बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

DR. K.S. RAO: Madam, Telangana agitation is a golden history. It was started by discontented politicians be it Congress or be it some other Party.… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: Dr. K.S. Rao *ji*, you ask your question.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am asking him to ask the question.

… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO: Andhra Pradesh was formed not because the people of Rayalaseema, of coastal region wanted it. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Dr. K.S. Rao *ji*, you ask your question.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठेंगे तो करेंगे। आप बैठेंगे, तभी कुछ करेंगे न।

DR. K.S. RAO : It is the Telangana leaders sacrificing the position of their Chief Ministership. Dr. Burgula Ramakrishna resigned as Chief Minister, passed a resolution with more than 2/3rd majority asking Andhra region to join and make Vishalandhra… (*Interruptions*) But the discussion went on in Parliament. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। आप भी बैठ जाइये। आप भी बैठिये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। आप भी बैठिये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Will you ask the question, Mr. Rao?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO : Madam, 2/3rd of the Assembly of Telangana, of Hyderabad had approved this.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You please take your seat.

… (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO : Madam, you must hear me also. You permitted them so much today.

My point here is this. I am also the people's representative.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. You also sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. This was the Calling Attention and I think all the hon. Members who had listed have spoken. I request the hon. Minister to reply.

… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Your name is not here.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let the reply come.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only the statement of the hon. Minister will go on record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI P. CHIDAMBARAM: Your name is not here. Please sit down.

MADAM SPEAKER: Please sit down; the hon. Minister is speaking.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record except what the hon. Minister is saying.

(Interruptions) ... [*]

---

[*] Not recorded.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam Speaker, I rise with a sense of sadness that this Calling Attention Motion has become, as I fear, into a very divisive debate.

Please understand that there are a very large number of people in Andhra Pradesh who are divided on this issue and nothing should be said and done in the Parliament that will only inflame passions there.

My effort from the very beginning has been to tell the leaders of Andhra Pradesh that the solution to the problem which has arisen – demand for Telangana on the one side and the demand for maintaining a united Andhra Pradesh on the other – must come from the Telugu speaking people. It must come from the people of Andhra Pradesh and the Government of India can only facilitate the solution. That has been my approach.

In fact, those who attended the All-Party meeting on the 5th of January, 2010 and the All-Party meeting on the 6th of January, 2011 will know – I said this repeatedly – that Parliament can only facilitate a solution, the Government can only facilitate a solution, the solution must really come from the people of Andhra Pradesh.

Madam, there is indeed a long history. That history is well known to everyone. The hon. Leader of the Opposition, in her wisdom, referred to that history. I am not quarrelling with her recounting of the history. But the fact remains that while there is an old history there is also a recent history. She referred to the Report of the States Reorganisation Commission, the Gentlemen's Agreement of 1956, the amendment to Article 371 (1) of the Constitution, the six-point formula of 1973, the introduction of Article 371 (D), and the elections to the State Assembly in May, 2009. All this is a part of that long history. But there is also a more recent history. Unless one looks at those events, it will be difficult to understand why the Government of India is proceeding with great care and caution.

As recently as December 7, 2009, there was a Business Advisory Committee meeting followed by an All-Party meeting in Hyderabad. It is based on the minutes of those meetings that the Government of India, through me, made

an announcement on December 9. I sincerely hope that no one is so naïve as to believe that an individual could have made that announcement without a decision by the Government or without a decision by the leaders of the Government. But shortly after that statement was made on December 9, the situation at the ground altered. That is an undeniable fact. The principal political party in Andhra Pradesh and the principal Opposition party in Andhra Pradesh divided.

I did not divide them. No one in this House wishes them to be divided but the fact is that they are divided. And when they divided, the Government of India was obliged to take notice of that fact. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): Including your Party. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I said so. Did I not say that? I said the Ruling Party in Andhra Pradesh and the principal Opposition Party in Andhra Pradesh. None of us wanted them to be divided. When they divided, we had to take note of the altered situation and then we made a statement on December 23. After that, the Srikrishna Committee was appointed.

Now, I do not think that in our anxiety to score a point over an imaginary adversary or a real adversary we should run down a distinguished Judge like Mr. Justice Srikrishna. Of course, the Committee consulted everyone. The Committee consulted the Finance Minister as the Committee was bound to. The Committee consulted me. The Committee consulted everyone. But we did not tell them what they should put in the Report. It is not the business of the Ministers of the Government to tell a Committee "do this or do that or write this or write that". If they wrote a Report, they are the authors of the Report and they take responsibility for what they write in the Report.

But in our anxiety and in a situation of inflamed passions, I respectfully submit that we should not run down a distinguished Judge like Mr. Justice Srikrishna who has served this country with great distinction for many years. What has he done? He has adhered to the Terms of Reference. The Terms of

Reference did require the Srikrishna Committee to explore the options that are available in order to find a way forward. In his wisdom, the Committee's wisdom, they have explored the options, they have given six options. It is for us, the political parties which are represented in Andhra Pradesh and with the support of political parties in other States – Parties in Uttar Pradesh, Orissa and Punjab – to find a solution in this House. And that is precisely what I am trying to do in the Government and what my colleague, Shri Azad is trying to do in our Party.

I am sure each one of you in your party has also got a person responsible in your party to find a solution. This is nothing unusual in party based democracy where the Government does its work as Government, party leaders try to find a consensus within their own parties. There is nothing unusual.

Therefore, my respectful submission is, let us not say or do anything that will only – I have to borrow the words of my friend, Mr. Gurudas Dasgupta – add fuel to the fire. The attempt must be to douse the flames, to douse the passions, and let us try to find a solution.

Madam, this is the Call Attention. I have made a statement. I can be asked to clarify my statement. But there are some things, which I cannot do; I cannot clarify why the Justice Srikrishna Committee added the Chapter VIII and said, 'this Chapter may be classified as secret'. How can I clarify that? I got a Report in which one Chapter is marked as secret; it remains secret. Now, the matter is being debated in the Andhra Pradesh High Court. A learned single Judge for whom I have great respect, passed an Order but the Division Bench has stayed that Order. Now, what can I clarify there? There is a Chapter, which is marked as secret.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Just one minute, please.

I did not ask you to clarify. My question was very specific – Is there any Chapter by the name of Chapter VIII marked as secret?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am answering that … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : That you have admitted.

SHRI P. CHIDAMBARAN: I am answering that.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I never asked you to clarify.

SHRI P. CHIDAMBARAN: Thank you.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : My only question was : क्या श्रीकृणा कमेटी में एक चैप्टर एट था सीक्रेट मार्क्ड था?

SHRI P. CHIDAMBARAM: There is. I am saying so.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ :This was precisely what he has said.

MADAM SPEAKER: All right.

SHRI P. CHIDAMBARAM: There is a Chapter. It is marked 'secret'. Whether it should be made public or not, it is a matter, which is *sub-judice* in the Andhra Pradesh High Court. A learned single Judge has pronounced an Order and the Division Bench has stayed the operation of that Order. Therefore, that matter is *sub-judice.* That is the best I can say.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : But the judgment is in public domain.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Of course, it is. The judgment will be in the public domain but the judgment is not operative. It is stayed.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : 'That judgment is not operative' means what? I am telling you. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: 'The judgment is not operative' is something, which any lawyer knows… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him reply.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : What is the operative part? The operative part is that you make it public within two weeks. That is the operative and that has been stayed. That has been stayed *na*?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sorry, Madam. 'The judgment is not operative means… (*Interruptions*) I will tell you what that means.

You have asked me a question; let me answer. 'Judgment is not operative' means the conclusion in the judgment and the reasons leading to the conclusion

are being reviewed by a Division Bench, and, therefore, cannot be implemented or relied upon.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : But not the contents of the judgment.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Who says? Nobody is erasing the content.… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I was reading from the contents of the judgment.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Anyway, I agree.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Mr. Home Minister, I was reading from the contents of the judgment.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I agree Madam.

MADAM SPEAKER: Let him reply.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I agree Madam, my law may be rusty; I agree. But this is how I understand the law… (*Interruptions*)

Kirti Azad, please. Kirti Azad, take law from me; I will take cricket from you.… (*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): Do not take it from Dhoni, now… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: The conclusion of the judgment and the reasoning leading to the conclusions are being reviewed by a Division Bench. The judgment has been stayed.

Number two, Madam Speaker, a young boy comes to Delhi. It is reported that there is a death. Police are investigating it. It is suspected to be a case of suicide. There is a suspicion that the note reportedly or allegedly written by him was in his pocket. The matter is under investigation. Now, what can I clarify? Can I assert, like some have the confidence to assert that it is a note written by him or can I assert, that it is a note not written by him? Can I assert it is a genuine suicide note or can I say it is not a genuine suicide note? Every death in such circumstances saddens us; it diminishes each one of us. one of our young men, for

whatever reasons, driven by whatever motive, by whatever passion, by whatever resentment, or by whatever anger, if he commits suicide, it diminishes each one of us.

My sincere appeal is, let us all join and appeal to the youth of Andhra Pradesh, please do not take these extreme steps while we debate the subject now.

Number three, the hon. Leader of the Opposition said: "Bring a Bill, we will support."

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Yes.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Well, that is her party's political position. I am not quarreling with that political position. Her party has obviously changed its mind.

There is nothing wrong if people changed their minds.… (*Interruptions*) I am not denying it. For example, the then Home Minister on the 1st of April 2002 in response to a matter raised in the Lok Sabha said, "I have had the matter examined. The Government of India is of the view that regional disparities and economic development can be tackled through planning and efficient use of available resources. The Government, therefore, do not propose creation of a separate State of Telangana." That was the position then. If they have changed their position, that is their privilege. A political party can certainly change its position.… (*Interruptions*)

Advani Ji, I am not saying anything wrong. All I am pointing out is that in 2002, the BJP had a position. In 2011, the Leader of the Opposition says the Party's position is different. Therefore, both are facts. I am not criticising you for that. All I am saying is, as Government, we have to follow a particular process in order to find the solution, and in that process, we will certainly take note of the fact that notwithstanding the earlier position, the principal Opposition Party in the Lok Sabha today maintains that Telangana should be created. This is a factor that we will certainly take into account with the respect that it deserves.

At the same time, I must also tell, Madam Speaker, that there are eight recognised political parties in Andhra Pradesh. One of them, the PRP, has announced that it will merge with the Congress. That makes it seven. But a new party has arisen, known as YSR Congress. There are still eight parties represented in the State Legislature.

Now, what is the position of these eight parties? Three parties, including the BJP, are clearly for Telangana, TRS, the CPI and the BJP. One Party, the CPI(M), is opposed to the creation of Telangana. Three parties, and perhaps, the eighth party—I say this with caution—have still not made a final decision. The Congress Party has told me that they have not made up their mind finally. They are still in the process of consultation.… (*Interruptions*)

The TDP is divided and they have told me, as the Party, the TDP, has not taken a final decision. The YSR Congress, a new party, has not told us anything about taking a final decision. In fact, according to my reports, in their Conference which they held a month ago, they did not take a final decision. And, the MIM told me that they would like to know the decision of the Congress Party and the TDP before they make up their mind. So, there are four parties which have not made up their mind. I told them I will call another all-Party meeting when all of you are ready to come and give your views.

We called a meeting on the 5th of January, 2010. We called a meeting on the 6th of January, 2011, and I said I am ready to call the next meeting; please tell me whether you have come to a final conclusion. But the fact is—this is what I want the House to kindly understand—that there are, at least, four out of eight parties, which have not yet reached a final conclusion. I envy a party which has already made up its mind. I wish the other four parties will quickly make up their mind. But the fact is, four parties have not yet made up their mind.… (*Interruptions*) Please, this is a serious matter. And, we are urging the parties to kindly complete the process of consultation quickly.… (*Interruptions*) That is what we are saying. Kindly complete the process of consultation quickly so that

we can call a meeting and we can take a decision based upon what they report to us at the meeting.

Madam, I do not think I have to say anything more. All I can do is, I would urge all the political parties to kindly go through their process of consultation and kindly come and tell us what they would like us to do. In the meanwhile, please, for the sake of our own children, let me tell you that these are our children. These boys and girls of Osmania University and Kakatiya University are our children. These boys and girls, who are sometimes demonstrating in Hyderabad and sometimes demonstrating in Vijayawada, are our children. Why should they die? Why should they be injured in a *lathi* charge? Why should they suffer injuries? My appeal is, please allow the process of consultation to be taken to its logical conclusion.

It may take a few weeks, it may take a couple of months or it may take three months. But, we must be patient. This involves the future of about 12 crore people in Andhra Pradesh. There are many, many more Telugu-speaking people all over the world, who are watching what is happening to their beloved State of Andhra Pradesh. So, my appeal is, please allow the process of consultation to be taken to its conclusion.

In the meanwhile, Madam Speaker, I sincerely appeal through you to the people of Andhra Pradesh, especially the young men and women to maintain peace and harmony until we come to a conclusion.

(Placed in Library, See No. LT-4635/15/11)

13.51 hrs.

INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, DESIGN AND MANUFACTURING, KANCHEEPURAM BILL, 2011*

MADAM SPEAKER: Item No.11 - Shrimati D. Purandeswari.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Madam, on behalf of my colleague, Shri Kapil Sibal, I beg to move for leave to introduce a Bill to declare the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, in the State of Tamil Nadu, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to declare the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, in the State of Tamil Nadu, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 05.08.11

13.52 hrs

STATEMENT RE: INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, DESIGN AND MANUFACTURING, KANCHEEPURAM ORDINANCE, 2011 (No.2 of 2011)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Madam, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Ordinance, 2011(No.2 of 2011).

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:45 pm.

13.52½ hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT – 4636/15/11.

14.48 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Forty-Eight Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No.13, hon. Minister.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Sir, I want to raise an urgent matter.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप शाम को यह इश्यू रेज़ कर सकते हैं। इस समय आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप बैठ जाएं।

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): It will be taken up during the 'Zero Hour'. Time factor is there. Before the Private Members' Business starts, I shall have to finish it. … (*Interruptions*)

* Not recorded.

14.50 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (GENERAL), 2011-2012-Contd.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to start by thanking the 19 honourable, distinguished colleagues who spoke in the discussion on the first Supplementary Demands for Grants, 2011-12. The 2011-12 Budget was presented with a total expenditure estimates of Rs. 12,57,729 crore, comprising Rs. 8,16,182 crore on Non-Plan expenditure and Rs. 4,41,547 crore on Plan expenditure. It was estimated that with this level of expenditure, fiscal deficit during the financial year 2011-12 will be 4.6 per cent of GDP.

During the current Session of Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of article 115 of the Constitution, Supplementary Demands-for-Grants are sought from the Lok Sabha for certain items of expenditure. The first batch of Supplementary Demands-for-Grants for 2011-12 include 53 grants out of 106 grants. The salient features of the first Supplementary Demands for which an authorisation is being sought to the gross additional expenditure of Rs. 34,724.50 crore. This gross amount of Rs. 34,724.50 crore includes technical supplementaries with expenditure being matched by savings in other sectors or enhanced receipts or recoveries of Rs. 25,707.84 crore and token provision for enabling re-appropriation of savings involving items of the new service or new instruments of service of Rs. 0.6 crore. As a result of that, the net cash outgo would be, if the technical Supplementaries are excluded from the gross Supplementaries, Rs. 9,016.06 crore. The major heads under which this Rs. 9,016 crore are distributed are: Rs. 1,066.46 crore for transfer of the National Clean Energy Fund for financing various new projects relating to clean energy; Rs. 2,300 crore for BPL survey; and Rs. 2,370 crore for MPLADS; Rs. 1,500 crore for Integrated Child Development Scheme to meet the additional expenditure on

enhanced rate of honorarium to anganwadi workers and anganwadi helpers; Rs.705 crore for settlement of pending claims of the Air India and maintenance cost of aircraft for VVIP travel; Rs. 500 crore for modernisation of the police force and assistance to the States for raising India Reserve Battalion; and Rs. 410.73 crore towards *ex gratia* to victims of the Bhopal Gas Tragedy.

Now, hon. Members may legitimately ask me that while presenting the Budget, why I did not take into consideration all these expenditures which I am projecting after six months of the presentation of the Budget. This is a legitimate query of the hon. Members because this House is the master and supreme master in respect of money and finance. Without the approval of the House, the Executive cannot raise a single paisa in the form of taxation, cannot spend a single penny on any account and cannot even withdraw a single naya paisa from the Consolidated Fund of India. In these three ways, the House is supreme and master. Therefore, I owe an explanation to the hon. Members.

First of all, the hon. Members will recollect that I had to concede to the demand of a section of the hon. Members to increase the MPLADS Fund from rupees two crore to rupees five crore per year and naturally, when I presented the Budget, I could not anticipate that. That accounts for Rs. 2,370 crore.

In respect of the funds from the clean energy, I announced the amount, but I wanted to have the various Ministries identify the projects and place their demand. They have done so, and I am having Rs. 1,066 crore for it. The Indian Registrars also indicated that there would be a requirement for additional Rs. 2,000 crore for the BPL survey. So, that amount has also been provided.

I had announced in the Budget for increasing the Anganwadi workers and their helpers remuneration from Rs. 1,500 to Rs. 3,000, and Rs. 750 to Rs. 1,500. But it was not possible at that state to estimate what would be the total outgo. So, when the information came, we calculated and for this year we will require about Rs. 1,500 crore.

So far as Air India is concerned, as the hon. Members are fully aware that even yesterday or day before yesterday -- I do not exactly remember -- the Prime Minister had to intervene and respond in regard to the payment of salaries and productivity-linked incentives to the employees of Air India. Air India’s health is poor. Keeping that in view, we decided and for that revamping, there is a scheme and towards that end we are providing Rs. 705 crore. Of course, this amount is due to the Government. The accounts were not ready by then for the VVIP flights, which is being organised by the Air India. The estimates for the modernisation of the Police force and ex-gratia victims of the Bhopal gas leak disasters came later on. Therefore, I have included them.

Now, the second important question that the hon. Members may ask me is this. There is an apprehension, which we must be very careful about and we shall have to handle it effectively that if we want to maintain the fiscal deficit at the projected level, then we cannot allow the expenditure to go beyond a point. Then the fiscal deficit will increase. Fortunately, up to now -- I am saying up to now as I do not know what would happen in future -- the revenue growth is satisfactory. So far as the indirect taxes are concerned, it is around 30 per cent, and so far as the direct taxes are concerned, it is around 26 per cent. But if the industrial production goes down, then it will have an adverse impact in future. We are trying to maintain this level of buoyancy by enhancing / strengthening the tax collecting machinery; by bringing more people through survey and other information within the tax net; and trying to resolve through dispute settlement mechanism to unlock the money that is being locked in disputes and cases.

So, in this way, I am trying to maintain the tax buoyancy. I am not taking into account that last year I got the benefit of auction from 3G spectrum where I projected Rs. 35,000 crore, but I actually got Rs. 1,06,000 crore. But, every time, luck may not favour me. So, I do not know whether there will be any unexpected source. Keeping that in view, I am keeping the fiscal control over the whole thing.

15.00 hrs.

Regarding the outlook for the year 2011-12, the Prime Minister's Economic Advisory Council have downgraded the growth rate from 9.9 per cent -- my projection in the Budget was 9 per cent plus or minus 0.25 per cent; that means, on the lower side, it was 8.75 per cent – to 8.2 per cent. Even if we maintain that, it may be possible to retain the present momentum which we are having.

Some hon. Members have legitimately expressed the concern about the fuel subsidy. Surely, with the level of increase in the fuel prices, and everyday we are watching the situation, it is almost varying, sometimes, between $ 116 and $ 117 per barrel, it is just like a monkey moving on the greased pole. If it moves up by three inches, it comes down by five inches; it is going like that. The average price of Brent Crude is varying between $ 116 and $ 117 per barrel, which is extremely high. But at the same time, despite all these problems which are there, we shall have to maintain the process of fiscal consolidation because without fiscal consolidation, it would not be possible for us to achieve the growth, but I am emphasising that this growth must not be at any cost, and this growth must not merely be in statistical terms, but this growth must be such that it will generate employment which will provide jobs, and this must be growth with moderate rate of inflation. I do hope that with the cooperation of all sides concerned, it would be possible to achieve these objectives.

Some of my colleagues have raised some important issues and I will like to clarify the position. My distinguished colleague Shri Harin Pathak raised the issue that about 18 per cent of the total expenditure budget is being spent on the interest payment on the foreign debt. My response to that would be that the total interest payment in the Budget Estimate for the year 2011-12 is Rs. 2,68,000 crore. That is the total interest payment, both domestic and external. Out of this amount, interest payment on external account is only Rs. 3,572 crore. Therefore, it would not come to 18 per cent, but it would come to about 0.3 per cent.

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): The total interest payment comes to Rs. 2,00,000 crore or something.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Out of Rs. 2,68,000 crore which is the total interest, domestic and external taken together … (*Interruptions*)

SHRI HARIN PATHAK : That is 18 per cent of the total.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is substantial. Interest payment is one of the substantial expenditures of the Non-Plan expenditure of the Government of India. You can easily imagine that out of Rs. 12,50,000 crore expenditure, if Rs. 2,68,000 crore goes for interest payment, in terms of percentage, it is reasonably a high percentage.

SHRI HARIN PATHAK : That is what I mentioned.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am just talking about the foreign borrowing component, which is not much.

Dr. Raghuvansh Prasad Singh wanted to know why, at two places, I had given Rs. 15 crore for the 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore. Out of this Rs. 15 crore, Rs. 10 crore is through the cash supplementary and another Rs. 5 crore is through the technical supplementary because in the same head, there will be some savings and, therefore, there will be no net cash outgo. There will be spending of Rs. 15 crore, but the net cash outgo will be only Rs. 10 crore.

Shri Sivasami has addressed the problem of Tiruppur zero liquid discharge effluent treatment system. I would like to remind him that in my Budget Speech itself in 2010-11, not 2011-12, I assured the Central assistance of Rs. 200 crore towards the zero liquid discharge system in Tiruppur and it was announced. And of this, Rs. 100 crore has already been sanctioned and released.

Shri Tathagata wanted to know whether the AIBP plan is going on as per the schedule. The figure which is with me, clearly indicates that in 2009-10, the actual expenditure was Rs. 8,524 crore and in 2010-2011, actual expenditure is not available but Revised Estimates is available that is Rs. 9,500 crore and in 2011-12, the Budget Estimate which I have given is Rs. 12,624 crore.

Shri Shailender kumar ji wanted to know that there should be monitoring of the MPLAD Scheme. I entirely agree with him and I would like to suggest that there is a Committee consisting of the Members of Parliament itself to look into MPLADS. The Members in the Committee should take more interest and the meetings should take place more frequently so that the various issues coming out of it, can be fully taken care of.

Shri Pandey ji wanted to know about the allocation of the resources for Uttar Pradesh under PMGSY. I do not have the figures for 2011-12, the budgetary allocation that I have made. But 2009-10 and 2010-11 figures are there. It is Rs. 2,845 crore for 2009-10 and for 2010-11, it is rupees 1,309 crore.

Mr. Deputy Speaker, I again express my gratitude for the overwhelming support which the hon. Members have given.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I had asked for the DVC.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Insofar as DVC is concerned, they are having the problems of cash. I have discussed this issue with them. This is one of the organizations which was established even before we started our Planning process. The Act was passed in 1948, before the constitution of Lok Sabha which was called the Constituent Assembly and Provisional Parliament in those days. They are basically having the problem of infusing cash. They wanted to have additional cash through equity route. But it is not possible for me for the obvious reasons what I have explained to you that I shall have to keep my fiscal deficit at a particular level. To overcome their crisis in cash management, Government will stand guarantee for the bank loan which they will be provided with. That will meet their liquidity problem.

With these words, I commend that the supplementary Demands be approved by the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2011-2012 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 30 to 33, 38, 40, 41, 45 to 48, 50, 52 to 54, 57 to 61, 66, 72 to 75, 82, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96 and 101 to 105 "

The motion was adopted.

<u>15.10 hrs.</u>

APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2011*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item number 14.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2011-12.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2011-12."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce** the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may move the Bill for consideration.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I beg to move**:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2011-12, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2011-12, be taken into consideration."

The motion was adopted.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 05.08.11
** Introduced and moved with the recommendation of the President.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.13 hrs

STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS LAWS) AMENDMENT BILL, 2009

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we go to item No. 16.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration. "

The transfer of ownership of the State Bank of India (SBI) from the Reserve Bank of India (RBI) to the Central Government was carried out pursuant to the coming into force of the State Bank of India (Amendment) Act, 2007 (30 of 2007). There are certain provisions in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and the State Bank of Hyderabad Act, 1956 dealing with the approval of consultation with the RBI (in the capacity as owner of SBI) in the management and functioning of the Subsidiary Banks of SBI. Due to change in ownership, those provisions need to be suitably modified to reflect the change in ownership.

The Bill was introduced in the Lok Sabha on 12th December, 2009 and was referred to the Standing Committee on Finance. The Standing Committee had suggested two legislative amendments and the Government accepted both of them.

The first amendment recommended by the Standing Committee will enhance the ability of the Subsidiary Banks of the SBI to raise capital through rights issue. The second amendment suggested by the Standing Committee on Finance relates to substituting original heading of Section 63 relating to 'Power of the State Bank to make Regulations', with the word 'Power of the Subsidiary Banks to make Regulations'.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion Moved:

"That the Bill further to amend the State Bank of Hyderabad Act, 1956, and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration."

श्री निशिकांत दुबे।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। कल जब वित्तमंत्री जी बोल रहे थे कि रिफॉर्म्स आपके हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। 28 फरवरी को वित्तमंत्री जी ने कहा कि-

"The financial sector reforms initiated during the early 1990s have borne good results for the Indian economy. The UPA Government is committed to take this process further. Accordingly, I propose to move the following legislations in the financial sector: 1) the Insurance laws; 2) the Life Insurance Corporation Bill; 3) Revised Pension Fund (Regulatory and Development) Authority Bill; 4) Banking Laws (Amendment) Bill; 5) Bill on the Factoring and Assignment of Receivables; 6) The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Bill, which we are discussing now, and 7) Bill to Amend RDBFI."

हमने जो प्रोसेस शुरू किया, हमारे घोषणा-पत्र में जो है, उसको वे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपने कुछ बातें कहीं। महंगाई के बारे में जो डिस्कशन हुआ, मुझे काफी निराशा हुई। माननीय यशवंत जी ने जो बातें कही थीं और माननीय वित्तमंत्री जी ने उनका जो जवाब दिया था, उससे काफी निराशा हुई। निराशा खासकर तब हुई जबकि उधर से माननीय सलमान खुर्शीद साहब, यदि वे यहां होते तो मैं उनसे पूछने वाला था, उन्होंने दीवार फिल्म के डायलॉग द्वारा कहा कि आपके पास माँ नहीं है तो हमारे पास मनमोहन सिंह जी हैं। मैं मानता हूँ कि आपके पास मनमोहन सिंह जी हैं, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, श्री सी. रंगराजन हैं, श्री कौशिक बसु हैं, श्री सैम पित्रोदा हैं और सबके गुरू माननीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी जी हैं। सन् 1972 में जब ये वित्तमंत्री बने थे, बाकी सब कहीं नहीं थे। मुझे लगता है कि गुरू गुड़ हो गया है और चेला चीनी हो गया है। इस सरकार में इतने अर्थशास्त्री हो गए हैं कि एक कहावत है - ज्यादा जोगी, मठ उजाड़। हितोपदेश की एक कहानी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ किताब देखते हैं। किताब देखने के बाद सॉल्युशन निकालने की कोशिश करते हैं। हितोपदेश में अलोकिका पण्डिता की एक कहानी है जिसमें चार लड़के पढ़ने जाते हैं। वे पढ़ने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह अर्थशास्त्री हो जाते हैं। जब वे पढ़कर आते हैं, तो एक चौराहे पर भटक जाते हैं। भटकने के बाद उनको घर जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। वे किताब निकालते हैं, उसमें उन्हें दिखाई देता है -

महाजनो येन गता सो पन्था। उनको दिखाई देता है कि बड़े लोग जिस रास्ते से गए, वही रास्ता सही है। वे लोग उस रास्ते पर देखते हैं कि कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे हैं, वे उसके पीछे-पीछे चले जाते हैं और श्मशान पहुंच जाते हैं। श्मशान में उनको और कोई नहीं बल्कि गधा दिखाई देता है। गधा देखकर वे उससे लिपटने लगते हैं क्योंकि वे फिर से किताब निकाल कर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि - राजद्वारे श्मशाने ज्यौ, यश तिष्ठति सौ बान्धवाः। उनको लगता है कि श्मशान में खड़ा यह गधा ही हमारा भाई है। इसके बाद उन्हें ऊँट दौड़ कर आता दिखाई देता है तो उनको लगता है कि धर्मम् तीव्रम् गतिम्। उनको लगता है कि धर्म बड़ी तेजी से चल रहा है, यह ऊँट चूंकि बड़ी तेजी से भाग रहा है तो यह धर्म है। फिर वे लोग गधा और ऊँट को बांध देते हैं। जब गधा वाला उसको मारता है तो वे उसके आगे चले जाते हैं। आगे उनको एक नदी मिलती है, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि इस नदी में क्या होगा?

एक पत्ते के सहारे वे नदी क्रास करना चाहते हैं। वे फिर से अपनी किताब निकालते हैं और देखते हैं कि दो आदमी डूब रहे हैं, दो आदमी बच रहे हैं तो वे किताब में देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्याज्यति पाण्डित्यः। उन्हें लगता है कि ये दो आदमी तो डूब रहे हैं, इन्हें छोड़ दो, आधे दो आदमी तो हम बच रहे हैं। जब वे उसके आगे एक गांव में जाते हैं तो कोई उन्हें सेंवई खिलाता है तो उन्हें किताब में लिखा दिखाई देता है कि दीर्घसूत्री विनश्यति। उन्हें लगता है कि जो लंबी-लंबी चीज है, वह विनाश का कारण है, इसलिए सेंवई नहीं खानी चाहिए। मेरा यह कहना है कि जितने भी अर्थशास्त्री सरकार में हैं, उन्हें चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं।

यशवंत सिन्हा जी ने महंगाई के बारे में बोलते हुए सरकार से पूछा कि एफडीआई एंड रिटेल के बारे में जवाब दीजिये। सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरा एक ही सवाल है, आप रोजगार पर मत जाइये, हम लोग गांव से आते हैं। पहले एक आजीविका का साधन होता था। यदि यहां शहर के लोग भी हमारी बात सुन रहे होंगे, आजीविका का एक साधन होता था कि लोग गाय-भैंस पालते थे। गाय-भैंस का दूध बेचते थे और उसी से उनका पूरा परिवार चलता था। आज आप बताइये कि मदर डेयरी आने के बाद कितने लोग गाय और भैंस पोस रहे हैं। उनकी आजीविका का साधन क्या होगा? यदि आप वालमार्ट ले आयेंगे, किंगफिशर ले आयेंगे, टेस्को ले आयेंगे, बड़ी-बड़ी कंपनियां ले आयेंगे तो लोगों के रोजगार का क्या होगा? आपने इसका भी जवाब नहीं दिया। हमने आपसे पूछा कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बंद कीजिये, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने उस एफएमसी का जवाब नहीं दिया। आप हम लोगों को आंकड़ों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी से आम आदमी को क्या मतलब है? आप इंफ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं कि इस बार इंफ्लेशन रेट 9 परसेंट है। इंफ्लेशन रेट वर्ष 2008-09 के आधार पर है या वर्ष 2010-11 के आधार पर है। वर्ष 2008-09 में जितना प्रोडक्शन हुआ था, आज आपका प्रोडक्शन उससे ज्यादा है।

चाहे गेहूं का प्रोडक्शन ले लीजिये, चाहे चावल का ले लीजिये, शुगर का ले लीजिये, मस्टर्ड ऑयल का ले लीजिये, किसी का भी प्रोडक्शन ले लीजिये। क्या हम उस रेट पर जा पाये हैं? आप इंफ्लेशन प्ले करते हैं कि वर्ष 2011 में यह रेट था तो उसके आधार पर केवल 9 परसेंट इंक्रीज हुआ है। लोगों को जीडीपी नहीं पता है, लोगों को इंफ्लेशन नहीं पता है, लोगों को यह पता है कि वर्ष 2008 में हम 12 रूपये किलो चावल खा रहे थे और आज 20 रूपये किलो चावल खा रहे हैं और 20 रूपये से रेट नीचे नहीं जा रहा है। आप आंकड़ों में इंफ्लेशन की बात कर सकते हैं। आप आम लोगों के लिए कौन सा विषय लेकर आये और मुझे बड़ी निराशा होगी क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी जब बोलते हैं तो मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने गो का जिस ढ़ंग से जवाब दिया, वह मेरे लिए बहुत बढ़िया था। उन्होंने कहा कि मैं भटक गया हूं और वे लोकपाल पर आ गये। मैं यह कह रहा हूं कि जिस रिफॉर्म्स पर आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की बात कर रहे हैं, हम आपको सहयोग देने की बात कर रहे हैं। आज लोकपाल पर यह सरकार गड़बड़ा रही है, गर्मा रही है, अन्ना हजारे को किसने पैदा किया? अन्ना हजारे, मैं हुर्रियत से उसकी तुलना करता हूं। वह भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था। हम लोकपाल की बात कर रहे थे। यह ठीक है कि वर्ष 2002 में आपने, कमेटी ने इसे दिया और हम लोकपाल को नहीं ला पाये। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या आप भारतीय जनता पार्टी से बात करने आये? आप बात करने नहीं आये। आपने अन्ना हजारे को बुलाकर बात की, अन्ना हजारे को आपने नेता बनाया और उसकी वही दुगर्ति होनी थी, जो आज दुगर्ति हो रही है। इस पार्लियामेंट की मौकली हो रही है और उसके दोषी केवल आप और आप हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 के अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में काले धन की बात कही थी, हमने काले धन की बात कही थी। आपने हमसे बात नहीं की और आपने बाबा रामदेव को एयरपोर्ट पर वेलकम दिया। यदि आप बाबा रामदेव से मिलेंगे, आप अन्ना हजारे से मिलेंगे, यदि आप भारतीय जनता पार्टी को या इस प्रिंसिपल अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, इस संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यही हाल होगा जो आज हो रहा है।...(व्यवधान)मैं बिल पर ही आ रहा हूं। चूंकि कल बोलते-बोलते वे भी उस पर बोले थे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय से भटक गये हैं।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, मैंने स्वयं कहा है कि मैं भटक गया हूं। अब मैं बिल पर आ रहा हूं।...(व्यवधान) आप बिल पर सुनना चाहते हैं तो बिल पर सुनिये।...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी (जयपुर): अन्ना हजारे तो कहते हैं कि मेरा एकाउन्ट ही नहीं है।...(व्यवधान) आप उन्हें बहस में लेकर आ रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : आप मेरी बात सुनिये। अभी लेफ्ट के हमारे साथी ने कहा कि बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन की ऑल इंडिया स्ट्राइक है। अब मैं बैंक पर ही आ रहा हूं।...(व्यवधान)

15.25 hrs.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair)*

बैंक स्ट्राइक पर हैं। वे क्यों स्ट्राइक पर हैं? ओईसीडी की रिपोर्ट है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूडिड है। वह यह कहता है कि:

"The Organisation for Economic Co-operation and Development has presented its Report on Indian Economic Survey and has recommended among other things wide-ranging financial sector reforms to be implemented"

वह आगे कहता है कि :

"The Report has recommended speeding of financial sector reforms and privatisation of public sector banks by reducing the Government capital to 33 per cent and thus increase private shareholding to 67 per cent. "

आप जो अमैन्डमैंट ला रहे हैं, आप जो बैंकिंग रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसमें से जो ओएनसीडी की रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, वह कहीं न कहीं खतरा बता रही है और इसके कारण इस देश में जो खतरा मँडरा रहा है, उसके कारण बैंक इंप्लॉइज़ स्ट्राइक पर हैं। जो रघुरामराजन कमेटी की रिकमंडेशन है, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं और जो खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, यह जवाब आपको देना चाहिए। इसके बाद हमारे कुछ प्रश्न हैं। हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे कुछ प्रश्न हैं।

Question No. 1- Certain amendments were made in the year 2007, as per the recommendation of the Standing Committee on Finance, which examined the SBI Subsidiary Laws, 2006. Why have these amendments not been implemented?

Question No. 2 – Can the State Bank of India take over the business of its own subsidiaries under Section 35 of the SBI Act without seeking the approval of the Parliament?

Question No. 3- What are the reasons for increase in NPAs? आज आपने खुद जवाब दिया है कि एनपीएज़ भी इनक्रीज़ हो रहा है। How good is the performance of the subsidiary banks in the area of Credit Deposit Ratio, CRR, operating margins and achievements in the financial inclusion? How autonomous are the subsidiary banks, whether it is practicable for the Chairman of the SBI to attend the Board meeting of the subsidiary bank?

Question No.4- What are the effects on SBI after merger of subsidiary banks; pre and post merger on performance parameters? What is the economic justification for the merger of banks in general and that of subsidiary bank of the SBI? What is the Government policy on consolidation in the banking industry? How will it be managed when the SBI itself is not managed properly?

Question No. 5- What is the experience of SBI with regard to merger of State Bank of Saurashtra and State Bank of Indore. Why is the merger of one or two subsidiary banks with SBI was taken earlier, not this time?

Question No. 6- What shall be the difference between autonomy be given to the subsidiary banks and the autonomy of the nationalised banks? What will be the consequences of giving autonomy to subsidiary banks to frame their own rules?

Question No. 7- Why is that the NPAs of the subsidiary banks are larger than their profits?

Question No. 8- Please provide the data on NPA and wilful defaulters. Has SBI given adequate attention to the national priorities?

Question No. 9- What are the salient features of the long-term vision / strategy papers submitted by SBI to the Government and whether the Government has given any response to this paper? If not, state the reason.

Question No. 10- What is the economic justification in integrating the subsidiary banks with the State Bank of India? The increasing NPAs of SBI

indicate mismanagement. When the NPAs of the subsidiary banks are also increasing, why is the decision taken to integrate the subsidiary banks and how will the increasing NPA to be managed? Will it not complicate the problem of management of NPAs?

Question No. 11- Merger will complicate the promotion avenues and the industrial relations. The employees of the State Bank of Indore have been stubbornly opposing the integration. So, in spite of the Employees' opinion and administration and problem of mismanagement of NPAs, why is the Government ignoring this and allowing merger of subsidiary banks with the SBI?

Question No. 12- Does the Government want to disinvest a part of its share, that is being acquired from RBI for raising revenue? Further, what is the present shareholding of the Government in SBI? What is the present shareholding of the Government in SBI?

Question No. 13- How have the benefits of the employees being affected after the merger? Has SBI thought about the deployment of the staff of the merged subsidiaries?

Question No. 14- I would like to know whether the Chairman of SBI also being the Chairman of subsidiary banks is present in the board meetings of all the subsidiaries.

Question No. 15- It may be explained as to how the State Bank of Hyderabad has been making profit in spite of rise in NPAs.

Question No. 16- It may be explained whether any assessment has been done about regulatory capital requirements of subsidiary banks. If so, had they been found self-sufficient? If not, I would like to know whether SBI seeks to infuse capital into these banks. The Government is requested to furnish a copy of the Assessment Report.

MADAM CHAIRMAN: Nishikantji, now it is 3.30 p.m. and we have to take up Private Members' Business. You may continue next time.

15.30 hrs.

MOTION RE: SIXTEENTH AND SEVENTEENTH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTONS

MADAM CHAIRMAN: Now, we would take up Private Members' Business.

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixteenth and Seventeenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24 March, 2011 and 4 August, 2011, respectively."

MADAM CHAIRMAN: Motion moved:

> "That this House do agree with the Sixteenth and Seventeenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24 March, 2011 and 4 August, 2011, respectively."

MADAM CHAIRMAN: Shri P.L. Punia to move his amendment.

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move:

That in the motion,--

add at the end -

> "subject to the modification that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2010 (Amendment of section 3, etc.), contained in sub-para 3 of para 4 and sub-para 3 of para 5 of the Seventeenth Report, be referred back to the Committee for reconsideration of their recommendation with regard to the said Bill."

सभापति महोदया, इससे पहले कि आप इसके लिए सदन का विश्वास लें, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यह आंकड़े कई सालों से बढ़ रहे हैं। हमारे यहां शिक्षा और अवेयरनेस बढ़ी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में अवेयरनेस और शिक्षा बढ़ी है। उसके बावजूद इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। इसका स्पष्ट प्रमाण है। 156 सीआरपीसी के तहत यदि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो सीधे कोर्ट के हस्तक्षेप से रिपोर्ट लिखी जा सकती है। उत्तर

प्रदेश में डेढ़ हज़ार ऐसी रिपोर्ट हैं और अन्य प्रदेशों में भी हैं। मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ही नहीं कह रहा हूं जहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यदि रिपोर्ट बढ़ी मुश्किल से लिखी भी जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हमने इसमें प्रस्ताव रखा है कि ज्यादा दंड का प्रावधान किया जाए। स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। वास्तव में स्पेशल कोट्र्स होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रावधान होते हुए भी डेज़ीगनेट कर दिया जाता है कि फर्स्ट एडीशनल कोर्ट स्पेशल कोर्ट होगी for the purposes of Schedule Castes and Schedule Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989. वह नाम की स्पेशल है। इसमें प्रावधान किया गया है कि वास्तव में इसको स्पेशल किया जाएगा। केन्द्र सरकार के द्वारा अनेक उपाय किए गए। सबसे पहले छूआछूत को खत्म करने के लिए Protection of Civil Rights Act, 1955. उसमें छूआछूत हमेशा के लिए खत्म करने का प्रावधान किया गया है। कई प्रमाण भी दिए गए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में छूआछूत को समूल नष्ट करने का संकल्प भी दोहराया गया, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। पहले भी अनेक प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखे गए हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। मैं अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी हूं, इस नाते से मैंने पूरे देश में देखा है कि कहीं भी किसी भी प्रांत में इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए संसद, जो कि सर्वोच्च संस्था है, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इसका संज्ञान ले और इसको कैटेगिरी-ए में करने के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: I shall now put the amendment moved by Shri P.L. Punia to the vote of the House.

The question is:

That in the motion,--

add at the end -

> "subject to the modification that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2010 (Amendment of section 3, etc.), contained in sub-para 3 of para 4 and sub-para 3 of para 5 of the Seventeenth Report, be referred back to the Committee for reconsideration of their recommendation with regard to the said Bill."

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN : Now, I put the motion, with modifications, since the amendment has been adopted.

The question is:

> "That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24 March, 2011 and 4th August 2011, respectively, subject to the modifications that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2010 (Amendment of section 3, etc.) by Shri P.L. Punia, contained in sub-para 3 of para 4 and sub-para 3 of para 5 of the Seventeenth Report be referred back to the Committee for reconsideration of their recommendation with regarad to the said Bill."

The motion was adopted.

15.36 hrs.

PRIVATE MEMBER'S BILLS-INTRODUCED

(i)LAND ACQUISITION BILL, 2011*

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to acquisition of land for public purposes."

The motion was adopted.

श्री जयंत चौधरी: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: Shrimati Supriya Sule --- Not Present

Shri D.V.Sadananda Gowda --- Not Present

15.36 ½ hrs.

(ii)ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT BILL, 2011*

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में मृत्यु दंड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for abolition of capital punishment in India."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 05.08.11

**Introduced with the recommendation of the President.

The motion was adopted.

श्री प्रदीप टम्टा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.37 hrs.

(iii)GOVERNMENT SERVANTS (DECLARATION OF ASSETS AND INVESTIGATION) BILL, 2011*

श्री प्रदीप टम्टा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय विभागों में नियोजित सरकारी सेवकों द्वारा धारित आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for declaration and investigation of assets held by Government servants employed in certain departments and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री प्रदीप टम्टा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.38 hrs.

(iv)INTELLIGENCE SERVICES (POWERS AND REGULATION) BILL, 2011*

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the manner of the functioning and exercise of powers of Indian Intelligence Agencies within and beyond the territory of India and to provide for the co-ordination, control and oversight of such agencies.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate the manner of the functioning and exercise of powers of Indian Intelligence

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 05.08.11

Agencies within and beyond the territory of India and to provide for the co-ordination, control and oversight of such agencies."

The motion was adopted.

SHRI MANISH TEWARI : Madam, I introduce the Bill.

15.39 hrs.

(v)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL , 2011 *
(Amendment of articles 15 and 16)

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI S. SEMMALAI : Madam, I introduce the Bill.

15.39 ½ hrs.

(vi)INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Insertion of new Sections 302A and 364B)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

स्वीमती सुषमा स्वराज: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 05.08.11

15.40 hrs.

(vii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Insertion of new articles 16A and 29A)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted

श्री निशिकांत दुबे: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 05.08.11

15.41 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009 – Contd. (Insertion of new articles 275A and 371J)

MADAM CHAIRMAN : The House will now take up item No. 28. Prof. Ranjan Prasad Yadav may continue now.

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से अपने विधेयक पर अपनी बात आगे रखना चाहूंगा। पिछले सत्र में मैंने संक्षिप्त रूप में बिहार के विभाजन के परिणामस्वरूप राज्य को जो क्षति हुई है, इसके बारे में सदन को अवगत कराया था। यों तो बिहार आर्थिक रूप से हमेशा से पीछे रहा है, परन्तु सन् 2000 में, जब बिहार का विभाजन हुआ, उसके बाद बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई।

मैं बताना चाहूंगा कि बिहार जब 54 जिलों का बिहार था तो उसका एरिया लगभग 1,79 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर था। जब सन् 2000 में बिहार दो भागों में बंट गया तो 18 जिलों के बिहार से झारखण्ड नाम के राज्य का निर्माण हुआ। उसमें लगभग पूरे एरिया का 46 परसेंट एरिया उन 18 जिलों में झारखण्ड

15.43 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

राज्य में चला गया और लगभग 54 परसेंट जो 38 जिलों का बिहार बचा, उसमें गया। उन 18 जिलों में, जिनका एरिया 46 परसेंट है, उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग गये। जब बिहार एक था तो बिहार की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ थी और बिहार बंटने के बाद जो 18 जिलों के झारखण्ड राज्य का निर्माण हुआ, जहां उनका एरिया लगभग 46 परसेंट बचा, उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग उधर गये और जो 38 जिलों का लगभग 54 परसेंट एरिया बचा, उसमें लगभग 9 करोड़ जनसंख्या बची। हालात यह हुए कि उन 18 जिलों में देश में जितनी खनिज सम्पदा है, उसका 40 परसेंट आयरन ओर, कॉपर ओर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, माइका और यूरेनियम, इसका लगभग 99 परसेंट उन 18 जिलों में चला गया और जो फोरैस्ट था, वह भी लगभग 99 परसेंट उधर चला गया, जिसके कारण जो 54 जिलों का राजस्व आता था, जब बिहार एक था तो 100 रुपये में से 70 रुपये उन 18 जिलों से आता था और लगभग 30 रुपये, जो 38 जिलों का राज्य बचा, यहां से आता है।

बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और जो 38 जिलों का बिहार बचा, उसमें जो 38 जिले बचे, उनकी भोगौलिक स्थिति यह रही कि बिहार में लगभग 13 बड़ी-बड़ी नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी

गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानन्दा, सोन, पुनपुन, क्यूल, चांदन और गंगा, इसके कारण बिहार के हालात यह हुए कि जो बिहार बचा, उसमें 70 परसेंट इन 13 नदियों के कारण फ्लड प्रोन एरिया रहा और जो लगभग 70 परसेंट बचा, उसमें 27 परसेंट ड्राउट प्रोन एरिया बचा। हालात इतने बुरे हो गये कि अब वहां का विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं देती। इसलिए मैं विभाजन से सम्बन्धित इन बातों को सदन के समक्ष इस कारण रख रहा हूं कि इन बातों को मैंने दूसरे सदन में उस समय रखा था, जब सदन बिहार का विभाजन करने वाले विधेयक पर विचार कर रहा था।

उसी समय मैंने यह मांग की थी कि लगभग 1 लाख 79 हजार करोड़ रूपए का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की जाए और बिहार के ऊपर लगभग 31 हजार करोड़ रूपए का जो कर्ज है, उसे माफ किया जाए। बिहार सरकार के दो हजार करोड़ रूपए प्रतिवर्ष केवल सूद के रूप में चले जाते हैं। बहुत से मेरे रखे तथ्यों को स्वीकार करते समय उस समय की सरकार के गृहमंत्री ने सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया था कि बिहार की आर्थिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह भी घोषणा की गयी कि सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नियंत्रण में एक सेल की स्थापना की है जो सिर्फ बिहार के विकास संबंधी मामलों को देखेगी। उस समय सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि राज्य में कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस समय सदन में विपक्ष के नेता माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी तत्कालीन गृहमंत्री एल. के. आडवाणी जी के वक्तव्य से सहमति जतायी थी और गृहमंत्री से यह आश्वासन भी मांगा था कि बिहार राज्य के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। मैं प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करता हूं कि उन्हें दस वर्ष पहले कही गयी अपनी बात याद होगी और वे बिहार के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था करने का निर्देश देंगे।

महोदय, राज्य के विभाजन के दस वर्ष से भी ज्यादा गुजर गए हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है और यह समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार बिहार सहायता के प्रति कितनी गंभीर है। 25 फरवरी, 2011 को वित्तमंत्री प्रणव दादा ने लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए कहा था कि विकास की रफ्तार में बिहार दूसरे नंबर पर है।

महोदय, मैं जो संविधान संशोधन विधेयक सदन के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। यह विधेयक अत्यंत गहन विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। बिहार का विकास सिर्फ उस राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने दस वर्ष इंतजार कर लिया और अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है।

महोदय, सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज बिहार आर्थिक प्रगति के रास्ते पर मजबूती से चल रहा है। बिहार सरकार द्वारा विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए मेरा अपने विधेयक के माध्यम से यह प्रस्ताव है कि बिहार राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य इत्यादि में उपयोग करने के लिए भारत की संचित निधि को बिहार को एकमुश्त सहायता अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष तीस हजार करोड़ रूपए दिए जाएं। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह राशि बिहार राज्य को वित्त आयोग द्वारा दिए गए वार्षिक आबंटन और भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य वित्तीय सहायताओं के अतिरिक्त होगी।

महोदय, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने विधेयक में सिर्फ वित्तीय सहायता की ही बात की है, सिर्फ केंद्र सरकार से पैसे मांगना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हम यह भी चाहते हैं कि इस वित्तीय सहायता को जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमने यह भी प्रावधान किया है कि केंद्र सरकार निम्न विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए उपबंध कर सकेगी।

पहला राज्य के विकास के हेतु दीर्घकालीन योजनाओं का कार्यान्वयन, दूसरा पड़ोसी देशों से आने वाली नदियों में होने वाली बाढ़ का नियंत्रण, तीसरा राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए एक समेकित योजना, चौथा इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, राजमार्ग, विद्युत, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं और पांचवां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सेवाओं मे रोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं।

महोदय, सर्वप्रथम इस राज्य को औद्योगिक विकास की जरूरत है। यहां कृषि आधारित उद्योगों के लिए काफी संभावनाएं हैं। बिहार बिजली के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार की वर्तमान विद्युत स्थापित क्षमता मात्र 586 मेगावाट है जो देश की कुल स्थापित क्षमता का मात्र 0.4 प्रतिशत है, जबकि इस राज्य में पूरे देश की जनसंख्या का 8.15 प्रतिशत आबादी है। राज्य के थर्मल पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज हम पूर तरह से केन्द्र सरकार पर निर्भर हैं। केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र इस सरलीकृत कर प्रणाली से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिहार को 30,000 हजार डालर दे कर पुरस्कृत किया। सरलीकृत कर प्रणाली का अनुकरण कर श्रीलंका, अफ्रीकी देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जा रहा है।

विश्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि देश में दिल्ली के बाद पटना दूसरा स्थान है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है।

वर्तमान राज्य सरकार का मूलमंत्र है सुशासन के माध्यम से राज्य का सर्वांगीण विकास। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से राज्य को विकास दर में देश में दूसरे नम्बर पर पहुंचा दिया है। यह अभी शुरूआत है। विकास की यात्रा काफी लंबी है लेकिन बिना विशेष केन्द्रीय आर्थिक सहायता के यह संभव नही है।

महोदय, बिहार में निवेश के लिए उद्यमी आना चाहते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि बिहार की आर्थिक विकास में तेजी उस दशा में आ सकती है जब यहां की आधारभूत संरचना का विकास हो सके।

मैं यह जानता हूँ कि इन सब कार्यों को रातों-रात पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिल कर प्रयास करने की जरूरत है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि केन्द्र सरकार मजबूती से राज्य सरकार के पीछे खड़ी हो जाए और हर तरह से उसका साथ दे। अभी-अभी समाचार पत्रों की खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसे अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, 20,000 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज देने का काम किया है। हम चाहेंगे कि भेदभाव न बरता जाए और बिहार को भी, जो यहां हालात हैं उसमें स्पेशल पैकेज तुरन्त दिया जाए। मैं जानता हूं कि बिना सत्ता पक्ष के समर्थन के मेरा विधेयक पास नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहां सदन में सिर्फ अपनी पार्टी - जनता दल (यूनाइटेड) की तारफ से नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं राज्य के प्रतिनिधि और राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी खड़ा हूं। बिहार का समग्र विकास किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। यदि बिहार का विकास होता है तो इससे पूरे देश को लाभ है।

इसलिए मैं हर दल और प्रत्येक माननीय सांसद से यह अनुरोध करता हूं कि मेरे विधेयक को पढ़ें और इस पर अपनी राय सदन में व्यक्त करें। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ बिहार के सांसद इस पर बोलें। मैं सभी राज्यों और सभी दलों के माननीय सांसदों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे विधेयक पर अपने विचार संसद में व्यक्त करें और अपना समर्थन दें। यदि सभी दलों का समर्थन है तो हम इस विधेयक को पास भी करा सकते हैं।

महोदय, आपने मुझे अपनी बात विस्तारपूर्वक कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Constitution of India , be taken into consideration."

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, प्रो. रंजन प्रसाद यादव जो कौन्सटीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2009 लाए हैं, मैं इनकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूं। हम सब जानते हैं कि बिहार वर्ष 2000 में बाइफरकेट हो गया और बिहार से झारखंड राज्य का जन्म हुआ। मैं बगल वाले सूबे बंगाल से आता हूं। इस बात की सबको जानकारी है कि बंगाल में 34 साल तक वामपंथियों की सरकार रही। इसके चलते बंगाल की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि उसे हर साल 15 हजार करोड़ रुपये सिर्फ उधार के बोझ के ब्याज के जरिए देने पड़ते हैं। अभी बंगाल सरकार के ऊपर 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये उधार का बोझ है। बंगाल सरकार को हर साल 15 हजार करोड़ रुपये उसका ब्याज देना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बंगाल के लिए भी कोई स्पैशल पैकेज दिया जाए। हां, यह सही है कि बिहार बाइफरकेट हुआ है, इसलिए उसकी डिमांड थोड़ी अलग है और बंगाल की डिमांड अलग है। लेकिन मैं आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ-साथ बंगाल की आर्थिक स्थिति भी उतनी ही गंभीर है। हम सब बिहार का आदर करते हैं क्योंकि बिहार हिन्दुस्तान में ऐसी जगह है जिसे cradle of civilisation कहा जाता है।

Bihar is recognized as the cradle of civilization. You will be astonished to note that the first republic in our country, named after Lichavi, came into existence in Bihar. Etymologically it is called abode. Bihar is the abode of spiritual wisdom. Bihar is the abode of intellectual exercises. It had witnessed the vicissitudes of great empires. The Magadha Empire was established in this land. Sir, Bihar is not only an ancient region of our country but also a place where two most popular religions were born: one, Jainism and the other Buddhism. A number of eminent persons, male and female, were born in Bihar. It is the land of the Buddha, Mahavira, Aryabhatta, Chanakya, Valmiki, Viswamitra, Patanjali and Gargi. In the medieval period also, Bihar was known for Sher Shah, Guru Gobind Singh.

Over the years and especially in the wake of bifurcation of Bihar, the demand for a special package has often been raised by various forums.

16.00 hrs.

A PIL for the grant of special status to Bihar was filed in the Patna High Court. As a Respondent, the Union Government stated that Bihar does not fit the bill for the grant of special package. The reasons were cited for not allowing Bihar as a State for obtaining special package – geographical isolation, inaccessible terrain, poor resource base, remoteness to larger market and poor infrastructure. These are the parameters which are required before offering any State a status of special package.

In India, the States have been divided between special category and non-special category. It is true that after bifurcation of Bihar, it has lost a great deal of its resources. The division of Bihar only gave debt and disaster. Actually, Bihar was bequeathed upon by debt and disaster in the wake of bifurcation because all the mineral-rich areas that once belonged to the State of Bihar were left to Jharkhand. Naturally, the revenue earning capacity of Bihar got dwindled and the situation was further aggravated by the recurring floods. The devastating floods in Kosi is still haunting our memory. River Kosi consists of the catchment area in Himalaya and even Kanchanjunga. Every year, Bihar has been the victim of discharging the water through Kosi, which even turned into a flowing sea, destroying everything in its trail and thus led Bihar pauperised. Therefore, both north Bihar and South Bihar are the victims of flood because in South Bihar it is destined to discharge the water into River Ganges. So, Bihar is such a State which is very much prone to floods. More than 73 per cent of area in Bihar is prone to floods. Large chunk of Bihar also is prone to drought. So, Bihar is destined to be invaded by floods on the one hand, and by drought, on the other hand.

It is ironical to note that after bifurcation, three-fourth of the assets went to Jharkhand but three-fourth of the liability went to Bihar.

Sir, 46 per cent of land area went to Jharkhand whereas 3/4th of the population of the former State remained with Bihar.

Sir, actually, the entire eastern region, after the permanent settlement brought about by Cornwallis in the year 1793, over the centuries, has been the victim of primitive capital accumulation without generating any productive assets and still that colonial hang over has been bearing upon the State of Bihar, Bengal and even Orissa.

Sir, in so far as the National Human Development Report is concerned, the report was prepared by the Planning Commission in the year 2001 which says that Bihar is at the lowest position among major States in India. Today, when the hon. Member from Bihar Shri Jagadanand Singh put a question to the hon. Minister Shri Sushil Kumar Shinde in regard to power, we came to know the dismal power situation in Bihar. This is because all the power generation centres, which earlier belonged to Bihar, have now been shifted to Jharkhand. Therefore, Bihar is compelled to depend upon the Central power sector to have power in Bihar.

Bihar has the weakest infrastructural base among all major States in India even worse than some of the Special Category States. It has the lowest road density in the country with 100 kms. per lakh population which is lower than the Special Category States because most of the major road networks have now gone to the State of Jharkhand.

The problem is, India is a country which is following the norm of federal structure. We have the Union List, State List, and Concurrent List and for the devolution of finances we have to follow some specific norms. Here, if we go by the precedents, we will find that prior to the Fourth Five Year Plan, the allocation of Central Assistance to States was based upon the schematic pattern. There was no definite formula for allocation prior to the Fourth Five Year Plan. But in view of the general demand for an objective and transparent formula for allocation of Central Assistance to States, a formula, which is known to us as Gadgil Formula,

was devised in the year 1969 and since then up to the Fifth Five Year Plan, the Gadgil Formula was set in motion and it was continuing, after some modification, up to 1980. The modified formula became the basis for allocation of Central Assistance to States in the Sixth and Seventh Five Year Plans. That formula was again revised in the year 1990 which formed the basis for allocation of Central Assistance for the year 1991-92 only. Following representation, the formula was further revised in the year 1991 and a new formula called Gadgil-Mukherjee Formula came into existence.

It has been in operation since the Eighth Five Year Plan. However for comparison purposes all the four formulae, with criteria and weight, in respect of distribution among States are also prescribed. So, the problem is that we have been entangled by the various criteria that were devised for the allocation of fund to various States of our country. But the fact is that bifurcation of Bihar had cost a lot to the people of Bihar.

Sir, in Bihar, as I have already stated and I may again refer, the rural road density is as merely as 36.75 kms. per lakh population as against the all India average of 141.34 kms. In case of Railway infrastructure, Bihar is the weakest; it has 4.15 kms. per lakh population, while Gujarat has 7.34 kms. per lakh population. In Bihar, only 40 per cent to 45 per cent people have access of public telephone facilities. About 47 per cent villages in Bihar have no electricity.

Post-bifurcation, Bihar had got only the wealth of soil and water. As far as water is concerned, Bihar does not have the requisite financial capacity to channelise the water resources so as to optimally utilise the water wealth. So far as soil is concerned, Bihar basically is a State of agrarian economy where primarily villagers are earning their livelihood by subsistence farming. This is the problem. Bihar has a 700 kms. of international border. Naturally, we have to look into the plight of Bihar in a more cordial way.

Sir, I would simply give you an example to ascertain the loss of Central funds being incurred upon Bihar. The Union Government has been providing

food subsidy to all the States of our country. But the fact is that three-fourth of rice and more than 80 per cent of wheat purchased by Food Corporation of India are from relatively well off States, like Haryana, Punjab and Andhra Pradesh. Haryana and Punjab are called the rice bowl of our country.

I am not envious upon any State, but the reality is that those are the States which are getting the benefit of food subsidy.

Those States are giving us three-fourth of rice and 80 per cent of wheat through FCI, even though these States produce only one-fourth of India's rice and about one-third of India's wheat. Punjab and Haryana together account for 67 per cent of the subsidy and receive more in FCI subsidy than they do through the formal transfer system.

The annual loss of Bihar in this transfer could be more iniquitous for its huge agrarian base. About 11 per cent of State's population inhabit in urban areas. That means nearly 90 per cent population of Bihar lives in rural areas. While productive capacity of its farmers is severely crippled by poor infrastructure base, a huge volume of Central funds annually by-passes them in favour of States having stronger infrastructural base and richer agrarian economy. As Punjab, Haryana and Andhra Pradesh are rich in infrastructure so they are deriving the large chunk of food subsidy, whereas in the case of Bihar, it has been deprived because it does not have the requisite infrastructural facilities to raise the productivity of the farming community.

It is estimated that in the two years, that is, 2002-03 and 2003-04 a sum of Rs.23,196 crore of Central revenue has by-passed the farmers of Bihar in favour of rich farmers of other States. That is why सर, मैंने पहले ही कहा था कि उनकी भावनाओं का मैं काफी सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि बिहार को ज्यादा मदद की जाए। उन्हें जो भी मुआवजे दिये जा सकते हैं दिये जाएं। हमारे फैडरल स्ट्रक्चर का जो सिलसिला जारी है, इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे राज्य हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां प्रगति हुई है तथा बहुत सारे राज्यों में प्रगति नहीं हुई है।

इसलिए एक रीज़नल असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसे दूर करने के लिए हमें कम्प्रीहेंसिव तरीके से सोचना पड़ेगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय सभापति जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बिहार के बारे में विस्तार के साथ सभी बिंदुओं को सदन के सामने और देश के सामने रखा है। उन्होंने आंकड़ों के साथ, कागज और तथ्यों के साथ, जो विशलेषण किया है, इसके लिए बिहार के लोग आपके अनुगृहीत रहेंगे। माननीय रंजन प्रसाद यादव जी विद्वान हैं, प्राध्यापक हैं, अध्ययनशील हैं, उन्होंने काफी आंकड़ों और तर्कों के साथ अपनी बात को रखा है, जो सदन के सामने अभिलेख में है और वह बिहार के लोगों के लिए एक मार्ग-दर्शक सिद्धांत के रूप में रहेगा।

महोदय, मैं बिहार के उस क्षेत्र का हूं, जहां नदियों के जाल हैं, कोसी, कमला, गंडक, भूतही, बालान, लखनदेई और अधवारा समूह -ये सभी नदियों के ऐसे जाल हैं कि हम उस जाल के बीच में फंसे रहते हैं। आपने संसार में सड़कें देखी होंगी लेकिन पानी पर तैरने वाली सड़क आपने कहीं नहीं देखी होगी। आप बाढ़ के समय में बिहार जाएंगे तो हमारी सड़कें ऐसी लगेंगी जैसे पानी पर तैर रही हों। ऐसे दिखाई पड़ी। जब हम चलते थे, छात्र जीवन में तो पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर मिडिल स्कूल में जाते थे, बरसात के समय में, जब कभी साइकिल से जाते थे, तो कब साइकिल मेरे कन्धे पर चढ़ती थी और कब हम साइकिल पर चढ़ते थे, इसकी गिनती नहीं कर सकते थे क्योंकि जब कीचड़ आ जाए, पानी आ जाए, तो साइकिल को कन्धे पर लेते थे और जब सूखी सड़क आ जाए, तो साइकिल पर हम चढ़ते थे। उस कोसी, कमला और गंडक के बीच में, उस बाढ़ की विभीषिका में, जब हम 15 दिन, महीने भर पेड़ की डाली पर बैठे रहते हैं और घुटने भर पानी में हमारी औरतें जब शौच करती हैं, तो उस दर्द का एहसास उसी को होगा, जो उस स्थिति में जीवन गुजारता होगा। ऐसी परिस्थिति है। उससे निकलने के लिए प्रयास भी किए गए। युग-युग से मेरे पूर्वज, हम सभी बैठते हैं और आज तक भोर के समय गांव के किसान लोग परमात्मा की जो पराती गाते हैं, मैं भी गाता था जब मैं गांव का प्रधान था और विधायक था। आज भी कभी-कभी गा लेता हूं। वह पराती जो हम लोग आज तक गाते रहे हैं, उसमें हम यही गाते हैं, यह हमारी मैथिली में है, इसे मैं वैसे ही सुना दूंगा :

> "कखन हरब दुख मोर, हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। दुख ही जनम भेल दुख ही गमाउल, सुख सपनेहु नाहि भेल। हे, भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर।"

युगों से हम इसे गाते आ रहे हैं, लेकिन न जाने भोला बाबा कहां चले गए, जो युग-युगांतर से मेरे पूर्वजों और हमसे यह गीत सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा दुख अब तक दूर नहीं हुआ है। प्रयास हो रहे हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रयास नहीं हुए हैं, यह नकारात्मक चिंतन है। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही या किसी की रही, लेकिन विकास करने की या उस दुख को दूर करने की जो दृष्टि थी,

दिशा थी, वह गलत रही। पिछले छह साल से हम दृष्टि और दिशा के साथ कुछ संकल्प की तरफ बढ़े हैं। जब हमारी दृष्टि सही है, दिशा सही है, संकल्प है, प्रतिबद्धता है और हम पूर्ण निष्ठा के साथ बिहार को खड़ा करके भारत के किसी विकसित राज्य से बढ़ा कर आगे ले जाने का संकल्प ले कर चले हैं और वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब मिल कर प्रयत्नशील हैं, वहां की राजनीति में लगे लोग, प्रशासन के लोग सभी एक सूत्र से प्रयत्नशील हैं, तो उस समय केंद्र सरकार का हमें सहयोग मिल जाए, तो वह हमारे लिए वैसे ही कारगर होगा, जैसे खंभे हैं, तार हैं, ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन उसमें अगर बिजली ही नहीं होगी, तो इन सारी चीजों का क्या करेंगे। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सभी चीजें हैं, लेकिन लाइन नहीं है, बिजली नहीं है और केंद्र सरकार कहती है कि बिजली देने का काम राज्य सरकार का है, तो हम बिजली कहां से लाएं? बिजली एक-दो दिन में नहीं आ सकती है। हम खेत में बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, हम पम्पिंग सैट लगा कर बिजली नहीं निकाल सकते हैं। बिजली पैदा करने के लिए जो पैसा चाहिए, साधन चाहिए, कोयला चाहिए, गैस चाहिए या तेल चाहिए, इन्हीं चीजों से बिजली पैदा होगी। क्या ये सभी साधन हमारे पास हैं? न कोयला है, न तेल है, न गैस है बल्कि इन सभी चीजों के लिए हम केंद्र पर आश्रित हैं। बिजली पैदा न करें और कह दिया जाए कि बिहार ने बिजली क्यों नहीं पैदा की है, तो यह ऐसे ही कहना होगा जैसे किसी आदमी का लीवर खराब है और उससे कहा जाए कि तुमने अपनी तंदुरुस्ती के लिए एक लीटर दूध रोज क्यों नहीं पिया।

जिसका लिवर खराब है, वह एक लीटर दूध पी जाए और जल्दी मर जाए। हमारे पास साधन नहीं हैं। आपसे साधन मांगते हैं। बिजली के थर्मल स्टेशन का शिलान्यास भी बाढ़ में किया गया और बनाने की योजना भी पड़ी हुई है। जार्ज फर्नान्डीज की कृपा है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार में वह मंत्री बने थे तो काँटी में उन्होंने एक थर्मल स्टेशन बनवाया था और जार्ज फर्नान्डीज जो महाराष्ट्र के हैं लेकिन जब वह केन्द्र में मंत्री बने तो उन्होंने ईमानदारी के साथ बिहार को हर चीज देने का प्रयास किया। वह जिस भी क्षेत्र में गये, उन्होंने वहां काफी कुछ दिया। उन्हें लोग याद रखेंगे। इस पर चिंतन करने की बात है। 1,25,000 करोड़ के आसपास रंजन जी मांग रहे हैं। सरकार के लिए 1,25,000 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि आज भारतवर्ष के अखबारों को निकाला जाए और सभी राज्यों के घोटालों को निकाला जाए तो इससे दस गुना का रोज अखबार में छपता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र सरकार के हैं। मैं इस सदन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा और जिस मिथलांचल के हम हैं, जब तक मिथलांचल की धरती रहेगी, तब तक मिथलांचल के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऋणी रहेंगे। इसलिए राजमार्ग संख्या 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 यानी 750 कि.मी. सड़कें उस सरकार ने उस उत्तर बिहार में मिथरांचल को

एक बार में दी और एन.एच-57 जो पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाला राष्ट्रीय महाराजमार्ग है, जो द्वारिका से लेकर कोहिमा तक जाने वाला है, वह बिहार के 6 जिलों के बीच से होकर निकलता है। इससे सभी राजमार्ग जुड़े हुए हैं। नीतिश कुमार जब रेल मंत्री थे तब अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोसी में ले जाकर रेल का महासेतु का शिलान्यास किया, जो अब तक अधूरा है। उत्तर बिहार के पूर्व और पश्चिम को जोड़कर ऐसा नक्शा बना जिससे कायाकल्प हो सकता है, लेकिन वहां गड्ढा है।

मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा कि एक नौजवान अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। मोटरसाईकिल पर जाते हुए बार-बार पीछे हाथ लगाकर टटोल रहा था। मैंने आगे जाकर रोका कि बार-बार पीछे क्या देख रहा है? तो उसने कहा कि देख रहा हूं कि पत्नी बैठी है या नहीं। क्या आपने सड़क के गड्ढे नहीं देखे हैं? गड्ढे में मोटरसाईकिल गिरती है तो टटोलता हूं कि पत्नी है या किसी गड्ढे में समा तो नहीं गई। ऐसी दुर्गति चलती रही तो आप समझ लीजिए कि चाहे बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर हों, भोला पासवान शास्त्री हों या हुक्मदेव नारायण यादव हो, बिहार के लोगों की जिंदगी की 25 परसेंट आयु सड़क खा गई है क्योंकि सड़क पर जब चलते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक हड्डियां चरमरा जाती हैं और लगता है कि भारत में कहीं इलाज होगा या नहीं या ऐसे ही हड्डियां छिटक जाएंगी। हम ऐसी सड़कों पर चलते रहें हैं और बिहार सरकार ने अपने पैसों से मरम्मत करा दी। 711.97 करोड़ रुपए की मरम्मत करा दी और हमने उस राजमार्ग के लिए पैसे की मांग की तो केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना किए जाने के कारण इस धनराशि की प्रतिपूर्ति संभव नहीं हो सकती है। क्या यह इंसाफ है? वहां की सरकार ने अपने पैसों से मरम्मत इसलिए कराई कि ट्रक, बस न उलट जाए, दुर्घटना न हो, आदमी न मरे, 711 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देने में कहती है कि इसलिए नहीं देंगे कि बिना हमारे आदेश के खर्च क्यों किया ?

बिहार में अगर किसी गांव में आग लग जाए तो क्या केंद्र सरकार से आदेश लेंगे कि दमकल बुलाएं, आग बुझाएं, पानी डालें, आप खर्च देंगे या नहीं देंगे? आप देखिए कि यह तर्क कितना अन्यायपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप देखिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। रंजन जी भी मांग कर रहे हैं। यहां सड़कें स्वीकृत हुई, आपने पांच केंद्रीय एजेंसियों को सड़क बनाने के लिए लगाया जबकि इसमें हमारी कोई एजेंसी नहीं थी। प्लानिंग कमीशन ने त्रिपक्षीय समझौता करके पांच एजेंसियों को काम पर लगाया, दिसंबर 2010 तक पूरी की गई स्वीकृत सड़कों की संख्या कुल 3590, दिसंबर 2010 तक पूरी की गई सड़कों की संख्या 1383, सड़कों की कुल लंबाई 18903 किलोमीटर जबकि पूरी की गई 8448 किलोमीटर। यही गतिशीलता थी, क्योंकि पैसा नहीं दिया। सड़कें कब बनी? प्राक्कलन बन गए, अब प्राक्कलन की राशि बढ़ गई। केंद्र सरकार का कहना है कि प्राक्कलन की राशि अब बढ़ गई है इसलिए 2001-02 के प्राक्कलन के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा देंगे, अब प्राक्कलन बढ़ गया है उसका पैसा नहीं देंगे, आप इसका खर्च उठाइए। यह अन्याय नहीं है तो क्या है? अगर बहुत ज्यादा है तो 90 परसेंट राशि आप दीजिए और 10 परसेंट बढ़ी हुई राशि हम देंगे, हम बोझ उठा लेंगे। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है?

महोदय, आप खेती की बात कह रहे थे, समूचे भारत में मार्जिनल फार्मर 64.77 प्रतिशत हैं और स्माल फार्मर 18.52 प्रतिशत हैं। लेकिन बिहार में मार्जिनल फार्मर 89.64 यानी 90 प्रतिशत और दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जोतने वाले लघु सीमांत किसान केवल सात परसेंट हैं। आप देखिए कि इतना अंतर है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को यह पैसा इसलिए देना चाहिए क्योंकि सड़क बनानी जरूरी हैं। मैं दो-तीन मिनट और समय लेकर कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि बिहार जातिवादी है। मेरे पास लिस्ट है - स्वर्गीय अशोक मेहता, स्वर्गीय आचार्य कृपलानी, स्वर्गीय मधु लिमै, जार्ज फर्नांडिस, रविन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर प्रसाद, युनूस सलीम, शरद यादव, इन्द्र कुमार गुजराल, ये सभी बिहार से एमपी बने। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई राज्य है जो अपने को उदारवादी और विकासवादी कहता हो, जिसने अपने प्रदेश से बाहर के इतने लोगों को संसद में भेजा हो, उन्हें चुनाव से जिताकर या राज्यसभा के मार्फत भेजा हो? हमने चुनाव में जिताकर या राज्यसभा के मार्फत भेजा है, सबको भेजा है। यह कहा जाता है कि बिहार में संतुलन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में कितना संतुलन किया है, उदारता दिखाई है। डॉ. कृष्ण सिंह, पंडित विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र, विद्वेश्वरी दूबे, केदारनाथ पांडे, पांच ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। सरदार हरिहर सिंह, चन्द्रशेखर सिंह, सत्येन्द्र नारायण सिंह, तीन राजपूत मुख्यमंत्री बने। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दरोगा प्रसाद राय,

लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, चार यादव मुख्यमंत्री बने। अब्दुल गफूर, एक अल्पसंख्यक वर्ग से मुख्यमंत्री बने। श्री भोला पासवान शास्त्री, अनुसूचित जाति के एक शाखा के मुख्यमंत्री बने। श्री रामसुंदर दास अनुसूचित जाति के दूसरी शाखा के मुख्यमंत्री बने। कर्पुरी ठाकुर, अति पिछड़े वर्ग के थे जो मुख्यमंत्री बने। हमें इन पर गर्व है कि ये सबसे कम संख्या वाले अति पिछड़े वर्ग के थे और सबसे ज्यादा दिन तक बिहार में जन नेता के रूप में रहे। कृष्ण वल्लभ जी, कायस्थ थे, मुख्यमंत्री बने। सतीश प्रसाद कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। नीतिश कुमार जी जाति के हिसाब से कुरमी हैं, अब मुख्यमंत्री हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। बिहार ने अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, दक्षता, उदारता और महानता से संपूर्ण विश्व और भारत को प्रतिभावान व्यक्ति दिए हैं। केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। यह केवल हमारा ही नहीं हुआ, आप संपूर्ण भारत का नक्शा उलट कर देखिए, क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विषमता अगर देन है तो वह केंद्र सरकार की आर्थिक नीति और बजट की देन है।

इसलिए मैं श्री रंजन प्रसाद यादव को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात स्वीकार करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारा भी अपराध है । मैं 1959 ईस्वी में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। मैं इतने दिनों से चुनाव लड़ता रहा हूं और बिहार की सक्रिय राजनीति में ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रधान, जिला परिषद का अध्यक्ष, तीन बार एम.एल.ए., एम.पी., भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। 1959 से मैं राजनीति में सक्रिय रहा। लेकिन हमने पाया कि हमारा भी अपराध था और बिहार के लोग आज इसे अंतर्मन से स्वीकार भी कर रहे हैं कि राजनीति का जातिकरण हुआ, जाति का अपराधीकरण हुआ, अपराध का समाजीकरण हुआ, समाज का भ्रष्टाचारीकरण हुआ, भ्रष्टाचार का प्रशासनीकरण हुआ और प्रशासन का चापलूसीकरण हुआ। इन सभी रोगों से बिहार पिछले पांच-छः वर्षों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है और इन सभी रोगों से मुक्त होकर हम एक नये बिहार की रचना करना चाहते हैं, नये समाज की रचना करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पंचायती राज में पचास प्रतिशत आरक्षण देकर हम बिहार से महिलाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। हम सब तरफ नई दिशा दे रहे हैं।

इसलिए सदन से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बिहार के साथ-साथ जहां भी भारत का जो प्रदेश अविकसित है, अल्प विकसित है, जहां क्षेत्रीय विषमता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता है, इन सभी विषमताओं का अंत करो। अगर ये विषमताएं नहीं मिटेंगी तो इन्हीं विषमताओं की अग्नि से ही कहीं न कहीं उग्रवाद और अतिवाद जन्म लेता है, जो आज भारत माता के शरीर को घावों से छिन्न-भिन्न कर रहा है और भारत माता के रोम-रोम से रक्त प्रवाहित हो रहा है और भारत माता रो रही है कि आओ इस विषमता को मिटाकर एक नए समाज की रचना के लिए यह संसद आगे बढ़े।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रो. रंजन प्रसाद यादव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्य को सुन रहा था और चूंकि यह प्राइवेट मैम्बर बिल है तो आज एक गीत भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं श्री हुकमदेव नारायण यादव जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह बात सत्य है कि बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड एक नया प्रदेश बना। अभी श्री रंजन प्रसाद जी कह रहे थे कि बिहार में जो प्राकृतिक सम्पदा थी, वह ज्यादातर झारखंड में चली गई। वहां से हमें जो एक आर्थिक उपज मिलनी थी, जो आर्थिक विकास की एक कड़ी थी, वह झारखंड में चली गई। इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने 90 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 के बिल पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरे तरीके से इसे सपोर्ट भी करता हूं।

सभापति महोदय, यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भी विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य बना। हमारे उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हुआ और उत्तराखंड बना, जहां से आप एक सम्मानित सांसद हैं। लेकिन जहां तक हमारे दल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का सवाल है, हम लोग हमेशा से प्रदेश और जिलों के विभाजन के खिलाफ रहे हैं। इसे हम लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। जब भी जिलों और प्रदेश का विभाजन होता है तो हम यहां आज जो रोना यहां रो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारी एक शक्ति होती है, वह खंडित हो जाती है और खंडित होने के बाद सबकी अपनी आवाज और अपनी मांग होती है और इससे हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर कमजोर होते हैं। हर तरीके से हमारे विकास पर उसका असर पड़ता है।

जहां तक बिहार की बात है, यह बात सत्य है कि आज पूरे देश के मानचित्र पर बिहार को देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे गरीब प्रदेश है। वहां प्राकृतिक संपदा बहुत है जिससे हम वहां विकास कर सकते हैं। लेकिन समय-समय पर बराबर बिहार से यह आवाज़ उठी है कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए। इस बात की हमेशा मांग उठती रही है। आज तारांकित प्रश्न पर बहस हो रही थी। आपने देखा कि चाहे जेडीयू के सांसद हों या भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, बिहार के जितने भी सांसद थे सबकी एकजुटता बिजली की मांग और आपूर्ति पर थी। कितना हंगामा हुआ। इससे मालूम होता है कि वाकई कितना दर्द है। अभी हुक्मदेव नारायण बिजली और सड़क की बात कह रहे थे। यह तो लाइफ्लाइन है। किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर बिजली और सड़क नहीं होगी तो वह प्रदेश ही बेकार है। दारा सिंह जी भी इसी विषय पर खड़े हुए थे। वहां की जरूरत और आवश्यकता के लिए वे भी मांग कर रहे थे कि हमारे प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है। यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भी हमें जितनी बिजली मिलनी

चाहिए, वह नहीं मिल रही है। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। बिहार के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य जितने स्तरों पर कहा जाए मेरे ख्याल से उसकी कोई मिसाल नहीं है। यह बात नहीं है कि बिहार पिछड़ा और गरीब है तो लोग वहां जाते नहीं है। तमाम विदेशी लोग वहां जाते हैं, वहां बौद्धिक स्थल भी है। हम विदेशी पूंजी लाने की बात करते हैं कि विदेशी धन आए, जिससे हमारा प्रदेश और देश विकास करे। अगर धार्मिक प्रवृति को लेकर वहां पर विदेशी सैलानी आते हैं, तो आज यह कोशिश करनी चाहिए कि वहां का विकास उस हिसाब से होना चाहिए। यह केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए और उसके हिसाब से प्रदेशों को बजट का आवंटन करना चाहिए।

कोसी नदी की बात कही गई। यह बात सत्य है कि वह सबसे निचला इलाका है और तमाम नदियों का वहीं पर भराव होता है। जब बाढ़ का प्रभाव होता है तब सबसे ज्यादा बिहार को ही होता है। बिहार में जब बाढ़ का उबाल होता है और नेपाल से जो पानी आता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आती है। यह स्थिति है। अभी सम्मानित सदस्यों ने बिजली की मांग के लिए बात कही। बहुत अच्छे थर्मल पॉवर वहां लग सकते हैं। हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं लेकिन हम वह नहीं कर पा रहा हैं। हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। छोटी-छोटी पहाड़ियां और हरे-भरे जंगल भी वहां पर हैं एवं तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिससे हम बिहार को सजा सकते हैं और सवांर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यही कारण है कि जैसे तेलंगाना को लेकर आज यहां पर घमासान हुआ है। आपने यहां लोगों की भावनाएं देखीं। जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, चाहे तेलंगाना के हों या इधर के हों, वे जो बोल रहे थे, वह सब उनकी भावनाएं और दर्द हैं। कहीं न कहीं जनमत संग्रह करवा कर देखना चाहिए कि वहां के लोग किसके साथ कहां रहना चाहते हैं। कहां पर उनका विकास सीमित है। कहां उनका विकास समाहित है। उस ओर हमें देखना पड़ेगा। 600 बेगुनाह, बेवजह लोगों ने आत्महत्याएं की, यह बड़े शर्म की बात है। अगर आपने झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड बना दिया है तो मेरे ख्याल से आप तेलंगाना भी बना दीजिए। लोगों से राय ले लीजिए। आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना के लोगों से राय लेकर बना दीजिए। बन जाए वहां पर प्रदेश, दे दीजिए वहां पर पैकेज। हमारे उत्तर प्रदेश की तो कहने की बात ही अलग है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहनजी ने तो यह कहा है कि अगर हमारा बस चले तो उत्तर प्रदेश में से चार प्रदेश बना दें। बुन्देलखण्ड बना दें, पूर्वान्चल बना दें, हरित प्रदेश, पश्चिमांचल बना दें, इसके एक नहीं चार प्रदेश बना दें।

हम इसके खिलाफ हैं। आप अपनी राय दे दीजियेगा, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। अगर बन जायेंगे तो यही रोना जो यहां रोया जा रहा है, जो बिल लेकर हम आये हैं, वही रोना हमारे सामने रहेगा। यह भी सत्य है कि अगर आज देश का काला धन, जो विदेशों में जमा है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अगर इस धन को एकत्रित कर लिया जाये तो मेरे ख्याल से एक सुन्दर भारतवर्ष, स्वर्णिम भारतवर्ष बन सकता है और जितने भी पिछड़े हुए प्रदेश हैं, उनका विकास हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी क्या बेबसी है, क्या लाचारी है, हमें इसकी तरफ सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहकर केवल इतना ही कहूंगा कि हमारे सम्मानित सदस्य प्रो0 रंजन प्रसाद यादव जी ने, हुक्मदेव नारायण यादव जी ने और अधीर रंजन जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बातों को पूरी तरह से बल देते हुए आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि बिहार प्रदेश के लिए पैकेज की जो मांग की गयी है, वह पैकेज उन्हें दिया जाये। अभी मैं इस बिल को भी देख रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी से मिलकर योजना आयोग में जाकर गुहार लगायी है। उन्होंने भी पैकेज की मांग की है। इस पैकेज की जरूरत है और हम इस बात पर बल देते हैं कि उन्हें पैकेज दिया जाये और बिहार प्रदेश का विकास किया जाये। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः इस विधेयक पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रमाशंकर राजभर।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोलिये।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, प्रोफेसर साहब जो बिल लाये हैं, यह बिल किस परिणाम को प्राप्त होगा, इसका चाहे जो परिणाम हो, लेकिन इस बिल के माध्यम से जो मंशा सदन में जाहिर हुई, वह काबिलेतारीफ है। आज हमें बिहार के बारे में निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, देश के वे हिस्से जहां जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है, जहां जनसंख्या का बहुत घनत्व है, उन प्रान्तों को स्पेशल पैकेज देकर उन्हें आगे लाने की बात होनी चाहिए। काफी साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये। यह सही है कि बिहार ने कवि भी दिया, साहित्यकार भी दिया, राष्ट्रपति भी दिया और कई धर्मों के संस्थापक भी दिये, केवल इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ बिहार ने दिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र सलेमपुर, बलिया और देवरिया बिहार के बॉर्डर पर है। मेरी सारी रिश्तेदारियां बिहार में हैं और बिहार के सारे लोगों, सारे मतदाताओं से मेरी सुबह-शाम मुलाकात होती है। गोपालगंज, छपरा, बक्सर और बिहार से हमारी संस्कृति और सभ्यता मिलती-जुलती है। बिहार ने केवल मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और कवि ही नहीं बनाये। बिहार ने तो दुख, तकलीफ सहकर और ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़कर और महोदय जब इलैक्ट्रिक लाइन नहीं थी तो ट्रेन की छत पर चढ़कर हजारों किलोमीटर दूर जाकर हरियाणा बनाया, राजस्थान बनाया, पंजाब बनाया और वहां के मजदूर ने जाकर मुंबई बनाया, वहां के मजदूर ने जाकर गुजरात बनाया। अगर देश के किसी भी कोने में चर्चा होती है और एक सड़क बनाने वाले ठेकेदार से भी पूछा जाये तो वह यह कहता है कि बढ़िया मजदूर या तो बिहार से पिच करने वाला लाओ और नहीं तो बंगाल से मजदूर लाओ, छत्तीसगढ़ से मजदूर लाओ, उड़ीसा से मजदूर लाओ। अगर हम उस बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो दो-तीन बातें बहुत साफ होनी चाहिए। सब कुछ बिहार में है, चाहे जनसंख्या का घनत्व हो, सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन हों या पानी और उपजाऊ जमीन हो, वहां सब कुछ है।

महोदय, मुझे दो-तीन प्रान्तों के बारे में जानकारी है। जिस समानता की बात अभी सीनियर साथी आदरणीय हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे कि बिहार में एक चीज में समानता नहीं हो पाती। वहां आपको अमीर इतना अमीर मिलेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं और गरीब भी इतना गरीब मिलेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यह कैसे होगा? धन से होगा। और यह हर क्षेत्र में होता है। मैं यह नहीं कहता कि समाज के क्षेत्र में वहाँ काम नहीं हुए, लेकिन आज भी अंधविश्वास से, जादू-टोना से वहाँ की सामाजिक स्थिति चरमरा रही है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है।

सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश को हमें आगे ले जाना है तो सबसे पहले हम वहाँ पानी ले जाते हैं। जब पानी जाता है तो हरियाली जाती है और हरियाली जाती है तो खुशहाली जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क हर प्रांत की बुनियादी आवश्यकताएँ हैं। हम खजाने का जो बोझ आज तैयार कर रहे हैं, हमारे

भाई साहब ने पैकेज मांगा और उस पर भारत सरकार कहेगी कि हमारे पास धन नहीं है, पैकेज नहीं दे सकते। बताया जाएगा कि खजाना खाली है। खजाना भरेगा कैसे? कई बजट आए, अनुपूरक बजट आए, चर्चा सुनी गई कि पसीने से भारत का खजाना भरा जाएगा, हमने भी अखबारों में ऐसा पढ़ा। मैं कहता हूँ कि मैं नया सांसद हूँ लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज एक साल से, डेढ़ साल से काले धन की चर्चा हुई। हमारा काफी रुपया स्विस बैंक में है लेकिन हमारे देश में काला धन नहीं है क्या? एक तरफ हमारा खजाना खाली है और दूसरी तरफ हमारे खजानों में दस-दस क्विंटल सोना मिलता है, पाँच-पाँच क्विंटल चांदी और एक-एक लाख करोड़ रुपये हमारे ही देश में मिलते हैं। देश का खजाना कैसे भरेगा? आप सौ रुपये छापते हैं तो पचास रुपये कार्यशील पूँजी होगी और पचास रुपये डंप हो जाएंगे तो वह पूंजी कार्यशील नहीं रह जाएगी, आपको कैसे राजस्व मिलेगा? इसलिए मैं उधर न जाकर भारत सरकार को इस बिल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अधिक घनत्व के ये क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि बँटवारे के बाद बिहार की प्रगति में उसके अपने संसाधनों से जो प्रगति हुई, उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आबादी के घनत्व से ज्यादा प्रांतों के लिए हमें पैकेज का इंतज़ाम करना ही होगा। इसलिए करना होगा कि हमारा पूरा शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, केवल एक अंगुली में कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर को मिटने में देर नहीं लगेगी। समाज के या देश के एक अंग में, देश के किसी एक कोने में अगर बीमारी होगी तो पूरे शरीर को बीमार होने में देर नहीं लगेगी और यही कारण है कि आबादी के घनत्व के ज्यादा इलाके जहाँ हम बिजली, सड़क, शिक्षा नहीं दे पाए, स्वास्थ्य का इंतज़ाम नहीं कर पाए, आज वहीं पर इसी भारत माँ का नौजवान हथियार उठाकर कानून अपने हाथ में लेने का काम कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि उन्हें हम कैसे परास्त करें, कैसे हम अपने डीएम को बचाएँ, कैसे हम अपने सेना के जवान को बचाएँ। इसलिए यह ईमानदारी होनी चाहिए कि जो कपड़ा साफ है, उसको गंदा न किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि उसको गंदा कर दिया जाए लेकिन जो कपड़ा गंदा हो चुका है, उसको साफ करने के लिए थोड़ा साबुन और सोडा अलग से देना ही पड़ेगा और आप देना चाहते हैं तो पैकेज के रूप में उस कपड़े को साफ करने के लिए बढ़िया टीनोपाल पैकेज मांगने वाले प्रांतों को देना चाहिए। केवल बिहार ही नहीं, यूपी में भी पैकेज मांगा गया।

सभापति जी, यूपी का बँटवारा हुआ तो आप हमारी पनबिजली परियोजनाएं लेकर चले गए। उत्तराखंड से आप बिजली दे रहे थे। वहाँ बिजली पैदा हो रही थी। उत्तर प्रदेश जो 80 सांसद देता है, 403 एमएलए का क्षेत्र है। वहां से 80 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मांगा गया। किस बात के लिए मांगा गया?

महोदय, हम स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा की बात करते हैं। पूरे देश की सारी भीड़ हमने एम्स में बुला ली है। आदमी को ऑपरेशन की आवश्यकता कल होती है, लेकिन उसे साल भर से पहले का टाइम नहीं मिलता है। पूरे पूर्वांचल और पूरे बिहार में पीजीआई स्तर के कितने हॉस्पीटल हमने दिए हैं। फिर तो वही हाल होगा, जब पूरा देश का बेरोजगार नौजवान मुम्बई, दिल्ली और हरियाणा में चला जाएगा तो आप कहेंगे कि यदि बिहार में फैक्ट्री लग गई होती हो दिल्ली और हरियाणा में भीड़ कम हुई होती। ठीक इसी तरह से हॉस्पीटल के क्षेत्र में इन्हीं पैकेजों के माध्यम से बिहार, यूपी में, बीएचयू यूनीवर्सिटी को, जिसमें आधा बिहार आता है। क्या हम उसे एम्स स्तर की सुविधाएं नहीं दे सकते हैं? गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज को क्या हम एम्स या पीजीआई के स्तर की सुविधाएं नहीं दे सकते हैं? हम यह नहीं कहते हैं कि इनको बहुत कुछ दे दीजिए। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि पूरा यूपी और बिहार का जो बार्डर है, वहां का आदमी एक मांग के लिए, पूरा बिहार भोजपुरी भाषा बोलता है। वह मॉरीशस में भी है। भोजपुरी उसकी संस्कृति और सभ्यता है। भारत के आजाद होने के बाद से, मैथिलीशरण जी के बाद से, हमेशा से यह मांग होती रही है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हम क्या कर रहे हैं? यूपी और बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं?

महोदय, हम स्वच्छता की बात करते हैं। रात को जब हम गाड़ियों से निकलते हैं और अपनी मां, बहनों और बेटियों को सड़के के किनारे शौच करते देखते हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है। आजादी के 63 साल बाद भी हम अपनी बेटी और बहनों को शौचालय नहीं दे पाए हैं। क्या इससे बड़ी भी कोई शर्म की बात हो सकती है? यदि यह शर्म की बात नहीं है तो इससे बड़ी भी शर्म की बात है, गरीबों के साथ खिलवाड़ है कि देश में गरीब आदमी जब शौचालय बनवाएगा तो उसे ढाई हजार रुपए दिए जाएंगे। फाइव स्टार होटल में बैठकर चार सौ रुपए में अरहर की 50 ग्राम दाल खाने वाला देश। फाइव स्टार होटल में बैठक 55 रुपए में एक लीटर पानी पीने वाला देश। फाइव स्टार होटल में बैठकर ढाई सौ रुपए में एक कप चाय पीने वाला देश। लेकिन गरीबों को शौचालय बनवाने के लिए ढाई हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ढाई हजार रुपए जब शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि वह शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि वह तो केवल कागज़ पर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल बिहार या उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां भी इस तरह की स्थिति है। आज देश के खजाने का मुंह अवसर वंचितों की ओर करना होगा।

17.00 hrs.

अगर हम सुन्दर भारत बनाना चाहते हैं तो देश के खजाने का मुंह अवसर से वंचित लोगों की ओर करना होगा। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति विशेष पैकेज देकर हमें जल्दी-से-जल्दी इधर आगे बढ़ना होगा। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर इसमें देरी हुई तो यह अच्छा नहीं होगा। अभी तो हमने इस देश में गरीबों की पहचान एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और बी.पी.एल. के रूप में की थी लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ कर आपको देखना होगा कि इस देश में वह आदमी जो सड़क के किनारे एक बरसाती ओढ़ कर अपनी मां-बहनों के साथ वहां लोहा पीटता है और अपना जीवन यापन करता है, उसको आप किस कैटगरी में रखेंगे? अब पूरे देश में ऐसी जातियों की पहचान करनी पड़ेगी। जो घूमन्तु जातियां हैं, और मदारी जाति हैं, वे नहीं जानते कि वे एस.सी. में हैं, एस.टी. में हैं, या ओ.बी.सी. में हैं। इसलिए मैं प्रोफेसर रंजन प्रसाद यादव जी, जो प्राइवेट मेम्बर बिल लाए हैं, उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। मैं इस बिल पर पूरा बल देते हुए उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के रूप में जो 80000 करोड़ रूपए की मांग है, उसको भी संज्ञान दिलाते हुए, इसका समर्थन करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I stand here today to deliberate on the Bill that has been moved by Prof. Ranjan Prasad Yadav. I was also present that afternoon when he initiated the discussion, and, today, I made it a point that I should be present here.

At the outset, I would say that the concern that he has expressed would have been much better if the concern for Bihar would have been expressed by a non-Bihari Member of Parliament in the Lok Sabha. This would have demonstrated that this country is concerned for what is happening in another part of the country.

With all humility I would express here that when my friend Shri Adhir Chowdhury demanded funds for West Bengal; when my predecessor speaker demanded funds for Uttar Pradesh; should I also demand funds for Odisha? Every State will demand funds for their State, and we have a provision in our Constitution. The forefathers / makers of the Constitution in their wisdom, in 1949, in the Constitutional debates have made the provision that when we are making a Federation of States and when we are giving more power to the Union Government, then there is a need to distribute funds / taxes that are being collected and to see that there is a holistic development. Especially, attention should be given to those areas that are underdeveloped because of social, political and historical reasons, and have remained underdeveloped / undeveloped for very many reasons.

Prof. Ranjan Prasad Yadav has moved a specific Bill, and he has cited two clauses of the Constitution, namely, clause 275 and he wants to insert 'A', and he has also mentioned 371J. These two clauses are mentioned in it. He is not saying something beyond the Constitution. Hence, it has got support from all sections of this House.

Before I delve into the Bill, I would say that from the very beginning or from its very inception, the Constitution is loaded in favour of the Centre.

It has its historical reason -- the country was divided. Many historians were members of the Constituent Assembly and they, in their hindsight, found what had happened after the demise of Ashoka, what had happened after the demise of Akbar, what had happened when the centre of power weakens and how the country was divided. That was the main reason why when the Constitution was being framed, at that time, it was loaded in favour of the Centre, though it was mentioned that it is a Union of States, federal in character. But at the same time, the Centre was provided more power. Being a member of the regional party, I started my speech saying Constitution has loaded Centre with more power. The constitutional amendments that have been effected subsequently have tilted the balance further in favour of the Centre. The concept of a strong Centre has been incorporated in the anatomy of the Constitution through a variety of devices. I need not go into those details.

That is why, I think Prof. Ranjan Yadav has been forced to raise the issue through a Private Members' Bill today in this House. Otherwise, he would have been agitating in Bihar, as many other political groups are agitating in very many different ways in different parts of the country.

We should remember that our Constitution provides for two layers of Government – one at the Centre and the other at the State. The federal polity of this kind requires division of powers and responsibility between the Centre and States and it has been done to a great extent. Although the taxation powers allotted to the Centre and the States are mutually exclusive, all the taxes and duties levied by the Union are not meant entirely for the purpose of the Union. Revenues from certain taxes and duties leviable by the Union are totally assigned to or shared with the States to supplement their revenues in accordance with their needs.

17.08 hrs (Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

It is a tribute, that is what I would say, to the foresight of the founding fathers that they realised that the sources of revenue allocated to the States may not prove sufficient in view of their growing welfare maintenance and

development activities. So, when a Member from the Samajwadi Party would say that he is not in favour of small States because if smaller States are made, then this type of problem will occur, that is a bigger question which needs to be deliberated separately. But at one point of time, it was construed that each State should generate sufficient revenue so that it can sustain itself, but that is not the case in our country.

The Constitution provides the Centre to allocate funds through different mechanisms which are available in the Constitution – the sharing of revenue is there, the Finance Commission is there, budgetary provisions are there. I will come to what the provisions are through which Centre allocates its funds, and provides finances to the States. Here, I would mention that specific provisions were made to set apart a portion of the Central revenue for the benefit of the States. This provision indicates the flexibility of India's Constitution in terms of distribution of financial resources between different layers of the Government. Over the last six decades, the economic development of India is unique in several ways.

The Planning Commission was set up in March, 1950 by a Resolution of the Government of India. It has taken responsibility on itself to discuss different plans with the respective State Governments and, accordingly, provide funds. It also advises the Central Government through different schemes as to how the money will go. This basic objective of economic plan is to ensure high rate of economic growth. We have been discussing for the last three days about what growth is. As far as I understand, it means increase in real *per capita* income. That also needs a long time as to how we can share the *per-capita* income equally.

The main issue through this Bill which Prof. Yadav has brought before this House is the regional imbalance. Regional imbalance may be natural due to unequal distribution of natural resources or even man-made in the sense of neglect of some regions and preference for others for investment and infrastructure facilities. During last 250 years since the fall of Mughal empire after 1757 or 1763,

one can say that these things have multiplied. Imbalances have multiplied. At that time, people were not moving throughout the country as we are doing now or as we have been doing for the last 200 years. Regional imbalances got multiplied during the British rule. For their commercial activities, respective cosmopolis or cities were created. I would say that you would agree with me that there was a time in this country, when eastern India - Bengal, Bihar and Orissa and to a great extent, present Bangladesh and Assam was the rice bowl of this sub-continent. Eastern India provided food to the whole country. The Western part of this sub-continent was ravaged for very many reasons. To get staple food was a very difficult situation in western part of the country. But during that period, all land was rain-fed. Yet the best variety of paddy, quality rice was being produced in the eastern part of the country and was being exported. The history says that even South-East Asia was also being fed by this rice bowl of the sub-continent. And what has happened after the planned economy and the flow irrigation has started? That has shifted to western part of this country. Today Shri Adhir Ranjan Chowdhury was mentioning about Haryana, about Punjab and about western U.P. Very lately, the Government of today has provided Rs. 400 crore to make a Second Green Revolution. Prof. Ranjan Yadav is mentioning that he needs Rs. thirty thousand crore every year to develop the infrastructure. He needs financial assistance for poverty alleviation, employment opportunities. He is not asking for doles. He is asking that his brothers and sisters can earn their livelihood with self-respect. For that they need money where it can be invested. I remember in nineties, in this House, a young Member elected from Kalahandi was a non-Congress Member. Of course, today he is a Congress Member. He was fighting vociferously and was drawing the attention of the then Congress Prime Minister that he has neglected Kalahandi, he has neglected Koraput and he has neglected Bolangir. It was in 1966 when Mrs. Indira Gandhi had gone to Kalahandi and had seen how drought-stricken people were languishing there.

Again in 1986, the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi along with Mrs. Sonia Gandhi had visited Kalahandi. Nothing much has changed. These were the views which Shri Bhakta Charan Das was mentioning in nineties before Shri P.V. Narasimha Rao. We need special package; we need special attention. Unless the Central Government intervenes, the State of Orissa is not in a position to provide that much of funds. This is required. A special package was given and not what Prof. Ranjan Yadav has asked for – it was hardly Rs.450 crore – and that too in a staggered manner in seven years. That is a provision of Article 275. The structure of Article 275 say that the grants are for each year, which may mean all the five or any one year. The amount need not be identical, that is, they can vary among the States. No order shall be made under the clause by the President except after considering the recommendations of the Finance Commission. That is how some funds were provided.

MR. CHAIRMAN : Do you want to speak more?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I will take some more time.

MR. CHAIRMAN: You have already been given 18 minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I will try to conclude in five to ten minutes.

What happens? This is an experience which we have in case of Kalahandi, Koraput and Bolangir districts. I would only express my fear that the same experience should not be repeated by others who are asking for funds from the Centre. Here, it was mentioned by Shri Hukmadeo Narayan Yadav that a person who is weak, whose liver is weak – that is the word which he used – if you give him a glass of milk, he will die of indigestion. That is why, you can first give him half a cup of milk, after seven days, a full cup of milk, then half a glass of milk and then after a three months or eight months, you give him a full glass of milk so that his body gets adapted to the food intake. That is what we did in case of KBK district, which is now been divided into eight districts. It was Shri Biju Babu who did it.

MR. CHAIRMAN: A few years back, a special plan was mooted for KBK.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Sir. That is what I have mentioned. So, money was trickling down phase-wise so that adaptability of the people, absorption of the people to take the funds, implement it and get the benefit from it was done. But, it was to our ill luck that suddenly in 2006 or 2007 the Government stopped that project.

Our Chief Minister Shri Naveen Patnaik wrote frantically and met the Prime Minister. Now that area is absorbing the Plan funds; and thus, this is the time to give more funds so that they can benefit from that, earn their livelihood, and lead a respectable life. This is not the time to move away from that area. After much persuasion, our State Government, from its own resources came up with *Biju KBK Yojana*. Some funds came from different quarters; some came from the Centre also, but the demand is still there, for Rs.4,500 crore to come to that area.

Similarly I would say that a one-time grant of Rs.90,000 crore is asked for. How are they going to invest that much of money? It has to be staggered. I can understand if he asked for Rs.30,000 crore per annum – that is understandable. But I was a bit surprised to see the one-time grant of Rs.90,000 crore, as has been mentioned in the Bill.

We should remember that federalism is not only a unifying factor, but also a levelling up force. Considerable economic inequalities exist among different States of India, and their reduction is an argument in favour of centralization of resources, and *vice versa*. Many proponents are arguing for greater financial autonomy for the States, but what will a poor State like Bihar do with more taxation powers, in view of the already low standard of living of their people?

Prof. Yadav's Constitution (Amendment) Bill is basically moved to provide a special package. This can only be made as a grant, under article 275 of the Constitution.

When I was going through this Bill, at first, I was a bit envious – envious because in the 21st Century, Orissa is still reeling under poverty, but when I heard the Members from the Samajwadi Party and the Congress Party speak, especially

from Uttar Pradesh and West Bengal, I thought that it is better that I should not speak for Orissa now, and that one of our Party Members may move a Bill in that regard, so that we can discuss it here.

But I would be happy if the Government responds to the concerns which Prof. Yadav has expressed through this Bill. It is high time that Bihar needs attention because Bihar is the churning bowl of Indian civilization. It has created Mahavira, it has created Buddha, it has created Jayaprakash, it has created Lalu Yadav also, it has created Ranjan Yadav, it has created Nitish Kumar, and it has created very many people like the Bharat Ratna Rajendra Prasad!

With these words, I conclude.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to take part in this discussion.

First of all, I would like to associate myself with the hon. Member, Prof. Ranjan Prasad Yadav, who initiated the Private Member's Bill, seeking one-time grants-in-aid to the State of Bihar.

Backwardness of Bihar may be related to geographic location, historic neglect of the region, complex socio-cultural factors, etc. The soil of Bihar is extremely fertile with over-flowing rivers, but with inadequate irrigation facilities. Bihar has a huge potential to develop as one of the forward-ranking States, provided the Centre extends the required financial assistance and support to the State.

If Bihar gets special status from the Centre, it would give businessmen a lot of incentives including tax benefits which would take the State on a higher growth path. Who will break the shackles of poverty in Bihar? Centre does not seem to bother about the under-development of Bihar. Let the Centre give up the step-motherly treatment towards the non-Congress ruled States.

Let me come to the general issues. The Seventh Schedule of the Constitution needs to be amended by giving more powers to the States. The Central Government now collects nearly 65 per cent of the combined tax revenue leaving only 35 per cent tax revenue to be levied by the States. But the States account for 65 of the combined expenditure. I call it a vertical imbalance.

I am sure, the hon. Members will agree with me and the hon. Minister of State for Finance may also accept it. The Constitution of India gives certain responsibilities to the States which have a direct bearing on the well being of the people. A State Government answerable to the voters needs flexibility to raise revenue and plan the expenditure pattern. Sir, as we all know, revenue sharing between the Centre and the States leaves two things; the vertical imbalance, which I have mentioned just now, is in favour of the Union, leaving the States with a large revenue gap. Utilising this gap, the Centre extends conditional grant-in-aid

to the States. It is necessary. As a result of this, the States are not allowed to decide what should be the projects and also the targets. The States have to implement what the Centre says. To me this is nothing but financial slavery.

The Centre is now increasingly eroding the powers, both financial and political, of the States and is trying to make the States dependent on the Centre. When the States are ruled by the elected representatives, they know the art of governance. In the name of ensuring better governance the Centre systematically erodes the powers of the States. This is against the true spirit of federalism. Take the case of the State of Tamil Nadu. The State's revenue deficit is estimated at Rs.3,100 crore during 2010-11 against the revenue surplus of Rs.4,545 crore in 2006-07. The fiscal deficit is projected at Rs.13,506.85 crore. To salvage the position my Leader, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has presented a Memorandum to the hon. Prime Minister on 14.6.2011 seeking the financial assistance of Rs.1,82,402.18 crore for various development schemes including a bail out package of Rs.40,000 crore for Tamil Nadu Electricity Board, Rs.10,000 crore towards debt relief, Rs.20,000 crore for improving urban infrastructure and another Rs.10,200 crore for giving laptop to the students. Sir, I regret to say that there is no response so far either from the hon. Prime Minister or from the hon. Finance Minister. What am I to construe? A deliberate neglect towards the development needs of Tamil Nadu!

This apart, hon. Chief Minister of Tamil Nadu has requested for 1000 megawatt of electricity from the Central pool to tide over the power crisis for a period of one year. My leader has also urged the Centre to allot sufficient quantum of fertilizer to meet the needs of the farmers. In addition, a request has also been made to restore the level of quota of kerosene and also to increase the supply. Taking into account, the plight of the poor and for providing them relief, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, my revered leader has put forth the demands along with others.

The UPA Government with its slogan of '*Aam Aadmi*' has not so far responded to the *aam aadmi* in Tamil Nadu. May I, therefore, request, the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister to look into all these issues raised by my revered leader and hon. Chief Minister of Tamil Nadu and provide the required financial assistance and other material relief as demanded.

I am sure the Centre will act immediately without giving room for any bi-partisan towards the people of Tamil Nadu.

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): महोदय, प्रोफेसर रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। हमारे जो साथी अन्य राज्यों से आए हैं और जिन्होंने बिहार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इसकी बेहतरी के लिए बातें उठाई हैं, उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देता हूं।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। बिहार पहले उड़ीसा से अलग हुआ, फिर बंगाल से अलग हुआ और हमारी बदकिस्मती है कि वर्ष 2000 में झारखण्ड से अलग हुआ। हमारे जितनी भी एसेट्स, मिनरल्स एवं कल-कारखाने थे, वे सब झारखण्ड में चले गए, बिहार के पास मात्र खेती-योग्य जमीन बची। नॉर्थ बिहार में कोसी नदी के बारे में सभी ने जिक्र किया है। आप जानते हैं कि कोसी नदी मेरे ही क्षेत्र से होकर गुजरती है और जो बर्बादियां होती हैं, मेरे ही क्षेत्र में होती हैं। वर्ष 2007 की बाढ़ के बारे में आप सभी जानते हैं। वर्ष 2008 में कोसी में जो विभीषिका आई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी गयी थीं और वहां पर उन्होंने कहा था कि यह प्रलंयकारी बाढ़ आई है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : विश्वमोहन जी, थोड़ा सा रुक जाइए। आप कंटीन्यू करेंगे।

Hon. Members, the allotted time for the discussion on this Bill is over. I have five more Members to speak on this Bill. If the House agrees, the time for the discussion may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री विश्व मोहन कुमार : महोदय, नीतीश जी ने उस समय 14,800 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी, लेकिन वह हमें नहीं मिली। उस बाढ़ में इतनी बर्बादी हुई कि 34 लाख लोग परेशानी में पड़े थे, बहुत से मवेशी बह गए, हमें जान-माल की भारी क्षति हुई थी। उस समय भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। कोसी की बर्बादी के बारे में आप जानते हैं कि कोसी की जो विभीषिका आती है, कोसी नदी का जो नेचर है, 200 साल पहले यह नदी पूर्णिया और अररिया साइड में बहती थी, वहां से आते-आते आज यह हमारे पश्चिमी बेल्ट में आ गयी है। वहां हम लोगों ने वर्ष 1953 से लेकर 1956 तक बांध बनाया था, उसके बीच नदी बह रही है। नेपाल से जो नदी आती है, खासकर यह कोसी नदी, इसके बारे में सभी को जानकारी है, इसकी मिट्टी के बारे में जानकारी है, इसके नेचर के बारे में जानकारी है कि यह कभी इधर घाट काटती है और कभी उधर गांव काटती है। नदी के बीच में हमारे बहुत से गांव हैं, बाढ़ के समय यह देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा गांव समाप्त विलीन हो गया है, गांव कहां विलीन हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। इसलिए हमें अगर केन्द्र से स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, अगर यहां से सहायता से नहीं मिलेगी,

हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं है, वहां कल-कारखाने नहीं हैं। कृषि-योग्य जमीन है, लेकिन उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, जिसके चलते उपज कम होती जा रही है।
इस तरह बाढ़ आने से हमारे यहां रोड्स, पुलिया वगैरह सबकी तबाही होती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में डगमारा में एक हाइडल पावर परियोजना स्वीकृत हुई थी और वह बनने वाली थी, लेकिन नेपाल ने यह कहकर उसमें अड़ंगा लगा दिया कि इससे हमारे बहुत से गांव उजड़ जाएंगे, जबकि कोसी बैराज वहां से दस किलोमीटर पर ही है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराए। पहले पायलट प्रोजेक्ट बनाने की योजना थी, लेकिन नेपाल सरकार ने उसमें भी मदद नहीं की और जितने भी हमारे इंजीनियर्स और मजदूर वहां गए थे, उन्हें मार-मार कर भगा दिया।

किसी भी राज्य का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक वहां रोड, पुलिया, बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था न हो। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बिहार से बहुत सी लेबर पंजाब और हरियाणा में काम करने जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि जब 2005 में नीतीश जी बिहार के मुख्य मंत्री बने, उनकी सरकार ने वहां विकास के काफी काम किए, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में बिहार की लेबर जाने में कमी आ गई है, क्योंकि जब लोगों को वहीं काम मिलेगा तो वे बाहर क्यों जाएंगे। बाढ़ के कारण और सूखे के कारण हमारी कृषि उपज में भी कमी आई है। हमारे राज्य में बहुत सी मैन पावर है, जो बाहर जाती है। उसके अलावा हमारे बिहार राज्य से कई अधिकारी भी अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारे यहां काम करने वालों की कमी नहीं है, जरूरत है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की और मजबूत करने की।

सभापति महोदय : अगर बिहार की लेबर पंजाब-हरियाणा में नहीं जाएगी तो वहां काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही लोग वहां का अधिकांश कृषि कार्य सम्भाल रहे हैं।

श्री विष्णु मोहन कुमार : वह तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे राज्य में काम मिलेगा तो फिर लोग बाहर क्यों जाएंगे इसलिए बिहार में केन्द्र सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रांतीय सरकार की मदद करनी चाहिए। हमारे राज्य की आबादी करीब दस करोड़ है। जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना तो हमारे यहां के अधिकांश उद्योग वहां चले गए, जबकि झारखंड राज्य की आबादी हमसे काफी कम है। झारखंड में खनिज सम्पदा की भरमार है। अगर बिहार में भी ऐसा हो जाए तो इस राज्य का नक्शा बदल सकता है। वहां भी अगर उद्योग लगें तो लोगों को रोजगार मिलेगा।

किसी भी राज्य की रीढ़ कानून और व्यवस्था होती है। जब नीतीश जी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने इस पर खास ध्यान दिया और अब आप देखें कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी सुधर गई है। नीतीश जी जो काम कर रहे हैं उसका अनुकरण केन्द्र भी कर रहा है और दूसरे कई राज्य भी कर रहे हैं। नीतीश जी ने बिहार में साइकल योजना लागू की, जिसका अनुकरण कई राज्य कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से और विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह आपने देश में कुछ राज्यों, जहां तक मेरी जानकारी है दस राज्य, को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, वैसे ही बिहार को भी दें, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब नीतीश जी मुख्य मंत्री बने 2005 में तो उस समय योजना आयोग ने बिहार राज्य के लिए जो पैकेज दिया था, वह करीब 4000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी हम 24,-25,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं इसलिए अगर हमें यहां से सहायता नहीं मिलेगी तो हम अपने संसाधनों से इतनी बड़ी राशि का प्रबंध नहीं कर सकते। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए प्रो. रंजन यादव जी ने विधेयक यहां पेश किया है, उसे पारित किया जाए और हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल। माननीय सदस्य जब अपनी बात कहते हैं तो पहले तो वे बिहार के लिए बोलते हैं, लेकिन आखिर में अपने राज्य के लिए मांग करते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं बिहार के लिए भी कहूंगा और कुछ अपने राज्य के लिए भी कहूंगा। प्रो. रंजन यादव जी द्वारा सदन में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा जो यह मोशन मूव किया गया है और कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी बिहार में आंदोलन चला और करीब सवा करोड़ लोगों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राष्ट्रपति जी को सौंपा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके मायने यह है कि बिहार की दस करोड़ की आबादी में से सवा करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराना, वहां तक अप्रोच करना, कोई कागज लेकर जाना और उस पर साइन कराना अपने आप में बड़ी बात है। मेरे ख्याल से स्वंय माननीय मुख्यमंत्री जी उस ज्ञापन को देने के लिए आये थे और माननीय शरद यादव जी भी उसमें शामिल थे। हमने पेपर में पढ़ा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी यह आश्वासन दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को निर्देशित करेंगे।

वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उस समय भी आश्वासन दिया गया और जब कभी बिहार में चुनाव आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आती है। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि प्रो. रंजन जी जो बिल लाए हैं, मेरी जब इनसे चर्चा हो रही थी तो यह कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा, बार-बार आश्वासन इस हाउस में दिया गया और अब भी अगर बिहार राज्य को दर्जा नहीं मिलेगा तो न तो इस हाउस की कोई सेंक्टिटी रहेगी न राष्ट्रपति जी की कोई सेंक्टिटी रहेगी। अगर सेंक्टिटी रखनी है, इस हाउस और माननीय राष्ट्रपति जी की या और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं चाहे माननीय प्रधान मंत्री जी हों, नहीं तो दूसरे जो लोकतंत्र के दूसरे अंग हैं वे हमें जीने नहीं देंगे। माननीय अंडमान-निकोबार के यह सांसद कह रहे हैं अन्ना हजारे भी पैदा होंगे।

सभापति महोदय : ये अन्ना हजारे नहीं बोल रहे हैं ये अंडमान-निकोबार बोल रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जी, दूसरे अंग पैदा होंगे क्योंकि इतने आश्वासन देने के बाद, इतने बड़े-बड़े लोगों के कहने के बाद होता नहीं तो इसका मतलब यहां कोई गड़बड़ है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है? माननीय मेहताब जी चले गये, वे बात कर रहे थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): The reply is going to take place, may be, on next Friday on Special Category States. Regarding the request of according Special Category status to Bihar to avail 90 cent grant under States' scheme instead of 30 per cent

grant does not meet the criteria laid down by the National Development Council. Now, after the recent request given again by the Chief Minister of Bihar, it is being re-examined by the Planning Commission.

MR. CHAIRMAN : We will continue the discussion till 6 p.m. The reply will come later on.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : ये कह रहे हैं कुछ शुरू किया है। उसके लिए माननीय मंत्री जी धन्यवाद। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार बिहार राज्य को अभी विशेष दर्जा नहीं मिला है।

सभापति महोदय : रंजन जी को अब खुश हो जाना चाहिए। Something concrete is being done.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जब अंग्रेज यहां आये और कोलकाता में उनका हैडक्वार्टर था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो एरिया था, उसकी दीवानगी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी और अंत में प्लासी की लड़ाई में जीते और उन्होंने इन तीन राज्यों की दीवानी प्राप्त की और उसकी बहुत खुशी मनाई। कारण क्या था? यह एरिया इतना खुशहाल था और कृषि उपज में संपन्न था, मिनरल के भंडार में संपन्न था कि अंग्रेडों को लगा कि अब हम हिंदुस्तान पर भी शासन कर सकते हैं और इन्होंने बहुत ग्रांड पार्टी इंग्लैंड में दी कि हमने तीन राज्यों की दीवानगी प्राप्त कर ली। वे राज्य आज किस हालत में हैं, कहीं न कहीं अपनी नीतियों की खामियां हैं। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है जबकि संविधान यह कहता है कि हम रीज़नल असंतुलन दूर करेंगे जबकि आजादी के बाद क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। अमीर और गरीब की खाई भी ज्यादा बढ़ी है, शहर और गांव की खाई भी बढ़ी है। यह जो विषय प्रो. साहब लाये हैं, वे भी इसीलिए लाए हैं। मैं भी राजस्थान से आता हूं।

अभी जो जनसंख्या के आंकड़े आए हैं, वह चौंकाने वाले हैं। 34 प्रतिशत की दर से दस साल में लोग शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। हमारे राजस्थान को अरावली पर्वत दो भागों में बांटता है। अरावली हिल्स के इधर वाले एरिया में बरसात होती है। एग्रीकल्चरल रिच एरिया है और अरावली हिल्स के नार्थ-वेस्ट में इतनी बरसात नहीं होती है। उसको रेगिस्तान कहते हैं। थार का रेगिस्तान यहां तक है। भारत में थार का रेगिस्तान इस भाग से ही प्रवेश करता है और यह शुरू ईरान से होता है। थार के रेगिस्तान की और साउथ-ईस्ट, जिसमें उदयपुर इत्यादि हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। प्रादेशिक असमानता दूर करने के लिए कोई न कोई योजना बनानी होगी अथवा नार्थ-ईस्ट की जो शेयरेबल स्कीम है, जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य देगा या कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिनमें सौ प्रतिशत केन्द्र का होता है, लागू की हुई हैं। इन्होंने जो 90 हजार करोड़ रुपए की मांग की है और फिर उसके बाद प्रति वर्ष 30 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, उसमें इसी तरह की कुछ योजनाएं हैं, जिनमें इन्होंने कहा है कि बिहार की जो दस्तकारी है,

उसके लिए कुछ योजना बनायी जाए। बिहार में आजीविका मिशन स्थापित करके हाथ के हुनर को और विकसित करके बिहार के लोगों को रोज़गार दिया जाए, इसलिए मैं इनकी डिमान्ड के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और बोल रहा हूं। बिहार अभी करवट ले रहा है। किसी भी राज्य में एमएलए लेड स्कीम समाप्त नहीं की गई है। भ्रष्टाचार कम हो रहा है। कई अन्य राज्यों में हो रहा होगा, क्योंकि प्रयास किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में भ्रष्टाचार कम हो रहा है। ऐसा मीडिया भी कह रहा है और स्टडी भी कह रही है। एमएलए लेड स्कीम समाप्त करना एक क्रांतिकारी कदम है। एमएलए नाराज़ भी हुए होंगे। अभी बिहार सरकार ने कहा है कि हम एमपी लेड स्कीम की मॉनीटरिंग नहीं कर सकते हैं, कोई एकाउंट नहीं रख सकते हैं। बिहार के एमपी भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार यदि कुछ फण्ड दे तो वे भी एमपी लेड स्कीम के माध्यम से कुछ और सहयोग इसमें कर सकते हैं। इनके एमपी भी तैयार हैं। नीतीश कुमार जी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। यदि उनको मान लिया जाता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद अच्छी स्थिति बनेगी। मगध के समय में अग्रणी राज्य माना जाता था। अभी जैसा बताया कि कई बड़े लीडर बिहार ने दिए, यहां तीन-चार बैठे हुए हैं। बिहार में लीडरशिप है, लेकिन नीतियों के कारण बिहार में जो असमानता बढ़ी है, इसके लिए बिहार अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है।

महोदय, बिहार में रेल लाइनें ज्यादा हैं, इसलिए बिहार से संबंधित नेता रेल मंत्री बनना चाहते हैं। पासवान जी, नीतीश जी और लालू जी रेल मंत्री बने। रेलवे लाइन के किनारे खाली जमीन पड़ी है। राजस्थान से भी यह विषय उठा था, मैंने प्लानिंग कमीशन में बायो डीजल की बात की। बायो डीजल के लिए जेटरोफा उगाने की बात कही जाती है। रेलवे लाइन के किनारे जो जमीन पड़ी है, उसमें जेटरोफा क्यों नहीं उगाते हैं। रेलवे की जो पाइप लाइन है, उससे जेटरोफा के लिए पानी दिया जा सकता है। हमारे राजस्थान की कंडीशन जेटरोफा के लिए इतनी स्यूटेबल नहीं है, लेकिन बिहार की भौगोलिक स्थिति जेटरोफा के लिए ठीक है। बायो डीजल पैदा हो जाएगा और खाली जमीन पर जो अतिक्रमण होता है, वह रुकेगा तथा रेलवे के कर्मचारी उसमें पानी देने के लिए लगा दिए जाएं, तो जो बायो डीजल पैदा होगा, वह रेलवे के काम आएगा। ये कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे। प्लानिंग कमीशन ने भी कहा कि इस बात में दम है। बिहार में कितनी ज्यादा रेलवे लाइन बिछी हुई हैं और कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है जिसके किनारे कच्ची झोंपड़ियां बनी हुई हैं। आप उसमें जेटरोफा उगाइए, पानी वहां उपलब्ध है और जलवायु भी उपलब्ध है और जो बॉयोडीजल पैदा होगा, वह रेलवे के काम आएगा। रेलवे इसके एवज में बिहार को जो पैसा देगा, वह बिहार के विकास में लगेगा। मेरे कुछ ऐसे सुझाव इस संबंध में हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ बिहार को विकसित करने में अपना सहयोग देंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): सभापति महोदय, आज प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा जो विषय रखा गया है, यह महत्वपूर्ण विषय है और इस पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि पूरे देश में बिहार की स्थिति बहुत खराब है और जिस जगह का मैं रहने वाला हं, वहां की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार कभी बाढ़ से जूझता है तो कभी सूखे से जूझता है और विकास के मामले में तो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता है। सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश हमेशा देश के मानचित्र में पिछड़े हुए के नाम से जाने जाते है। चूंकि वहां का विकास वास्तव में नहीं हुआ। क्या कारण रहा, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं।

देश की आजादी में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वहां के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बलि दी। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और वहां महान पुरुष पैदा हुए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जहां मैं रहता हूं, जो रानी लक्ष्मीबाई और ढ़ेर सारे देशभक्तों की रणभूमि रहा, लेकिन दुख इस बात का है कि न वहां सिंचाई की व्यवस्था है और न ही नौजवानों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो पा रही है। बिजली के विषय में जो चर्चा यहां हो रही है, मै कहना चाहता हूं कि ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं है। यदि कहीं बिजली है, यदि कहीं खम्भे लगे हैं तो उनमें तार नहीं हैं। कहीं तार हैं तो ट्रांसफॉर्मर नहीं है और कहीं ट्रांसफॉर्मर भी है तो बिजली नहीं आती। यह बड़ा गंभीर विषय है। उसी तरह से सड़क के मामले को ले लीजिए। पूरे देश में आप गाड़ी से घूमिए। कहीं और दचके नहीं लगेंगे लेकिन जैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे तो अपने आप नींद खुल जाएगी कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश में आ गये हैं क्योंकि सड़कें नाममात्र के लिए हैं। वहां सड़कें तो हैं लेकिन उनमें बड़े-बड़े गड्ढ़े हैं। इसी तरह से झारखंड की स्थिति भी गंभीर है। हम आपके माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं चाहे रामाबाई नगर हो, चाहे इटावा हो चाहे ओरैया हो, जो बॉर्डर के जिले बुंदेलखंड के हैं, वहां नाममात्र के लिए भी विकास नहीं हुआ है।

वहां स्थिति बहुत गंभीर है। लोग गरीबी से मर रहे हैं, भूख से तड़पकर मर रहे हैं, बड़े नगरों में मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। वे जहां जाते हैं अपमानित होते हैं। मुम्बई में जाते हैं तो वहां के लोग मारपीट करते हैं। अन्य प्रदेशों में जाकर अपमानित महसूस करते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। मेरा निवेदन है कि उनके बच्चों की कम से कम पढ़ाई की व्यवस्था कर दीजिए, दवाई की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा रोग हमारे यहां हैं। बिहार और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। आप दवाओं, पढ़ाई और खेतों में पानी की व्यवस्था कर दीजिए। पूरे देश में जमीन का हल्ला मचा, आप हमारे

यहां आइए, यहां बीहड़ अनुपयोगी जमीन पड़ी है। आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाए तो यहां उद्योग लगवा दीजिए। बड़े उद्योग लगवा देंगे तो यहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलने से निश्चित तौर पर कुछ तो गरीबी कम होगी। आप कुछ को रोजगार दे दीजिए और कुछ को रिक्त सरकारी पदों पर नौकरी दे दीजिए। अगर नौकरी न दे पाएं तो थोड़ा बेरोजगारी भत्ता आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दे दीजिए। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी प्लानिंग बना दीजिए ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लगे जनपदों को विशेष जोन के तहत मदद मिल सके।

सभापति महोदय, हम देखते हैं कि देश में एक तरफ तो सब सुविधाएं हैं। दिल्ली में सड़कें बनाने की जगह नहीं है, जमीन के अंदर रेलवे लाइन बिछाई गई है जबकि हमारे यहां सड़कें और रेलवे लाइनें नहीं हैं। आप यहां रेलवे लाइन बिछवा दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लगातार चार साल से उत्तर प्रदेश में बजट नहीं गया। राजीव गांधी बिजली परियोजना में गांव में बहुत दूर एक खंबा लगा देते हैं और कहते हैं कि काम पूरा कर दिया। कृपया ऐसा न करें, बिजली दें तो पूरे गांव में दें। एक बल्ब या खंबा से काम नहीं बनेगा, विकास नहीं होगा, विकास तो तब होगा जब कम से कम घर तक बिजली पहुंचेगी। आप वहां एसी नहीं चलवा सकते तो पंखा ही चलवा दें। बिहार और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन क्या करें? रोज अखबारों में आता है कि विदेशों में इतना कालाधन जमा है, आप इसी को वापिस मंगा कर उत्तर प्रदेश और बिहार में लगा दीजिए ताकि विकास हो हो सके। मुट्ठी भर लोग देश के बड़े आदमी बन गए जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी संपत्ति का पता ही नहीं है कि कितनी इकट्ठी हो गई है। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं सरकार ने परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। ये बड़े आदमी कैसे बने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़ी बिजली परियोजनाएं बना दी गईं, जहां बनाई गयी हैं वहां भी खेल है। जैसे कॉमन वैल्थ खेल में खेल हुआ, यह गंभीर विषय है। जब आप यहां से योजनाएं भेजते हैं तो कुछ यहां से बंदरबाट हो जाता है और जो उत्तर प्रदेश में जाता है वहां आधा-आधा हो जाता है। यह बहुत गंभीर विषय है, ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। बुंदेलखंड को पैकेज दिया गया, लोगों ने चर्चा की कि बुंदेलखंड को बहुत पैकेज दिया गया। लेकिन सब कुछ कागजों पर दिया गया, फील्ड पर कुछ नहीं हुआ।

सभापति महोदय : अनुरागी जी, छः बजे इस बहस को समाप्त करना है, यह आगे जारी रहेगी। आप गागर में सागर भरिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया गया, केवल कागजों में आंकड़े दिए गए। क्या बकरी पालने से वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? बीमार बकरियां लेकर गए, छः लेकर गए और बुंदेलखंड में एक हफ्ते में मर गईं। क्या बीमार बकरियों से आर्थिक स्थिति सुधरेगी?

18.00 hrs.

आप खेत में पानी की व्यवस्था करिये, सिंचाई की व्यवस्था करिये, बिजली की व्यवस्था करिये और कह दीजिए कि वहां के हर व्यक्ति के लिए पढ़ाई मुफ्त करेंगे, दवाई फ्री करेंगे, सड़के बनवायेंगे। आपको ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। यदि बांधनी थी तो भैंस बांधते, बकरी दे रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। हम इसका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश का विकास हो और मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केवल वहीं का विकास न हो, जिस राज्य में आपकी सरकार हो, बल्कि उन राज्यों का भी विकास हो, जहां आपकी सरकार नहीं है। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री दारा सिंह चौहान जी, आप बोलिये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): क्या मैं जीरो ऑवर पर बोलूं?

सभापति महोदय : नहीं, आप इस पर शुरू कर दीजिए, आपका भाषण अगले दिन जारी रहेगा। आप केवल आसन को एड्रैस कीजिए। उसके बाद जीरो ऑवर लेंगे। आपको जीरो ऑवर में भी समय देंगे। लेकिन अभी आप इसी पर शुरू कर दीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, आज प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी ने बिहार के लिए जो पैकेज की बात उठाई है, निश्चित रूप से बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है।

सभापति महोदय : आपका भाषण अगली बार जारी रहेगा। अब हम जीरो ऑवर लेते हैं।

18.01 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) RE: Need to include Bhojpuri language in the Eight Schedule to the Constitution

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। केवल पूरे देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लगभग 25 करोड़ जो आवाम है, जनता है, वह भोजपुरी भाषा बोलती है। भोजपुरी भाषा खासकर बिहार से लेकर पूरे पूर्वांचल तक, देश के हर कोने में तथा विदेशों में भी बोली जाती है। यह भाषा उनकी संस्कृति और सभ्यता भावनाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन आज भोजपुरी भाषा बेजुबान बनकर रह गई है। वर्षों से मैं देख रहा हूं, मेरा लोक सभा में यह तीसरा टर्म है। पिछली लोक सभा में श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने यह सवाल उठाया था, तब माननीय मंत्री जी की तरफ से यह जवाब भी आया था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किया जायेगा और जो भी सुविधाएं अन्य भाषाओं को दी जाती हैं, वे सुविधाएं भी दी जायेंगी। परंतु यह दुर्भाग्य है कि पिछली लोक सभा से लेकर अब तक मेरे ख्याल से नियम 377 के अधीन मामलों में, जीरो ऑवर तथा अन्य अवसरों पर भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवाज उठी है। आज आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, प्रमुखता से इसके बारे में छपा है। खासकर आपने दिल्ली में देखा होगा कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने के लिए बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। इसके बारे में टीवी में भी आया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है.। यह 25 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई भाषा है। आज इसके चैनल शुरू हो गये हैं, इसके गीत, संगीत और पिक्चर्स बनने लगी हैं।

सभापति महोदय : वह महुआ चैनल है। आजकल श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी 'कौन बनेगा करोड़पति' भोजपुरी में कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जी हां, यह भोजपुरी में आ रहा है, उसे श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी पेश कर रहे हैं। सभापति जी, आपने पीठ से भी इंगित किया है और एक तरीके से आपने इस पर बल दिया है। मैं आपका आभारी हूं, आप भी वहीं से आते हैं। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, वह इस पर कोई आश्वासन दें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): हम भोजपुरी भाषा का बहुत सम्मान करते हैं और करोड़ों-करोड़ों भारतवासी

ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके बोलने वाले बहुत लोग हैं। इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है। मैं माननीय सदस्य की भावना और सदन की भावना को गृह मंत्री के सामने प्रस्तुत कर दूंगा।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा डा.राजन सुशान्त अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तराखंड के टिहरी बांध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पर्वत, वादियों के बीच टिहरी बांध से एक हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। विश्व भर के प्रसिद्ध बांधों पर वाहनों आवागमन हो रहा है, परंतु टिहरी बांध पर वाहनों का आवागमन आज तक प्रतिबंधित है।

आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखण्ड के टिहरी बांध की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पर्वतीय वादियों के बीच टिहरी बांध से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। विश्वभर के प्रसिद्ध बांधों पर वाहनों का आवागमन हो रहा है। परन्तु टिहरी बांध पर वाहनों का आवागमन आज तक प्रतिबंधित है।

टिहरी बांध पर वाहनो के आवागमन से लगभग 14 किलोमीटर का रास्ता भगीरथीपुरम से भैंतोगी खाला, टिपरी तक कम हो जाएगा। वर्तमान में जो रास्ता प्रचलन में है, वहां जीरो प्वाईंट क्षेत्र के डैम साईड पर सड़क धंस रही है। बरसात में वहां पहले से ही काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा आज भी दुर्घटना का भय बना रहता है। यह एक मुख्य मार्ग है जो घनसाली होते हुए श्री केदारनाथ धाम को तथा श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ को जाता है। यह मार्ग बार्डर एरिया को टच करता है। प्रशासन कहता है कि सुरक्षा के कारण इस मार्ग पर यातायात आवागमन बंद कर रखा है। परन्तु प्रचलित रास्ते पर अवरोध आने से इस मार्ग को यातायात के लिए खोला जाता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार फाइव स्टार होटल तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों में गाड़ियों का प्रवेश सघन सुरक्षा जांच के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार टिहरी बांध पर भी सघन सुरक्षा जांच करने के पश्चात स्थानीय वाहनों के आवागमन के लिए खोल देना चाहिए। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी साथ ही साथ ईंधन का खर्चा भी कम होगा तथा लोग सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे।

श्री अशोक अर्गल (भिंड): माननीय सभापति महोदय, मेरा विषय एटीएम मशीनों के लगाने से संबंधित है। मैं भिंड संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, जिसमें दतिया भी आता है जो कि चम्बल संभाग का क्षेत्र है। मैंने प्रायः अपने संसदीय क्षेत्र में देखा है कि एटीएम मशीनों में इतनी भीड़ होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं।

सभापति महोदय : अर्गल जी, टीवी में रोज़ दिखा रहे हैं कि वहां एटीएम में फ्राड बहुत हो रहा है। एक बैंक के एटीएम से सवा करोड़ रूपये निकाल लिए गए हैं।

श्री अशोक अर्गल : उसके लिए सरकार को और व्यवस्थाएं करनी चाहिए। देश में कई बेरोजगार हैं, उनको एटीएम मशीनों पर रोजगार देना चाहिए। काफी सुधार किया जा सकता है। मैं यह चाहता हूँ कि एटीएम मशीनों की जो भीड़ लगती है, वह दूर हो। मैंने यह भी देखा है कि बड़े-बड़े गांव और कस्बों में एटीएम नहीं है। गांवों में किसान रहता है, वह अन्नदाता होता है। अन्नदाता के क्षेत्र में कहीं भी मशीनें नहीं लगाई जाती हैं। बड़े-बड़े शहरों और प्रमुख जगहों पर एटीएम मशीनें लगाई जाती हैं। मैं केन्द्र की सरकार से यह चाहता हूँ कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी एटीएम मशीनें लगाई जाएं। जो भीड़ लगती है, उसका सर्वे कराएं कि ये भीड़ क्यों लगती हैं, मशीनें क्यों खराब रहती हैं। यही मेरा विषय है, मैं चाहता हूँ कि इसमें सुधार किया जाए।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति जी, भारत देश को आज़ाद हुए 64 वर्ष हो गए हैं, लेकिन खेद है कि हिमाचल प्रदेश स्थित शानन पॉवर हाऊस आज भी गुलाम है। सन् 1922 में तत्कालीन मण्डी रियासत के राजा का ब्रिटिश सरकार के कर्नल बैटी के मध्यम समझौते के अंतर्गत सन् 1932 में यह पॉवर हॉऊस बन गया तथा सन् 1933 में लाहौर में तत्कालीन वायसरॉय ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया तथा मण्डी के राजा का भी देहांत हो गया। आजाद भारत में रजवाड़ाशाही भी समाप्त कर दी गई। इसलिए सन् 1922 के इस समझौते को अपने आप ही समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए था। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि इस पॉवर हाऊस का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश को आज तक भी नहीं दिया गया है। जबकि यह हिमाचल प्रदेश के जोगेन्द्रनगर में स्थित है। विचित्र बात यह है कि इसकी भूमि भी हिमाचल प्रदेश की है और पानी भी हिमाचल प्रदेश का है परन्तु स्वामित्व हिमाचल प्रदेश का नहीं है। इस अन्याय के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों में भारी आक्रोश है जो निरंतर बढ़ रहा है।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस वर्ष के रेलवे बजट की हुई चर्चा पर बोलते हुए भी मैंने हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय की चर्चा की थी। इस पहाड़ी राज्य में सात नई रेलवे लाईनें बिछाने सहित शानन पॉवर हाऊस, भाखड़ा नंगल डैम, बीएसएल व पोंग बांध से उत्पन्न बिजली पर स्वामित्व तथा एरियर के रूप में अरबों रूपयों की मांग भी की थी। हिमाच प्रदेश से उत्पन्न नदियों के

जल पर हिमाचल प्रदेश का स्वामित्व एवं वन सम्पदा व वायु पर रॉयल्टी भी माँगी थी। प्रदेश के दो लाख से ज्यादा सेवारत, सेवानिवृत व शहीद परिवारों के लिए स्पेशल पैकेज भी मांगा था। यह अधिकार न मिलने पर निर्णायक आंदोलन व सत्याग्रह के बारे में चेतावनी भी दी थी। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग तीन वर्ष गुज़रने के बाद भी इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता मजबूर होकर इस संघर्ष के प्रथम चरण में 15 अगस्त 2011 को शानन प्रोजेक्ट को आजाद करवाकर अपने हाथ में लेने तथा 11,000 करोड़ का बकाया लेने हेतु सांकेतिक धरना दे रही है। इसलिए भारत सरकार से प्रार्थना है कि तुरन्त इस पावर हाउस का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाये तथा अब तक के बकाया के रूप में अनुमानित राशि लगभग 11,000 करोड़ रूपये का भुगतान भी इस पहाड़ी राज्य को तुरन्त दे दिया जाये। जिससे प्रदेश के लगभग 9 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने, कर्मचारियों व मजदूरों के वेतन, भत्ते व बकाया देने सहित भविष्य में राज्य द्वारा स्वयं ही विद्युत दोहन करने व विकास कर आर्थिक मजबूती प्राप्त करने में मदद मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : क्या इस पर पाकिस्तान का स्वामित्व है? शानन प्रोजेक्ट पर किसका स्वामित्व है?

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): महोदय, इस पर अलग-अलग राज्यों का स्वामित्व दिया हुआ है, जिनका कोई लिंक ही नहीं है।

सभापति महोदय : अच्छा दूसरे राज्यों का।

डॉ. राजन सुशान्त : जी महोदय।

सभापति महोदय : तब तो देश के अन्दर की बात है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको डॉ. राजन सुशान्त जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में वहां का मजदूर और युवा शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर तेजी से शहरों की ओर बढ़ रहा है। हम उसका परिणाम यह देखते हैं कि हर शहर में, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, बंगलौर हो, चेन्नई हो उन शहरों में कई गांव बस जाते हैं। सैंकड़ों, हजारों की संख्या में गांवों से जाने वाले लोग एक-साथ संगठित होकर वहां पर रहने लगते हैं, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बढ़ रहा है। देश में पिछले एक दशक में गांव की तुलना में शहरी आबादी ढ़ाई गुना से भी अधिक तेजी से बढ़ी है। पिछले दशक में देश की जनसंख्या में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि गांव में 12.18 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 31.80 प्रतिशत की रही है। देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण गांव के गांव सूने हो रहे हैं। लोग पलायन कर शहरों पर दबाव बनाये हुए हैं।

यह स्थिति देश के लिए सुखद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्राकृतिक संतुलन के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। आज भी देश का 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाया है। 47 प्रतिशत गांव नजदीकी बैंक शाखा से 5 किलोमीटर दूर हैं। 78 प्रतिशत गांव में आज भी पोस्ट ऑफिस नहीं हैं। अभी भी हमारे गांव में मिडिल कक्षा पढ़ने के बाद वहां की छात्राओं को हायर सेकेन्डरी और हाई स्कूल पढ़ने के लिए दस-दस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रही हैं। पुलिस थानों की दूरियां गांव में बहुत ज्यादा रहती है। अगर कोई घटना घटित हो जाती है, कोई लूट होती है, डकैती होती है, हत्या होती है तो वह घटना तो शाम को, रात्रि में होती है, लेकिन पुलिस वहां पर सुबह पहुंच पाती है। आज भी अनेकों गांव ऐसे हैं, जहां पर पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। आज गांव को बचाना सरकार के लिए एक गम्भीर चुनौती है। वीरान हो रहे गांवों में बनियादी सुविधाएं बहाल कर शहरी बोझ को कम करने की जरूरत है।

अतः मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गांवों में सड़क, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, सिंचाई, पेयजल, बिजली, पुलिस थाना, जैसी सुविधाओं को ईमानदारी से बढ़ाया जाये ताकि ग्रामीण अपने ही क्षेत्रों में रहकर न केवल अपना विकास कर सकें, बल्कि गांव भी बचें और खेती भी बच सके।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बहुत ही उपेक्षित है और गरीबी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों पूर्वांचल के विकास में पूरी तरह से लापरवाह हैं। पूर्वांचल में आबादी ज्यादा है, पूर्वांचल में गरीबी ज्यादा है, पूर्वांचल में बेरोजगारी ज्यादा है। वहां के लोगों का बम्बई, गुजरात, सूरत और दिल्ली जैसे शहरों में पलायन हो रहा है और वे वहां जाकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पूर्वांचल में खेती अच्छी है, जमीन अच्छी है, लेकिन पानी के अभाव में वहां का किसान दम तोड़ रहा है। पूर्वांचल के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी यह कहती है कि अलग राज्य बनायेंगे। हम अलग राज्य की बात नहीं करते हैं। आज जो अलग राज्य की मांग उठ रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही तर्क है कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है। चाहे वह बुन्देलखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बिहार का इलाका हो, चाहे उड़ीसा का इलाका हो, जो क्षेत्रीय असंतुलन विकास का हुआ है, उससे नये राज्यों की मांग उठ रही है। हम नये राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास मे पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है। वहां बिजली नहीं है, वहां पढ़ाई-लिखाई का ठीक से इंतजाम नहीं है, वहां आज भी गरीबी है, वहां कुपोषण बढ़ रहा है। बुनकर बहुत बड़े पैमाने पर वहां बुनकरी का काम करते हैं। उनकी

हालत खराब है और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। उन्हें रेशम नहीं मिल पा रहा है, उनकी सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी भी गोरखपुर से लेकर बनारस तक फैली है। इतना ही नहीं, आज जो नक्सलवादी गतिविधियाँ पैदा हो रही हैं, वह इन्हीं कारणों से है। असमानता, बेबसी, लाचारी और भुखमरी के चलते आज उत्तर प्रदेश में जो नक्सलवाद बढ़ा है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली में, वह इन्हीं कारणों से है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह जो क्षेत्रीय असमानता है, उसको दूर करने के लिए पूरे देश को एक ईकाई मानकर पूर्वांचल के विकास के लिए प्रयास किया जाए। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ के लोगों का आज़ादी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, उनके नौजवानों का योगदान है, उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार एक विशेष आर्थिक पैकेज देने का काम करे जिस प्रकार से बुंदेलखंड को दिया गया। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, बुंदेलखंड को मिलना चाहिए था और मिला, यह अच्छी बात है। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति पर सब लोग रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, लेकिन इसके विकास के लिए किसी ने आगे बढ़कर काम नहीं किया। जब हमारी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो पूर्वांचल के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। आज हमारे पास नहरें हैं, लेकिन वे नहरें क्षतिग्रस्त हैं। हमारा एशिया का सबसे बड़ा लिफ्ट कैनाल है चंदौली में, लेकिन उसका पक्कीकरण न होने से 10-15 किलोमीटर तक पानी नहीं पहुँच पाता है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रामकिशुन जी, आपका गला फँस रहा है, मैं सोचता हूँ कि आपको खत्म कर देना चाहिए।

श्री रामकिशुन : मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अवसर देंगे तो गला नहीं फँसेगा। यह कमज़ोर लोग हैं। आप जानते हैं पूर्वांचल के कमज़ोर लोगों को, उनका दर्द है, उनकी बेबसी और लाचारी है जो गला ज़रूर फँस रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ कोई एम्स जैसा अस्पताल नहीं है और यही कारण है कि सारे के सारे लोग दिल्ली और लखनऊ जाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी पूर्वांचल में रहती है। इसलिए पूर्वांचल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम पूर्वांचल राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके विकास की बात करते हैं और मैं दोनों सरकारों से कहना चाहता हूँ कि दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश को लूटने के बजाय पूर्वांचल में विकास करने का काम करें। ...(व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूँ। हमें राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह तो पत्थर की मूर्तियाँ बनाकर लखनऊ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वांचल के विकास के लिए काम करे, वहाँ के योगदान को महसूस करे और एक विशेष आर्थिक पैकेज देने का काम करे, ताकि पूर्वांचल के लोग अपने क्षेत्र का विकास कर सकें।

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार एवं श्री पी.एल.पुनिया के नाम श्री रामकिशुन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आज भाषा का मामला चल रहा है। शैलेन्द्र जी ने भोजपुरी का मामला उठाया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा विषय भी राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर है। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मंत्रालय में 30-35 प्रस्ताव पैन्डिंग थे, तो एक सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। उस समिति ने जितने पैन्डिंग प्रपोज़ल थे, उनका अध्ययन करके यह बताया कि सिर्फ राजस्थानी और भोजपुरी दो ऐसी भाषाएँ हैं जो मान्यता की पात्रता रखती हैं। उसके बाद 2006 में इसी सदन में गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इसी सत्र में भोजपुरी और राजस्थानी की मान्यता के लिए प्रस्ताव और बिल ले आएँगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने राइट टु एजुकेशन बिल पास किया और उसकी धारा 29(2एफ) में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा हम किस भाषा में दें? आपने राइट टु एजुकेशन पास किया और जो मान्यता प्राप्त पात्रता रखने वाली भाषाएँ हैं, उनको संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया।

हम किसी छोटे-मोटे प्रदेश से नहीं आते हैं। राजस्थान भौगोलिक रूप से इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है।

दस करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। आप पूछोगे कि दस करोड़ कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि छह करोड़ लोग तो राजस्थान में हैं। एक करोड़ बंगाल और सैवन सिस्टर्स में हैं और एक करोड़ हम शेष भारत में हैं तथा एक करोड़ विदेश में हैं, जहां अमरीका ने मान्यता दी है। एक करोड़ हम पाकिस्तान में भी हैं, जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। मैं यह विषय इसलिए लाया हूं कि 24 जून, 2011 को अमरीका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के प्रैजीडेंशियल एपायेंटमेंट की प्रक्रिया में राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। मैं सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को अमरीका मान्यता दे रहा है और भारत में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं

तो कहते है कि नहीं पिंडोरा बाक्स खुल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने सीताकांत महापात्र समिति क्यों बनायी? महापात्र जी ने कहा कि दो भाषाएं भोजपुरी और राजस्थानी ये मान्यता के लिए पात्रता रखती हैं। आपको मान्यता देने में दिक्कत क्यों आ रही है? यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएं, जिससे 10 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी सकें और राजस्थानी भाषा अपना सम्मान पा सके, जिसके लिए वह हकदार है।

डॉ. राजन सुशान्त : महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, देश में चावल के निर्यात के बारे में बोलने जा रहा हूं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। हम भारत देश में अनेक देशों से कृषि उपज लेते हैं। सौभाग्य से पिछले वर्ष हमारे देश में कपास, गेहूं, चावल की फसल अच्छी हुई। इसके चलते किसानों ने मांग की थी कि कपास, चावल के निर्यात के लिए सरकार अनुमति दे। पिछले महीने सरकार ने गेहूं, कपास के लिए अनुमति दी है, लेकिन चावल पर संख्यात्मक निर्बंध लगाते हुए अनुमति दी गई है। चावल की देश में बहुत उपज हुई है। यदि चावल का दूसरे देशों में निर्यात होता, तो देश में किसानों को चावल का अधिक मूल्य मिल सकता था। जैसे कि कपास का अधिक मूल्य मिल रहा था, जब हम निर्यात कर रहे थे। अनेक कृषि संगठनों ने मांग की थी कि कपास के निर्यात पर बंदिश हटाई जाए और निर्यात होने दीजिए। जब कपास की मांग थी, तब सरकार ने अनुमति नहीं दी। जब विश्व के बाजार में मंदी आए, तब सरकार ने अनुमति दी है, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देश में अनाज का बड़ी संख्या में भण्डारण है और देश में अनाज सड़ रहा है।

सभापति महोदय : हंसराज जी, यदि एक्सपोर्ट करने से भारत में नॉन-बासमती की चावल की किल्लत हो गई, तो क्या होगा?

श्री हंसराज गं. अहीर : नहीं होगी, वही मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश में चावल की उपज जरूरत से ज्यादा हुई है। यह सरकारी आंकड़े हैं। इसके बावजूद भी यदि हम किसानों को बलि चढ़ाते हुए देश में महंगाई को रोकते हैं तो यह गलत करते हैं। यदि हमें महंगाई रोकनी है तो नीतियों में परिवर्तन करना होगा। इसमें किसानों का नुकसान हुआ है। जिस समय साढ़े पांच हजार रुपए प्रति क्वींटल कपास बिक रहा था, उस समय सरकार ने निर्यात की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब दुनिया में कपास की मंदी आयी, उस समय कपास के दाम देश में नहीं बढ़े। वही बात चावल के बारे में भी हो रही है। भारत के चावल की मांग अफ्रीकन और गल्फ कंट्रीज़ में है। वहां मांग होते हुए भी भारत सरकार ने गैर-बासमती चावल की अनुमति

नहीं दी, केवल बासमती चावल की अनुमति दी है। इस वजह से देश में चावल के दाम किसानों को नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 80 रुपए प्रति क्वींटल बढ़ाया था। यह कम बढ़ाया था। सरकार एक तो दाम नहीं देती है और दुनिया में जब हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं तो हमें आयात ही क्यों, निर्यात भी करना चाहिए, क्योंकि देश में कृषि उपज में वृद्धि हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चावल के निर्यात पर से निर्बंध हटाया जाए और गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति भी सरकार प्रदान करे। धन्यवाद।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत-से मछुआरे जिनकी बोट होती है और जो फिशिंग करते हैं, उनके लिए केरोसिन का खासकर कोटा मंजूर किया जाए। इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। पिछले करीब पाच-छः वर्षों से यह मामला राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र के माध्यम से उठाया जा चुका है। महाराष्ट्र में करीब 720 किलोमीटर का पूरा समुद्री किनारा है जहां ये मछुआरे जाते हैं। करीब-करीब 70000 की संख्या में ये मछुआरे अपनी बोट लेकर समुद्र में जाते हैं। रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग, ये जो दो जिले हैं, इनमें करीब 1500 मछुआरे हैं, यह मांग खासकर उनकी ओर से है। इसी तरह का खास कोटा केरल और गुजरात के लिए केन्द्र सरकार ने पहले से मंजूर किया हुआ है। यह बात पिछले 7 अप्रैल, 2010 से उठाया गया है। इसके दो साल हुए। इसकी मांग बार-बार की जा रही है कि हमें एक्स्ट्रा कोटा दीजिए क्योंकि महाराष्ट्र में केरोसिन पी.डी.एस. के माध्यम से दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि केन्द्र में पहले से स्पेशल कोटा मंजूर करने के लिए जो प्रस्ताव आया हुआ है, वह जल्द से जल्द मंजूर हो। मैं आपके माध्यम से यह विनती करता हूं।

सभापति महोदय : श्री संजीव जी, किरासन के मंत्री तो लम्बे समय तक आपके महाराष्ट्र के ही रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मुझे खुशी है और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का यहां मौका दिया दरअसल, मेरी पीड़ा दिल्ली मेट्रो के बारे में है। अभी यहां तीन-तीन मंत्री बैठे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हम यहां बोलते हैं, क्या कोई उसको नोटिस करता है? कई बार हम बहुत सारी चीजें यहां उठाते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने बुलाकर यह नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपने जो बात उठायी है, इसको कैसे हल किया जा सकता है? किसी ने यह नहीं पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश जी, रावत जी यहां बैठे हुए हैं। ये काफी रिस्पॉन्सिबल लगे क्योंकि खड़े होकर भोजपुरी में इन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि श्री रावत जी इसे और ज्यादा गंभीरता से लें ताकि जय प्रकाश जी को कोई शिकायत न रहे।

श्री हरीश रावत: माननीय सदस्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य काल में माननीय सदस्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। हम पार्लियामेंटरी अफेयर्स से संबंधित मंत्रालयों को, उन्होंने जो सवाल उठाया है, उनको रेफरेंस करेंगे।

18.29hrs
(ii) RE : Need to formulate an effective scheme for Delhi Metro

श्री जय प्रकाश अग्रवाल(उत्तर पूर्व दिल्ली) : दरअसल, यहां बैठने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। उसके दिल में कोई न कोई दर्द होता है, यह बात हमें भी मालूम है। यह हो सकता है कि सरकार के साधन सीमित हों। वह किसी चीज को मान सकती है, नहीं मान सकती है। लेकिन उस विभाग के मंत्री को इतना तो करना चाहिए कि वह हमें बुलाकर पूछें कि आपने जो यह मुद्दा उठाया, इसमें आप हमसे क्या सुधार चाहते हैं, इसमें आप क्या लाइन ऑफ एक्शन चाहते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं? लेकिन माफ करना मुझे आज यहां इतने साल हो गए, हमने कितने मुद्दे यहां उठाए होंगे, लेकिन आज तक किसी का फोन तक नहीं आया। इसके बारे में इससे भी बड़ा तमाशा और बताता हूं। यहां जब मैंने नियम 377 के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के बारे में मामला उठाया और फिर मैंने खत लिखा तो मंत्री जी का एक जवाब आया मेट्रो के बारे में कि आपके क्षेत्र में मेट्रो नहीं जा सकती क्योंकि वहां यमुना नदी का किनारा है। माफ करना, जिसको भी मैंने यह पत्र दिखाया, उससे इस पत्र का बहुत मज़ाक बना। सारी दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। लोग समुद्र से रेल निकाल कर पेरिस से लंदन ले गए। दूसरी जगह छः कंस्टीट्यून्सी में यमुना के ऊपर पुल बनाकर दिल्ली मेट्रो ले गए। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली के लिए बनी थी। आज की तारीख में दिल्ली का 75 प्रतिशत क्षेत्र दिल्ली मेट्रो से वंचित है तो किसलिए आपने यह मेट्रो बनाया था?

मैट्रो बुनियादी तौर पर दिल्ली के एक से दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए बनाई गई थी और मेरा दर्द मेरे लिए है, क्योंकि डैंसिटी ऑफ पोपुलेशन मेरे यहां सबसे ज्यादा है, मंत्री जी और जो लोग वहां रहते हैं, वे लोग गरीब हैं, नौकरीपेशा लोग हैं, पूर्वांचल के हैं, कुछ उत्तराखंड से आये हैं, कुछ कहीं और से आये हैं और वे नौकरी की तलाश में इधर-उधर जाते हैं। उसमें मैट्रो सबसे बढ़िया उनका साधन हो सकता है।

कई बार मैं इस मसले को उठा चुका हूं। सिवा इसके कि मैं किसी दिन आपके यहां भूख हड़ताल पर बैठ जाऊं या यहां धरना दे दूं और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो मंत्रीगण यहां दोनों-तीनों दोस्त बैठे हैं, ये मेरी इस बारे में मदद करें। मुझे नहीं मालूम कि कृष्णा जी के यहां क्या हाल है, लेकिन मेरे यहां तो बहुत बुरा हाल है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी निश्चित रूप से मदद होगी। Rawat ji, it is your duty now.

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): हम इसको बनवा देंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यह एश्योरेंस है, सर। सभापति महोदय, एक एश्योरेंस मिला है, यह एश्योरेंस में आना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हम बनवा देंगे।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मंत्री जी, खड़े होकर कह दीजिए।...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ: जनता के हित के काम जरूर होने चाहिए और दिल्ली में मैट्रो जब एक रास्ते से जा सकती है तो उसे बढ़ाकर दूसरे रास्ते से भी किया जा सकता है।...(व्यवधान)

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें शून्य काल में बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक मिनट मिथिलेश जी। शैलेन्द्र जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तो कार्य-मंत्रणा समिति में, यानि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में बैठते हैं। जैसे हमने झारखंड में स्पीकर रहते हुए एक जीरो ऑवर की कमेटी बना दी थी, उसका चेयरमैन बना दिया, मैम्बर बना दिये, अगर जीरो ऑवर की एक कमेटी बन जाये और आप स्पीकर जी की उपस्थिति में अगर यह काम करेंगे तो होगा क्या कि जैसे दूसरी कमेटियां हैं, वैसे ही यह भी आपके बिन्दु को उठाकर समिति आफिसरों को बुलाएगी, पूछेगी कि साहब, यह क्यों नहीं हो रहा है, बताइये। इसमें क्या दिक्कत है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : बात यह है कि जब तक कोई मंत्री नहीं बनता है, तब तक तो वह हमारा दोस्त होता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद वह दोस्ती खत्म हो जाती है।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : इसमें कमेटी बना सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से चुनकर आया हूं। हमारा जिला कृषि क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले दो वर्षों से लगातार वहां बाढ़ आ रही है और वह तराई का इलाका भी है। हमारे यहां धान की दो फसलें होती हैं। एक धान की

फसल कट गई है और दूसरी लग गई है, ऐसी जगह से मैं आया हूं। मैं दो साल से उत्तर प्रदेश सरकार को बार-बार पत्र लिख रहा हूं कि हमारे यहां ठोकरें बनवा दी जायें।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): यह केन्द्र सरकार बनवाएगी।...(व्यवधान)

श्री मिथिलेश कुमार : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। दारा सिंह जी, आप हमारा सहयोग करें, आप बसपा के नेता हैं।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : आप केन्द्र सरकार से डिमांड करिये कि क्यों नहीं बन रही है।

सभापति महोदय : वे आपका सहयोग कर रहे हैं।

श्री मिथिलेश कुमार: मैं अपनी बात कह लूं, जिसमें विकास खंड कलान में एक गांव कुडरिया है। पिछले साल वहां पर बाढ़ आने पर एक गांव ऐसा कटा कि एक आदमी गांव वालों के सामने उसमें डूबकर मर गया। वह पानी में गिर गया और वहां से उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। ऐसे ही 4-5 गांव हैं, कुनिया, मौअज्जमपुर, भरतापुर, नौगया, इस टाइप के विकास खंड मिर्जापुर, विकास खंड कलान, जैतीपुर, मदनापुर और निगोही, इन ब्लाकों में जबरदस्त तबाही हुई। वहां हजारों करोड़ रुपये का पैकेज गया।

मैंने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने एक टीम वहां भेजी। 37 करोड़ रुपये भी गये, लेकिन वे ठोकरें आज तक नहीं बनाई गईं। हम बार-बार लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो हम ठोकरें बनवा दें। पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ आप जायें तो क्या चमाचम पत्थर लग रहा है, लेकिन अम्बेडकर गांव का केवल विकास हो रहा है और उन ठोकरों को बनाने के लिए धन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : इनको तो उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देनी चाहिए कि लखनऊ पूरे विश्व के पैमाने पर चमक रहा है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : दारा सिंह जी, उनको अपनी व्यथा कहने दीजिए।

श्री मिथिलेश कुमार : मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से एक व्यवस्था चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक निर्देश दें कि कम से कम ठोकरों के लिए पैसा जिले को आबंटित कर दे। हम जब जिले की मीटिंग होती है तब मीटिंग में इस बात को उठाते हैं। अधिकारी कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम कहां से खर्च करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : इन्हें ठोकरें नहीं, तटबंध कहिये।

श्री मिथिलेश कुमार : हमारे जिले में इन्हें ठोकरें कहा जाता है, आप तटबंध मान लीजिए।

सभापति महोदय : आप तो लोक सभा में बोल रहे हैं तो आप तो सैण्ट्रल गवर्नमेंट से ही मांगेंगे न।

श्री मिथिलेश कुमार : मैं सैण्ट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि उसके लिए एक व्यवस्था करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक कोलाघाट का बहुत बड़ा पुल बनाया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें आप दूसरा टॉपिक नहीं जोड़ सकते हैं।

श्री मिथिलेश कुमार : मैं उसी टॉपिक पर कह रहा हूं। जो कोलाघाट का पुल है, उसकी एक साइड टूटने को तैयार है, इसके लिए चिट्ठी लिखी लेकिन उस बांध के लिए पैसा नहीं है। अगर वह पुल टूट गया तो करोड़ों रूपयों का नुकसान हो जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था दें कि बांध के लिए पैसा आबंटित हो जाए, धन्यवाद।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में देश के सवाल पर, राष्ट्र के सवाल पर और अपने संसदीय क्षेत्र के सवाल पर बोलने का मौका दिया। मैं आज जो भी कहने जा रहा हूं, वह दुख के साथ कह रहा हूं। वर्ष 1973 में कदवन जलाशय परियोजना जिसे आज इन्द्रपुरी जलाशय योजना के नाम से जाना जाता है, उसका शिलान्यास किया गया था, उसकी आधारशिला रखी गयी थी।

माननीय सिंचाई मंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 3.3.1982 को उच्चस्तरीय बैठक कर यहां कदवन जलाशय का डैम और बराज बनाने का निर्णय लिया था। 17 जून, 1989 को बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता करके इसके निर्माण का निर्णय लिया था। वर्ष 1990 में डा0 जगन्नाथ मिश्र द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। वर्ष 1989 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा DPR (डीपीआर) समर्पित किया गया। जिसमें उक्त जलाशय पर व्यय 533 करोड़ 26 लाख, जल विद्युत उत्पादन पर व्यय 577 करोड़ 78 लाख रूपए, कुल व्यय 1111 करोड़ 14 लाख यानी एक हजार एक सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख रूपए की प्रस्तावित जलाशय योजना के अंतर्गत 3895 मीटर लंबा एवं 40 मीटर ऊंचा डैम बनाने का प्रस्ताव था। डैम के दाहिने छोर में झारखंड का गढ़वा जिला और बायें छोर में बिहार का रोहतास यानी मटियांवन है। इस योजना का डूब क्षेत्र, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश सम्मिलित होने के कारण इसमें तीनों राज्यों की सहमति आवश्यक थी। प्रस्तावित डैम में उच्चतम जलस्तर 175 मीटर होने के कारण उत्तर प्रदेश का ओबरा डैम का हाइडल पॉवर हाउस का टेल रेस जलस्तर प्रभावित होने एवं चोपन नहर एवं रेलवे पुल डूबने की आशंका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जतायी गयी थी।

महोदय, मैं दुख के साथ कहता हूं कि मौखिक रूप से इस डैम पर जलाशय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था कि ओबरा पॉवर प्लांट और रेलवे ईस्ट डूबेगा, यह मौखिक आरोप लगाया गया था। जिसमें विगत चार वर्षों में नोडल कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनुरोध के बावजूद भी सर्वे आफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण कार्य आज तक पूरा नहीं किया गया। सर्वेक्षण कार्य के पश्चात् ही परियोजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के संबंध में इसके अंतर्गत निर्माण की कार्रवाई की जा सकती थी।

उल्लेखनीय है कि बाणसागर एवं रेहंड जलाशय परियोजना बन जाने के फलस्वरूप इंद्रपुरी बराज को आवश्यकतानुसार बाणसागर एकरारनामा के अनुरूप पानी नहीं मिल पाता है।

सभापति महोदय : कामेश्वर जी, आप बाणसागर प्रोजेक्टर बनवाना चाहते हैं न।

श्री कामेश्वर बैठा : जलाशय का पानी मिलना चाह रहा था, उसमें आरोप लगाया गया था कि यह डूब जाएगा, लेकिन बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश और उस समय झारखंड व बिहार एक थे, मैं झारखंड का ही सवाल उठा रहा हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कामेश्वर बैठा जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि पिन प्वाइंटेड जो बात कहना चाहते हैं, वह कह दें, ताकि वह प्रोसीडिंग में आ जाए और आपको उस काम को कराने में सुविधा हो। आप बहुत लंबा-चौड़ा भाषण देंगे, तो उससे यहां कोई फायदा नहीं होगा।

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार सर्वे आफ इंडिया, सर्वेक्षण का प्रतिवेदन तुरंत केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली को समर्पित किया जाए। यह नंबर एक मांग है ताकि शीघ्र कदवन जलाशय योजना के निर्माण की कार्रवाई शुरू हो जाये ।

दूसरा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक किए गये सर्वेक्षण कार्य का अद्यतन विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन की मांग की जाए।

सभापति महोदय : आप सभी बिन्दु लिख कर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, इसे पढ़ लेने दिया जाए ताकि देश की जनता यह जान जाए कि किन कारणों से यह जलाशय या बैराज अभी तक नहीं बन पाया है। महोदय, आपसे निवेदन है कि ये जो चार बिन्दु है इसे पढ़ लेने दिया जाए।

तीसरा, सर्वेक्षण कार्य पर अब तक किये गये भूगतान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए।

चौथा, शेष बचे सर्वेक्षण कार्य का समयबद्ध कार्यक्रम सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार से सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया, बी.एच.पी.सी., जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार एवं जल संसाधन विभाग बिहार सरकार की बैठक पटना में की जाए। क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय आज भी पटना में है।

हमें दुःख के साथ बोलना पड़ रहा है कि अभी 40 लाख रूपया सर्वे के लिए दिया गया था लेकिन अभी तक सर्वे नहीं किया गया। आज अगर सर्वे हो जाता है, मौखिक रूप से इस पर आपत्ति जताई जा रही है कि हमारा डैम वगैरह डूब रहा है। इसको सर्वे करने के बाद फाइनल कर दिया जाए, और तुरंत बैराज में काम लगाया जाए।

सभापति महोदय : मैंने आपको जो रास्ता बताया आप उस रास्ते को अपनाइए। आपने बहुत अच्छा बोला। मैंने आपको पूरा टाइम दिया। बैठ जाइए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे अत्यंत लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है। आज से तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है वहां पर घाघरा नदी के तेज बहाव के कारण नदि के किनारे बना हुआ पुल/बन्धा जो रामनगर तहसील के ग्राम मांझा रायपुर, माझा, परसावल, बेहटा, पारा, बांस गांव, अटवा, किचुली के पास बन्धा बना था वह टूट गया है, जिससे यहां के हजारों किसान एवं मजदूर विपदा झेल रहे हैं। फसल तथा कृषि योग्य भूमि को नुकसान हुआ है, लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है लेकिन उसके साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान हुआ है उससे शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विकास भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश से होकर देश की विभिन्न नदियां बहती हैं तथा पड़ोसी देश नेपाल द्वारा भी अतिवर्षा होने पर उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर पानी छोड़ दिया जाता है जिसके कारण प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपदों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी में घाघरा नदी बहती है जिसका प्रवाह वर्षा काल में बहुत तेज हो जाता है, जिससे हर वर्ष राम नगर ब्लॉक के अलावा, सूरतगंज, सिरोली गौसपुर ब्लाक के लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इस नदी की चौड़ाई भी लगभग 6-7 किलोमीटर है। यह सर्पनुमा आकार में बहती है जिसे कुछ जगहों पर अधिक फैलने से रोकने के लिए बन्धों का निर्माण किया गया है। नदी के आस-पास के क्षेत्र में गरीब किसान खेती करते हैं और कच्चे-पक्के मकान बनाकर रहते हैं।

मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में तत्काल केन्द्रीय टीम भेज कर आवश्यक सभी सुविधाएं एवं मदद उपलब्ध कराई जाए और घाघरा नदी के

बहाव क्षेत्र में एवं उस पर बने सभी बांध, बन्धें, रेलवे और ब्रिजों के रख-रखाव तथा अलाइन्मेंट का सर्वे भी किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से आसानी से निपटा भी जा सके और उसकी जानकारी भी रहे। घाघरा नदी के किनारे जहां-जहां आवश्यक हो पक्की ठोकर बनाई जाए तथा पक्के मजबूत बंधों का निर्माण कराया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो। धन्यवाद।

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय जो दुखद भी है, की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मधुबन तहसील में गांव ढिलेत, फिरोजपुर है। वायुसेना के जगुवार विमान जेएस 197 ने 11.40 बजे गोरखपुर एयरबेस से उड़ान भरी। उसमें कुछ ही मिनट बाद तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग की लपटों के साथ विस्फोट हुआ और विमान दुर्धटनाग्रस्त हो गया। फ्लाइट लेफ्टिनैंट सिद्धार्थ पांडेय एवं खेत में काम कर रहे ज्योति रूमा सहित कई जानवर उसकी चपेट में आ गए। सैंकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। ऐसा जगुवार विमान जिसे फ्रांस ने वर्ष 2005 और यूके ने 2007 में ही रिटायर कर दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा रिटायर्ड विमान को अपने देश की सुरक्षा के लिए खरीदा जा रहा है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। विगत तीन वर्षों में 24 फाइटर प्लेन नष्ट हो चुके हैं जिनमें चार पायलट और कई नागरिकों की जानें गईं। विगत सप्ताह राजस्थान में मिग 21 दुर्धटनाग्रस्त हुआ जिसमें पायलट की मौत हो गई। 4.2.11 को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण मध्य प्रदेश में विमान दुर्धटनाग्रस्त हुआ। विगत वर्ष 10 फाइटर प्लेन जिनमें 4 मिग 27 और दो मिग 21 भी शामिल हैं, दुर्धटनाग्रस्त हो गए। विशेषज्ञों के अनुसार फाइटर विमान जगुवार 80 फीसदी तकनीकी गड़बड़ी के कारण नष्ट हो रहे हैं। जगुवार विमान काफी कीमती है। उन्हें भारत सरकार मंगवा रही है। इससे जहां देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, वहां चालक दल के सदस्य और तमाम नागरिकों की...(व्यवधान)

सभापति महोदय : दारा सिंह जी, क्या आपका यह आरोप है कि जो विमान वहां से यूज़्ड हो जाते हैं, उन्हें भारत सरकार मंगवा रही है?

श्री दारा सिंह चौहान : जी हां।

सभापति महोदय : मंत्री जी, ऐसा तो नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : वहां से रिटायर होने के बाद ही मंगवाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट है।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मेरे क्षेत्र में विमान क्रैश हुआ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : देश में भी चलते-चलते विमान पुराना हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे देश का यूज़्ड किया हुआ विमान भारत मंगवाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं यूज़्ड किए हुए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जगुवार विमान आए थे, लेकिन वे आउट डेटेड हो गए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : भारत में नए विमान आए थे, चलते-चलते आउट डेटेड हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के आउट डेटेड विमान भारत यहां मंगवा लेगा।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : विशेषज्ञों ने कहा है कि 80 फीसदी तकनीकी गड़बड़ी के कारण विमान में विस्फोट हो रहा है जिससे जान-माल की हानि और पैसे की बर्बादी हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र मऊ में...(व्यवधान) उसमें पायलट सहित किसान रूमा और उसके जानवर मारे गए। तीन किलोमीटर के रेडियस में उसका मलबा बिखर गया। फसल नष्ट हुई। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेधवाल श्री दारा सिंह चौहान के विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, आपकी तरफ से एक बढ़िया सुझाव आया, यहां पर तीन-तीन मंत्री बैठे हुए हैं, कि जीरो ऑवर की एक कमेटी बनी और उस कमेटी की मीटिंग में जिन माननीय सदस्यों ने अपनी मांगें रखीं, उन पर पूछताछ करके पत्रों के माध्यम से जवाब दिया जाए। आजकल एक तरीका बन चुका है कि सांसद क्या मांग कर रहे हैं, लोग क्या मांग कर रहे हैं, जनता क्या मांग कर रही है, उसे सुनने की इच्छा किसी की नहीं है। इस कारण अन्ना हजारे जी का आगमन हुआ। अब श्री अन्ना हजारे जी द्वारा लोक सभा को एक बड़ी चुनौती आयेगी, संविधान को आयेगी।

सभापति महोदय, हम इंदिरा प्वाइंट पर चलते हैं जो भारत का आखिरी हिस्सा केम्प बेल में है। अंडमान-निकोबार का आखिरी हिस्सा इंदिरा प्वाइंट है, जहां 70 और 80 के दशक में एक्स फ्रीडम फाइटर्स को लेकर केम्प बेल में प्रहरी के रूप में बिठाया गया था। उस जगह एक गांव है जिसका नाम लक्ष्मी नगर है। लक्ष्मीनगर में सैटलमैंट विलेज है। वहां रिवैन्यू जमीन पर एक पत्थर की क्वारी थी। उसी के तहत एक गांव और है जिसका नाम गोविंद नगर है। उसमें पत्थर क्वारी थी, जिसे प्राइवेट व्यक्ति चलाता था। उस क्वारी के पत्थर से पूरे केम्प बेल में द्वीप का विकास हुआ, जेटी बना, रोड बना, बिल्डिंग आदि सब कुछ

बना। वहां सुनामी आयी और सुनामी के पश्चात् अचानक उस क्वारी को रूपये लूटने के नाम पर बंद कर दिया गया। वह क्वारी बंद करके थाइलैंड से केम्प बेल में काम करने के लिए पत्थर मंगाया गया। वह पत्थर पोर्ट ब्लेयर से लाया गया। पोर्ट ब्लेयर में एक ट्रक में 20 एमएम चिप्स की कीमत छः हजार रुपये है और वही पत्थर केम्प बेल में 25 हजार रुपये की कीमत में गिराया जा रहा है। आप खुद हिसाब लगाइये कि कितनी लूट हो रही है। पांच हजार रुपये का पत्थर जो केम्प बेल में मिलता है, उसे न लेकर वहां से लेते हैं जहां 25 हजार या 30 हजार रुपये कीमत पड़ती है। । इस तरह से वर्ष 2004 से आज तक यानी इन सात सालों में पत्थर क्वारी प्रोडक्ट्स के नाम पर, ट्रांसपोर्ट कास्ट के नाम पर तीन-चार सौ करोड़ रुपये चोरी हो गए, गबन कर दिए गए जिससे देश का नुकसान हुआ। वहां के लोगों की जो मांग है, उसके लिए मैं यहां खड़ा हूं। उपराज्यपाल महोदय के पास स्टेट प्लान एडवाइजरी बोर्ड में मैंने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में एक पत्र देकर मांग की और मीटिंग में कहा कि केम्प बेल में पत्थर क्वारी खोली जाये, ताकि ट्रांसपोर्ट के नाम पर देश के करोड़ों रुपये का नुकसान न हो। उस बारे में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया।...(व्यवधान) आदरणीय उपराज्यपाल जी ने श्री डीसी निकोबार को आदेश दिया कि तुरंत इस पर कार्रवाई करके केम्प बेल में पत्थर क्वारी खोली जाये।

.सभापति महोदय, यहां पर तीन-तीन मंत्री बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केम्प बेल में खेत डूबा पड़ा है। सुनामी में खेत डूबा पड़ा है। वहां लोगों के पास काम नहीं है। यह क्वारी खोलने से लोगों को काम मिलेगा, सस्ता पत्थर मिलेगा और कम पैसे में विकास होगा। इस विकास से उन्नति होगी।

आखिर में, मैं मांग करना चाहता हूं कि मिडिल या नार्थ अंडामन में क्वारी की मांग मैंने पहले की थी, जो आज तक नहीं खुली। मैं चाहता हूं कि मिडिल या नार्थ अंडमान में पहले जो क्वारी चलती थी, उसे तुरंत खोला जाये, ताकि अंडमान का स्थानीय क्वारी से विकास हो, पैसा बचे। स्टेट प्लान एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में मैंने उपराज्यपाल महोदय के सामने क्वारी खोलने की मांग की, ताकि स्थानीय क्वारी से सस्ता पत्थर मिले जो विकास के काम में लगे, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ। उपराज्यपाल महोदय ने इस बारे में वर्ष 2010 में आदेश दिया था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर ध्यान देकर कार्रवाई करें। केम्प बेल और अंडमान-निकोबार के मध्य उत्तर अंडमान में क्वारी खोली जाये, यह मेरी मांग है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय जी, जब आप आसन पर बैठते हैं, तो आपकी पार्लियामैंट और पार्लियामैंटेरियन के लिए जो सोच है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने

देखा है कि पार्लियामैंट और पार्लियामैंटेरियन को जिससे फायदा हो सकता है, उसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं।

महोदय, पिछले दिनों जब आप नहीं थे, मैंने जीरो के प्रति जीरो लगाया। आज मैं उसको कहना चाहता हूं। वे कहें कि क्या कह रहा है? यह समय की बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं आज जीरो की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ हूं कि जीरो तो हम बोलते हैं। यह मेरा सेकण्ड टर्म है। इससे पहले मैं मिनिस्टर था, एमएलए था, वह अलग बात है, लेकिन यहां सेकण्ड टर्म है। मैंने कोई सीरियस इंसान नहीं देखा, जिसको जीरों से हमदर्दी हो। जीरो आवर के बारे में यह माना जाता है कि हर बन्दे की ख्वाहिश होती है और मेजारिटी की ख्वाहिश होती है कि हमें मॉर्निंग में बुलाया जाए। अभी का हाल देखिए। यह बहुत खराब हालत है। हम लोग ही हमेशा शाम को पार्लियामेंट की बैठक खत्म करके जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर जनाबेआली चाहें, जीरो आवर के बारे में एक रूलिंग हो जाए कि अगर ये कमेटी बना देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा काम कोई भी नहीं होगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी यहां बैठे हुए हैं, वह भी एक दल के नेता हैं। मैंने इन्हीं लोगों से आग्रह किया है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, इसलिए मैं तो बीएसी में जाता नहीं हूं, मैं बीएसी में बैठता नहीं हूं। इसलिए ये नेता लोग हैं, अगर ये लोग राय दें, तो Speaker is all competent to do it.

चौधरी लाल सिंह : मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आपका कोई विषय हो, तो उसी पर आइए।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, आप जानते हैं कि बिना विषय के मैं खड़ा ही नहीं होता हूं।

मेरी कांस्टीट्वेंसी में सात जिले हैं जहां सात डीसी बैठते हैं, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की कांस्टीट्वेंसी है। इनमें से तीन जिले ऐसे हैं जहां बीआरजीएफ दिया गया है और तीन जिले ऐसे हैं, जहां बीआरजीएफ नहीं दिया गया है। मेरा एक जिला है रियासी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में लिखकर दिया है कि उस जिले के 47 प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं। आप बताएं, वहां पौने तीन सौ गांव हैं, आप इसको सीधे-सीधे तख्सीम कीजिए, 120-122 आदमी, पूरा विलेज ही नहीं पढ़ा हुआ है। यह कौन सी परिभाषा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सवेक्षण हैं, जो सर्वे ऑफ इंडिया, जो यहां स्टेस्टिक्स का हिसाब-किताब देता है, ये यह क्यों नहीं देखते हैं कि यहां एजुकेशन ही नहीं है, तो वहां है क्या? अगर आप हमारे इन जिलों में जाएं, रियासी हो, ऊधमपुर हो या कठुआ जिला हो, सभी जिलों में हिली टेरेन है, रिमोटेस्ट एरिया है, डेन ऑफ मिलिटेंसी है। वहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली का बुरा

हाल है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल आप दे नहीं सकते हैं। मेरी जनाब से विनती है कि आप इसमें इंटरवीन करें, मेरे इन तीन जिलों को बीआरजीएफ में शामिल करवा दें। इनमें सबसे पहले रियासी को शामिल कराएं, जिससे बच्चे पढ़ सकें, बच्चे जी सकें, वह इलाका डेवलप हो सके और इस पार्लियामेंट का गुण गाएं कि इस पार्लियामेंट ने यह डिसीजन करवाया था। धन्यवाद। जय हिन्द।

सभापति महोदय : मंत्री जी, इस बिन्दु को अवश्य नोट करें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): माननीय सदस्य ने सिर्फ रियासी की बात कही है।

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आप मंत्री जो जिले बता दीजिए।

चौधरी लाल सिंह : इन जिलों का नाम रियासी, कठुआ और ऊधमपुर है।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet on Monday, the 8th August, 2011 at 11 a.m.

19.00hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, August 8, 2011/Sravana 17, 1933 (Saka.)